51वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
2022—23

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
आई0एस0ओ0 9001 कम्पनी

विषय	पृष्ठ संख्या
निदेशक मण्डल	03
निदेशकों की आख्या	04
लेखा संपरीक्षकों की आख्या	30
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अनुसार भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ	48
निकाय शासन की रिपोर्ट	49
तुलन पत्र	97
लाभ एवं हानि लेखा	100
नगदी प्रवाह का विवरण	102
लेखा नीतियॉ एवं लेखा में संलग्न और उसका अंशभूत	108
सूचना	116

निदेशक मण्डल

कार्यकारी निदेशक		
श्री अमित श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त कार्यभार)	25 अप्रैल 2023 से अब तक
श्री रूपेश तैलंग	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त कार्यभार)	25.04.2021 से 24.04.2023 तक
श्री मुकेश कुमार	निदेशक वित्त (अतिरिक्त कार्यभार)	30.08.2020 से 30.08.2022 तक
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक		
श्रीमती सुषमा बत्रा	भारत सरकार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	28.05.2023 से अब तक
श्री अरुन कुमार दीवान	भारत सरकार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	28.05.2023 से अब तक
श्री रमाकांत सिंह	भारत सरकार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	10.11.2020 से 18.05.2023 तक
स्वतंत्र निदेशक		
श्री राज कुमार	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	02.11.2021 से अब तक
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	28.01.2020 से 27.01.2023 तक
श्रीमती राकेश शर्मा	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	28.01.2020 से 27.01.2023 तक

विधिक लेखा संपरीक्षक

एस. श्रीवास्तव एन्ड कं.,चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
2/165, विजय खन्ड गोमती नगर,
लखनऊ 226010

सचिवालयीन लेखा संपरीक्षक

अमित गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
कार्यलय नं0 सी–17 विनय नगर , कृष्णा नगर
लखनऊ–226023

पंजीकृत कार्यालय एवं कार्य

3/481, प्रथम तल, विकल्प खन्ड,
गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010,
उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. .: 0522-3178490
वेबसाइट: www.scootersindialimited.com
ई- मेल आईडी:
csscootersindia@gmail.com

स्टाक एक्चेन्ज

बी0एस0ई0 लिमिटेड
प्रथम तल फिरोज
जीजीभाव्य टावर्स
दलाल स्ट्रीट
मुम्बई–400001

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट
लिमिटेड डी-153/ए पहली मंजिल
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1
नई दिल्ली-110020 दूरभाष-011-26812682
फैक्स-26812682

निदेशकों की आख्या

प्रिय अंशधारियों,

आपकी कम्पनी के निदेषक मण्डल को 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा संपरीक्षकों की आख्या के साथ कम्पनी के व्यापार एवं कामकाज के बारे में 51वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष है।

1. उत्पादन समीक्षाः

विवरण	**2021–22**	**2022–23**
थ्री व्हीलर	**0**	**0**

2. विक्रय समीक्षाः

वर्ष हेतु विक्रय निष्पादन नीचे दर्शाया गया हैः

	2021–22		2022–23	
विवरण	वास्तविक (संख्याओं में)	वित्तीय (रू0 लाखों में)	वास्तविक (संख्याओं में)	वित्तीय (रू0 लाखों में)
थ्री व्हीलर	0	0	0	0
स्पेयर्स	0	0	0	0
पेट्रोल, डीजल, लुब्रीकैंट आदि।	0	0	0	0
अन्य परिचालन राजस्व	0	0	0	0
योग	0	0	0	0

3. वित्तीय समीक्षाः

आलोच्य वर्ष में कम्पनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैः

(रूपये लाखों में)

क्र0 सं0	**विवरण**	2021–22	**2022–23**
अ)	ह्रास पूर्व लाभ, ब्याज, कर, पिछले वर्ष की मदें एवं अन्य आमदनी	**(1302.80)**	**(355.60)**
ब)	ह्रास पूर्व लाभ, ब्याज, कर एवं अन्य आमदनी	**(1302.80)**	**(355.60)**
स)	पी0 बी0 डी0 आई0 टी0	**(1316.04)**	**(629.94)**
द)	वर्ष के लिए लाभ / हानि	**(757.99)**	**(76.44)**

वर्ष के दौरान आख्याधीन :

1. ह्रास पूर्व लाभ, ब्याज, कर, पिछले वर्ष की मदें एवं अन्य आमदनी में रू0 947.20. लाख, विगत वर्ष की तुलना मे कमी हुई।
2. ह्रास पूर्व लाभ, ब्याज एवं कर एवं अन्य आमदनी में विगत वर्ष की तुलना में रू0 947.20 लाख की कमी हुई।
3. ह्रास पूर्व **लाभ**, ब्याज एवं कर में विगत वर्ष की तुलना में रू0 686.10 लाख की कमी हुई।
4. वर्ष के दौरान विगत वर्ष की तुलना में रू0 681.55 लाख **के लाभ** में वृद्धि हुई है।

4. राष्ट्रीय राजकोष में योगदान :

आलोच्य वर्ष में कम्पनी ने रू 139.07 लाख (उत्पाद एवं कर की मद में) का राजकोष में योगदान किया है। **कंपनी ने** विगत वित्तीय वर्ष में रू0 768.19 लाख का योगदान किया था**। इसके अलावा, आयकर विभाग ने 17 मार्च, 2023 के पत्र के माध्यम से कंपनी को यह जानकारी दी है कि कंपनी ने 14.44 करोड़ रुपये 10 अप्रैल, 2023 को आयकर विभाग में जमा किए हैं।**

5. **लाभांशः**

। संचित घाटे और परिचालन बंद करने के भारत सरकार और एमएचआई के पत्र संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28/01/2021 के अनुसार कंपनी को बंद करने के निर्णय के मद्देनजर आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए **संचित घाटा के दृष्टिकोण से** फाइनल लाभांष की अनुशंसा नही किया है।

6. **आरक्षित हस्तान्तरणः**

बटवारे के लिए उपलब्ध राषि में से सामान्य आरक्षित के हस्तानतरण के लिए कम्पनी प्रस्ताव नही करती है।

7. डिफरन्शियल राइट के बिना अथवा डिफरन्शियल राइट के साथ **अंश जारी करना स्वेट इक्विटी ESOP:**

वर्ष के दौरान **कम्पनी ने** डिफरन्शियल राइट **स्वीट इक्विटी एम्प्लायी स्टाक आप्सन के कोई** शेयर जारी नहीं किए हैं। इसलिए यह लागू नहीं है।

8. निर्यातः

आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई निर्यात नही किया है।

9. विज्ञापन एवं प्रचार पर व्ययः

वर्ष के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

10. भारत सरकार द्वारा ऋण के भुगतान की स्थितिः

भारत सरकार, उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के एक अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के तहत वित्तीय वर्ष **2013-14** के दौरान कैबिनेट/

विविध द्वारा कार्यशील पूंजी के लिए रु. 2000-00 लाख के ब्याज मुक्त योजना ऋण के माध्यम से धनराशि जारी की। दिनाँक 23-7-2013 को बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत आवेदन के आदेश

के अनुसार ऋण चुकाने योग्य था। 23-7-2016 के बाद से शुरू होने वाली 5 किस्तों में यानी मंजूरी की तारीख 23-7-2013 से 3 साल यानी 8 अप्रैल 2016 को हुई उनकी बैठक में बोर्ड और पत्र एफ.सं. 3(15)/2013-PE-VI- दिनांकित 5 मार्च 2015 के निर्णय के अनुसार अप्रैल 2014 में भारत सरकार को एफडीआर के रूप में अस्थायी रूप से तैनात सीएपीईएक्स निधियों पर ब्याज की राशि रु 128-11 लाख रुपये की किस्त के खिलाफ समायोजित किया गया था। 23 जुलाई 2016 को 400 लाख रूपये देय है। तदनुसार 1600 लाख रुपये का मूलधन बकाया है। इसके अलावा, एमएचआई के पत्र संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28/01/2021 के तहत, भारत सरकार ने 65 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। जिसमें से 41 करोड़ रुपये कर्मचारियों और अन्य विक्रेताओं की वीआरएस/वीएसएस योजना के लिए 28.03.2021 को वितरित किया गया। भुगतान शर्तों के अनुसार, उचित समय पर आय प्राप्त होने की संभावना है। चल संपत्ति की बिक्री, शेष ब्रांड और ट्रेडमार्क फंड की बिक्री द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने और भुगतान के बाद उपलब्ध राशि का उपयोग भुगतान करने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार से 16 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ ऋण 65.12 करोड़ (भारत सरकार के 65.12 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण में से) 41 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

11. कंपनी के बंद होने की स्थिति:

क) एमएचआई के पत्र संख्या F. No. 3(1)/2020-PE-VI के माध्यम से कंपनी के संचालन को रोक दिया गया है और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त के संदर्भ में सभी नियमित कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है और 29.04.2021 से कंपनी की नियमित संख्या शून्य है। कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चालू है और दिए गए निदेशों के अनुसार आवश्यक कदम लागू किए जा रहे हैं।

ख) **चल संपत्तियों का निपटान (ब्रांडों के अलावा):**
एमएचआई के पत्र संख्या F. No. 3(1)/2020-PE-VI दिनांक 28.01.2021 के माध्यम से 2022-23 के दौरान सभी चल संपत्तियों की एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी पूरी हो चुकी है।

ग) **अमूर्त संपत्ति (ब्रांड) का निपटान:**
पत्र क्रमांक एमएचआई से एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021, की ई-नीलामी लैंब्रेटा एवं लैंब्रो ब्रांड का कार्य 2022-23 के दौरान पूर्ण एवं निपटान किया गया है।
विक्रम और विजय सुपर ट्रेडमार्क प्रक्रिया में है।

घ) लीजहोल्ड भूमि की वापसी:
मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के संदर्भ में भारी उद्योग (एमएचआई), भारत सरकार ने पत्र दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से, सरोजनी नगर में स्थित भवन/वृक्षों सहित 147.49 एकड़ पट्टे की भूमि "जैसे और जहां के आधार पर" यूपीएसआईडीए (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 01.12.2022 को स्थानांतरित कर दिया गया है।

ई) **लेनदारों का निपटान**: कंपनी ने 04 जून 2022, को

इकोनॉमिक टाइम्स (नई दिल्ली/गुड़गांव, अहमदाबाद, बैंगलोर,
चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, जयपुर और लखनऊ)
एवं 09 जून 2022 को दैनिक जागरण (लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी,) में
मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, प्रयागराज, मोरादाबाद, अलीगढ, नई दिल्ली,
देहरादून,हल्द्वानी,हिसार,पानीपत,धर्मशाला,जालंधर,लुधियाना,

अमृतसर, बठिंडा/मालवा, चंडीगढ़, जम्मू, पटना, भागलपुर, रांची,
धनबाद, जमशेदपुर, और सिलीगुड़ी) में यह बताने के लिए कि कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में है और किसी भी व्यक्ति के पास यदि कंपनी से बकाया राशि है तो अपने दावों के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने अब तक प्राप्त सभी वैध दावों का निपटान/ भुगतान कर दिया है।
अवैतनिक/ दावा न किए गए देय, यदि कोई हो, को उचित समय पर कानून के लागू प्रावधान के अनुसार निस्तारण कर दिया जाएगा, प्रकाशित किया गया है।

च) बकाया कर का निपटान:

I) प्रत्यक्ष कर: वित्त मंत्रालय से दिनांक 17.03.2023 को प्राप्त पत्र के अनुसार, कुल बकाया आयकर देनदारी रु. 14.44 करोड़ कंपनी से 10/04/2023 को छुट्टी/ भुगतान कर दिया गया है। कंपनी लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रयास कर रही है। हालाँकि, एनओसी का अभी भी इंतजार है।

II) अप्रत्यक्ष कर:

क। सेवा कर: सभी मामले बंद कर दिए गए हैं और कंपनी संबंधित विभाग के साथ शीघ्र एनओसी जारी करने हेतु नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। हालाँकि, अभी लंबित है।

ख) वैट/बिक्री कर/प्रवेश कर: सभी मामले बंद कर दिए गए हैं और कंपनी संबंधित विभाग के साथ शीघ्र एनओसी जारी करने हेतु नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। हालाँकि, अभी लंबित है।

छ) कानूनी मामले: कंपनी शीघ्र निपटान के लिए कानूनी मामलों पर काम कर रही है।

ज) पीएफ ट्रस्ट को बंद करना: कंपनी ने 485 कर्मचारियों में से 364 कर्मचारियों का (जिनके संबंध में वैध दावे प्राप्त हुए थे) भुगतान कर दिया है। पीएफ ट्रस्ट ऑडिट दिनाँक 31/03/2023 तक पूरा हो चुका है और प्रासंगिक कार्यक्रम और ट्रस्ट को सौंपने का अनुरोध ऑडिट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। कंपनी पीएफ ट्रस्ट को क्षेत्रीय ईपीएफओ, लखनऊ को सौंपने की प्रक्रिया में है।

12. कंपनी की भौतिक परिवर्तन और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली प्रतिबद्धताएं जो दिनाँक 01.04.2023 से घटी है:

एमएचआई की ओर से संचार के संदर्भ में पत्र क्रमांक. एफ. नं. 3(1)/2020-पीई-VI दिनांकित 28.01.2021 को कंपनी का परिचालन बंद कर दिया गया था और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त संचार के संदर्भ में सभी नियमित कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर

दिया गया है और 29.04.2021 से नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। कंपनी शून्य है.

कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उक्त संचार के अनुसार आवश्यक कदम लागू किये जा रहे हैं।

इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग:

क) कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक सार्वजनिक उपक्रम है
चुकता शेयर पूंजी 87,27,38,188/- (रूपये सत्तासी करोड़ सत्ताईस लाख अड़तीस हजार एक सौ अट्ठासी केवल) को 8,72,72,255 (रूपये आठ करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर हजार दो सौ पचपन) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक10/- रुपये अंकित मूल्य के कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

ख) चूंकि कंपनी एक पीएसयू है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति मंत्रालय के माध्यम से कंपनी भारी उद्योग, भारत सरकार, नई दिल्ली, की प्रवर्तक है।

ग) भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नं. 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी 2021, द्वारा कंपनी के प्लांट/ यूनिट का संचालन बंद करने और कंपनी बंद करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करना एवं कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक से डीलिस्ट करना आवश्यक है। जनता के साथ एक्सचेंज और इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण और भुगतान किया जाना है। डीलिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक शेयरधारकों को दिया जाएगा।

घ) इसे आगे बढ़ाते हुए, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम शुरू कर दिए गए हैं।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, कंपनी को भंग करना होगा।

छ) कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो कि विभाजित है। 8,72,72,255 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रु. प्रमोटर्स' कंपनी में शेयरहोल्डिंग 93.87% और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के आधार पर लाभ नहीं प्राप्त किया जा रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का वर्तमान में कभी-कभार ही कारोबार होता है। पिछले 12 महीनों के दौरान 0.66% कारोबार हुआ।

ज) स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए प्रस्तावित डीलिस्टिंग से सार्वजनिक शेयरधारकों को अवसर मिलेगा। डीलिस्टिंग विनियम के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलें।

झ) प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक है। इस संबंध में,

श्री अमित श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत के राष्ट्रपति ("अधिग्रहणकर्ता") द्वारा अधिकृत किया गया है।

ट) अधिग्रहणकर्ता ने अधिग्रहण के लिए डीलिस्टिंग ऑफर देने का इरादा व्यक्त किया। डीलिस्टिंग विनियमों अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की पूंजी 53,48,226 इक्विटी शेयर, चुकता इक्विटी शेयर का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

ठ) तदनुसार, कंपनी ने 05 जुलाई, 2021 को प्रस्तावित डीलिस्टिंग ऑफर हेतु एक मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए एक निविदा जारी की। इसी अनुक्रम में विनियम 9 के प्रावधानों एवं वचन पत्र दिनांक 02 मई, 2023 के अनुसार डीलिस्टिंग विनियम, अधिग्रहणकर्ता ने कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया।

ड) सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अधिग्रहणकर्ता की ओर से इक्विटी प्राप्त करके डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार वह शेयर जो कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, अन्य बातों के साथ स्वेच्छा से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने का इरादा जताया है।

ढ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और डीलिस्टिंग के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार विनियमों के लिए प्रबंधक द्वारा एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा की गई थी और अधिग्रहणकर्ता की ओर से 03 मई, 2023 को अपना इरादा व्यक्त करने के लिए लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव अपनाए गए थे। परिणामस्वरूप, डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार बीएसई से कंपनी छूट पत्र के अनुसार इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने की पेशकश की गई।

त) आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को एक सूचना दी कि बोर्ड की एक बैठक 22 मई, 2023 को होनी है| जिसमें डिलिस्टिंग ऑफर के प्रस्ताव पर विचार किया गया और मंजूरी दे दी गई। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

थ) उचित परिश्रम और डीलिस्टिंग विनियम शेयर पूंजी रिपोर्ट के समाधान के मुद्दों को पूरा करने के लिए विनियम 10(2) के संदर्भ में कंपनी ने सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को सहकर्मी-समीक्षित कंपनी सचिव नियुक्त किया।

द) छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के विनियम 8 के साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए एंडटेकओवर) विनियमन, 2011 के अनुसार न्यूनतम मूल्य 31.78/- प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने भारी उद्योग मंत्रालय के पास आवेदन किया।

ध) भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के अनुमोदन हेतु स्वैच्छिक असूचीबद्धता और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से, प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये करने की मंजूरी दी।

न) कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लिया गया:

i सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से विभिन्न छूटें दी गई।

ii दिनांक 24 मई, 2023 को समीक्षित कंपनी सचिव के समकक्ष द्वारा डिलिजेंस रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने विनियम 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है| असूचीबद्धता विनियम और स्वेच्छा से प्रस्ताव की सिफारिश की गयी है। कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी दी गयी है।

बोर्ड ने पुष्टि की कि:

I कंपनी लागू नियमों विनियम 17(1) को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के प्रावधान, विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का विनियम 6 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में है।

Ii असूचीबद्धता विनियम की अधिग्रहणकर्ता विनियम 4(5) के अनुपालन में है। और

iii कंपनी का प्रस्तावित डीलिस्टिंग शेयरधारकों के हित में है।

प) कंपनी ने दिनाँक 05 जून 2023 को डाक मतपत्र और ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए कंपनी ने शेयरधारकों को डाक मतपत्र की सूचना भेज दी थी।

फ) 07 जुलाई, 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किए गए। इसके अलावा, बीएसई ने अपने दिनांकित 30 अक्टूबर, 2023 के पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग के विनियम 12 के अनुसार असूचीबद्धता प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी।

ब) कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता उचित समय पर प्रस्ताव पत्र भेजेगा। कंपनी के इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग और कंपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक अगले कदम उठाएगी।

भ) सेबी के छूट पत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/डीसीआर3/पी/ओडब्ल्यू/2021/26908/1
दिनांक 04 अक्टूबर, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/डीसीआर3/पी/ओडब्लू/2023/2508/1
दिनांक 18 जनवरी, 2023 और SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1
दिनांक 02 मई, 2023 के माध्यम से प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं हैं।
इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

I डीलिस्टिंग के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट सेबी के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य विनियम (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम")। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिसमें सेबी से छूट प्राप्त की गई है, निम्नवत् हैं:

I. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अनुसार यह आवश्यक है कि कंपनी के निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होंगे।

II एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 के अनुसार यह आवश्यक है कि कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि शत-प्रतिशत प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता है| सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर अभौतिकीकृत रूप से उसी को बनाए रखा जाता है।

III एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 नियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) के नियम 19(2) और नियम 19ए नियम, 1957 जिसमें कंपनी को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताएँ, जैसा कि सेबी द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट किया जाता है, के अनुपालन करने की आवश्यकता है।

IV एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108 में स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है।

V. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार यह आवश्यक है कंपनी अनुपालन अधिकारी के रूप में एक योग्य कंपनी सचिव की नियुक्त करेगी।

II इसके अलावा, डीलिस्टिंग के विनियम 35(1) के तहत छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट की मांग की गई थी, 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की निवल संपत्ति के रूप में विनियम 50.24 लाख रुपये था जो कि भुगतान किए गए मानदंडों को पूरा करता था एवं शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी, जो कि सीमा से अधिक थी।

iii. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया के अन्तर्गत डीलिस्टिंग विनियम के विनियम 42 के तहत छूट को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

iv. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने और 90% या अधिक जनता की हिस्सेदारी रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की शेयरधारिता पर छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गयी है:

I. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेंगे। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियमन (2) के खंड (ई) के अनुसार निकास मूल्य की की गयी पेशकश सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए निर्धारित मूल्य से कम नहीं होगा।

II डीलिस्टिंग का प्रस्ताव के लिए अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट कराने के लिए, निकास मूल्य के साथ इसका औचित्य और इसके लिए उनकी सहमति मांगने जैसे अपने इरादे अवगत कराने के लिए लिखता है।

III रिवर्स बुक-बिल्डिंग विधि के माध्यम से निकास मूल्य से छुटकारा पाने के लिए सार्वजनिक शेयरधारकों को किया गया संचार विशेष रूप से प्रस्तावित मूल्य का औचित्य, लागू मापदंडों और विशेष रूप से संदर्भ उल्लेख करने के प्रस्ताव के लिए सहमति शामिल होगी।

IV इसके इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग के अनुसरण में, प्रवर्तक किसी भी शेष द्वारा प्रस्तुत शेयरों को स्वीकार करना जारी रखेगा तक के लिए ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक

डीलिस्टिंग की तारीख से 2 वर्ष की अवधि, उसी समय वह कीमत जिस पर पहले शेयरों की स्वीकृति की गई थी। वी. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, शेष जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा शेयरधारकों की सुरक्षा की जाती है और, उसी को आगे बढ़ाते हुए करेगा।

V प्रस्तावित प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, शेष जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा शेयरधारकों की सुरक्षा करेगा और, उसी को आगे बढ़ाते हुए निम्न बातें करेगा:

1. शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग का प्रस्ताव, शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को आमंत्रित करना, दो साल के दौरान प्रकाशित किया गये अवसर का लाभ उठाने के लिए त्रैमासिक आधार पर एक विज्ञापन प्रकाशित करेंगे, वह अखबार जिनमें सार्वजनिक घोषणा होती है।

2. तिमाही आधार पर सार्वजनिक शेयरधारकों को अनुवर्ती संचार भेजेंगे, और

3. स्टॉक एक्सचेंज में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें विनिमय(ओं), जिसे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित तरीके से खुलासा किया जाएगा:

क. तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या बतायी जाएगी: और
ख. तिमाही के दौरान बाहर निकलने का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

13. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

एमएचआई के पत्र क्रमांक एफ. नंबर **3(1)/2020-पीई-VI** दिनांक **28.01.2021** के अनुसार कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है। कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कंपनी पत्र में पुष्टि किए गए चरणों का पालन कर रही है। कंपनी बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

क. मिशन, विज़न और उद्देश्य

विज़न एसआईएल विज़न के लिए ई-मोबिलिटी पर अधिक जोर देने साथ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक संगठन के रूप में विकसित होना था।

मिशन एसआईएल का मिशन ई-मोबिलिटी में प्रवेश करके एसआईएल की उपस्थिति को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश करना और इस प्रकार स्वच्छ गतिशीलता प्रदान करना एवं भावी पीढ़ियों के लिए समाधान करना था।

उद्देश्य

- इलेक्ट्रिक के दो वेरिएंट का डिज़ाइन, विकास और व्यवसायीकरण, **3**-व्हीलर/बीएस-**VI 3**-व्हीलर का एक संस्करण।
- दो और वेरिएंट का डिज़ाइन, विकास और व्यवसायीकरण इलेक्ट्रिक **3**-व्हीलर/बीएस-**VI 3**-व्हीलर।
- ई-मोबिलिटी व्यवसाय का एकीकरण और बीएस-**VI 3**-पहिया वाहन बनाना, एसआईएल **3**-व्हीलर उद्योग में प्रभुत्व की ताकत है।
- इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में विशिष्ट बाजार बनाना।

हालाँकि, जैसा कि भारत सरकार ने पत्र संख्या **3 (1) 2020-PE-VI** दिनांक **28** जनवरी **2021** के माध्यम से किया है।
एसआईएल को बंद करने का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उपरोक्त मिशन, दृष्टिकोण और उद्देश्य हैं। अब इसे छोड़ दिया गया है।

ख. बाजार परिदृश्य-खंड/उत्पाद-वार प्रदर्शन

इस अवधि के दौरान कंपनी बंद हो गयी है। समीक्षाधीन कंपनी में तिपहिया वाहनों का कोई उत्पादन नहीं हुआ।

ग. भविष्य का दृष्टिकोण:

भारी उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक **3(1) 2020-PE-VI** दिनांक **28** तारीख के अनुसार
जनवरी **2021** में एसआईएल को बंद करने का आदेश दिया गया है इसलिए भविष्य का आउटलुक
कंपनी को उक्त आदेश के तहत परिभाषित चरणों का अनुपालन करना है।

घ. रणनीतिक रोड मैप:

भारी उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक **3(1) 2020-PE-VI** दिनांक **28** तारीख के अनुसार
जनवरी **2021** में एसआईएल को बंद करने का आदेश दिया गया, इसलिए कंपनी बंद हो गई
इस बाजार में खंड खिलाड़ी। इसलिए, कोई रणनीतिक रोडमैप नहीं है।

च. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता:

यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण की उचित और पर्याप्त प्रणाली है।
सही ढंग से संपत्तियों की निपटान के किसी भी अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध सभी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है और यह कि लेनदेन अधिकृत, दर्ज और रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करती है।
साथ ही वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए सभी नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन के लिए कंपनी ने जगह बना ली है
कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया और रिपोर्ट करने योग्य कोई सामग्री नहीं मिली। डिज़ाइन या संचालन में कमज़ोरी देखी गई.

छ. परिचालनात्मक समीक्षा बनाम वित्तीय समीक्षा

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का परिचालन निलंबित रहा
पत्र संख्या एफ. नं. **3(1)/2020-पीई-VI** दिनांक **28.01.2021** की शर्तों के अनुसार एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया हेतु पहल की गई है।

ज. मानव संसाधन/औद्योगिक में भौतिक विकास

31 मार्च **2023** को कंपनी की संबंध सामने और नियोजित लोगों की संख्या शून्य थी। एमएचआई के पत्र क्रमांक एफ. नं. **3(1)/2020-पीई-VI** दिनांक **28.01.2021** के माध्यम से कंपनी का परिचालन बंद कर दिया गया था और बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी। एसआईएल शुरू किया गया है. उक्त संचार के संदर्भ में सभी नियमित कर्मचारियों को संचार किया गया था और **29.04.2021** से कंपनी की नियमित ताकत शून्य है।

एच. वित्तीय अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अनुसूची V(बी) के अनुसार

(सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015] के अनुसार

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख वित्तीय अनुपात

महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण (अर्थात् की तुलना में **25%** या अधिक का परिवर्तन)

तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष) प्रमुख वित्तीय अनुपातों में, और विस्तृत स्पष्टीकरण, नीचे दिए गए हैं:

	2021-22	2022-23	परिवर्तन का कारण
संचालन लाभ	-1016.570.00	0.00	संचालन बंद होने के कारण और बकाया राशि का भुगतान
अंतर	-972.32	7.80	परिचालन बंद होने के कारण और बिक्री नीलामी से आगे बढ़ती है

(i) बी.आई.एफ.आर. के समक्ष स्थितिः

18.02.2010 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखा के अनुसार कम्पनी की नेटवर्थ पूर्णतया समाप्त हो जाने के उपरान्त रूग्ण औद्योगिक कम्पनियॉ (विषेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (सीका) की धारा 3 (1) (0) के प्रावधानों के अनुसरण मे बी.आई.एफ.आर. द्वारा कम्पनी को दिनांक 18 फरवरी 2010 को रूग्ण कम्पनी घोषित कर दिया गया है। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के पुनरूद्धार के लिए कैबिनेट द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर आवष्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए/राहत एवं छूट के लिए समुचित निर्देषन/अंषों को जारी करने/तुलन पत्र के पुर्ननिर्माण एवं पूंजी व्यय एवं कार्यषील पूॅजी के लिए कोष जारी करने के लिए कम्पनी द्वारा विविध आवेदन को बी.आई.एफ.आर. ने अनुमति दें दिया। पुनर्वास योजना का प्रारूप (डी. आर.एस.) भारतीय स्टेट बैंक (परिचालन अभिकरण) द्वारा बी.आई.एफ.आर. के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया था। बी0आई0एफ0आर0 ने अपनी 15.09.2015 की सुनवाई में निर्देषित किया है कि स्कूटर्स इण्डिया लि0 को सीका की धारा 3(1) (0) की परिधि से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इसकी नेटवर्थ सकारात्मक हो गयी है इसलिए इसको सीका/बी0आई0एफ0आर0 की परिधि से मुक्त किया जाता है।

13. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरणः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(c) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेषक पुष्टि करते है किः

(अ) 31 मार्च 2023 को समाप्त वार्षिक लेखा को तैयार करने में लागू मानको को अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित वांछनाओं, जिनका अनुपालन किया गया है के साथ पढ़ा जाय किसी प्रकार का भौतिक प्रस्थान नहीं है।

(ब) कि उन्होनें इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें सतत् लागू किया है एवं ऐसे निर्णय लिये है और आकलन किये हैं, कि वे तर्क संगत एवं वौद्धिक है, ताकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 के अंत में कम्पनी मामलो का सत्य एव निष्पक्ष दिग्दर्षन हो सके एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष में कम्पनी के लाभ एवं हानि का सत्य एवं निष्पक्ष ज्ञान हो सके।

(स) कि निदेषकों ने कम्पनी की सम्पत्तियों के परिपोषण एवं कपट के निवारण और अन्य अनियमिताओं के उद्घाटन के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्राविधान के अनुसार पर्याप्त लेख–अभिलेख रखे जाने के बारे में उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।

(द) उन्होंने कार्यरत संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

(य) उन्होंने कम्पनी द्वारा अनुपालन किये जाने वाले आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण को निर्धारित किया है एवं इस प्रकार के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण, उनकी बेहतर क्षमता एवं ज्ञान के अनुसार समुचित है एवं प्रभावी ढंग से काम कर रहे है।

(र) निदेषकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली एवं उपाय किया है एवं इस प्रकार की प्रणाली समुचित है एवं प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

14 निदेशकों, मुख्य प्रबन्धकीय कर्मिकों की नियुक्ति एवं सेवा निवृत्ति :

भारत सरकारए भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश सं.
एफ.नं.:3(23)/2012-पीई-VI- (भाग II), दिनांक 23 अप्रैल 2021 को श्री रूपेश तेलंग, जीएम, बीएचईएल, एफएसआईपी को एसआईएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 25 अप्रैल, 2021, को एक वर्ष की अवधि के लिए श्री रूपेश तेलंग को सीएमडी के रूप में उनके कार्यकाल को 24 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाने का आदेश मिला।

पत्र संख्या एफ संख्या 3(23)/2012-पीई-VI (वॉल्यूम) III)/सीपीएसई I, दिनांक 21.04.2023 भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 24 अप्रैल 2023 को श्री अमित श्रीवास्तव, जीएम, बीएचईएल, एफएसआईपी को एसआईएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक एफ.
क्रमांक 3(4)/2018-PE-VI दिनांक 27.08.2020, वर्ष के दौरान नियुक्त श्री मुकेश
कुमार को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में, श्री
मुकेश कुमार ने 29 अगस्त 2022 से अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।

एमएचआई के निदेशक श्री रमा कांत सिंह को अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में पूर्व निदेशक श्रीमती रितु पांडे के स्थान पर
भारत सरकारए भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभागए नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक एफ. क्रमांक 2- 03/2/2017-पीई-टए
दिनांक.10.11.2020. के अनुसार श्री अरुण कुमार दीवानए संयुक्त निदेशक भारी उद्योग मंत्रालय
(एमएचआई) और श्रीमती सुषमा बत्रा उप निदेशक एमएचआई को अंशकालिक के रूप में नियुक्त किया गया था।

18 मई 2023 को पत्र क्रमांक एफ क्रमांक 2 के अनुसार अगले आदेश तक एसआईएल बोर्ड पर श्री रमा कांत सिंहए निदेशक के स्थान पर आधिकारिक निदेशक 18 मई 2023 को पत्र क्रमांक एफ क्रमांक 2 के अनुसार अगले आदेश तक एसआईएल बोर्ड पर
भारत सरकारए मंत्रालय द्वारा जारी 03/3/2017-च्म्.टए दिनांक 18 मई 2023
भारी उद्योग विभागए नई दिल्ली।
भारत सरकारए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालयए
भारी उद्योग विभाग ने अपने आदेश संख्या 3(20)/2013 के तहत यह आदेश दिया है।
28.01.2020 को श्री महेंद्र प्रताप सिंह एवं श्रीमती राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया।
तीन साल की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक और दोनों ने इसे पूरा कर लिया था।
27 जनवरीए 2023 को गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल
वर्तमान में कंपनी में केवल एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं को एमएचआई द्वारा पत्र संख्या 3(20)/2013- के माध्यम से 02 नवंबरए 2021 से नियुक्त किया गया।

पीई- दिनांक 02 नवंबरए 2021 के अनुच्छेदों के साथ पठित अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अध्यक्षए श्री अमित श्रीवास्तवए सीएमडी रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे। आगामी एजीएम और पात्र होने पर खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करें। बोर्ड ने उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा की। बोर्ड उनकी पुनः नियुक्ति की सराहना करता है। कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार,

भारत सरकार समय-समय पर. प्रबंध का पारिश्रमिक

निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक का निर्धारण ग्रेड और अन्य नियम व शर्तों के अनुसार किया जाता है

डीपीई द्वारा जारी किया गया। कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक आकर्षित होते हैं।

उनका पारिश्रमिक भारत सरकार से मिलता है न कि कंपनी से।

स्वतंत्र निदेशकों, यदि कोई हो, को केवल बैठक शुल्क (सीमा के भीतर) का भुगतान किया जाता है

कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित), इसके अलावा, एसोसिएशन के लेखों के अनुसार

बैठक में भाग लेने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति. कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान सीएस समर्थ दवे को एक कंपनी के रूप में नियुक्त किया गया था। 20 जुलाई, 2021 से कंपनी के सचिव एवं अनुपालन अधिकारी,

01 अप्रैल, 2022 से बंद हो गया। सीएस प्रखर सर्वेयल एक कंपनी के रूप में काम करते थे।

12 अगस्त, 2022 से छोटी अवधि के लिए सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

30 अगस्त, 2022 सीएस रवि प्रकाश तिवारी, कंपनी सचिव के रूप में शामिल हुए।

अनुपालन अधिकारी 29 दिसंबर, 2022 से प्रभावी, हालाँकि समाप्त हो गया।

12 जुलाई, 2023 से प्रभावी। श्री राज शेखर तिवारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में बने रहेंगे।

कंपनी के अधिकारी जहां तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक का संबंध है उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य कर्मचारी, बोर्ड स्तर से नीचे के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति इस प्रकार की जाती है

कंपनी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है। जैसा

तदनुसार, निदेशकों की नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी नोट किया जा सकता है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से यह कहा है

सरकारी कंपनियों को धारा 178(2), (3) और(4) के प्रावधानों में छूट, जिसके लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करने की सकारात्मक आवश्यकता है।

15 बोर्ड की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेषक मण्डल की 13 बैठके हुई है जिसका विवरण निकाय शासन आख्या में दिया गया है जो कि इस वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है। दो बैठकों के बीच का अन्तर कम्पनी अधिनियम 2013 एवं लिस्टिंग करार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार है।

16 **ऊर्जा संरक्षण तकनीकी समाहन विदेषी मुद्रा आय तथा व्ययः** आपकी कम्पनी आई0एस0ओ0 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त कम्पनी है, जो कि गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली पर केन्द्रित है। कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समाहन एवं विदेषी मुद्रा आय एवं बहिर्प्रवाहों से सम्बन्धित सूचनायें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(m) के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–1, 1–A एवं 1–B में दी गयी। कम्पनी नियम (लेखा) 2014 के साथ पढ़ा जाय।

17 कर्मचारियों का विवरणः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अन्तर्गत सूचना, नियम 2014 की धारा 5(2) के साथ पढ़ा जाय (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) को शून्य समझा जाय जैसा कि कम्पनी का कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं पा रहा है।

18 **औद्योगिक संबंधः**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, औद्योगिक संबंध बड़े पैमाने पर संतोषजनक रहे हैं।

यदपि गैर-नियमित कर्मचारी **[ATTs/Cont. (JT)]** अपनी सेवाओं की सुरक्षा के लिए विरोध करता रहा है और मंत्रालय से क्लोजर गतिविधि में सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।

19. मानव संसाधन विकास:

भारी उद्योग विभाग (एमएचआई) द्वारा पत्र संख्या 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28/01/2021 के माध्यम से जारी नोटिस के कारण कंपनी का सारा परिचालन उक्त पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। उक्त नोटिस के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारी/ अधिकारी को सूचित कर दिया गया है।

20. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि:

कंपनी का संचालन बंद है, इसलिए कोई कर्मचारी नहीं है। 31.03.2023 को कंपनी की कुल ताकत शून्य है।

21 स्वतन्त्र निदेशक की घोषणा

दो स्वतंत्र निदेशक श्रीमती राकेश शर्मा और श्री एम.पी. सिंह को कंपनी के बोर्ड के अनुसार दिनांक **28.01.2023** को कार्यकाल की समाप्ति पर कार्य मुक्त कर दिया गया है। धारा **149(7)** की आवश्यकता के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की ओर से कंपनी को एक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों कंपनी (नियुक्ति) के नियम **5** के साथ

पठित धारा **149(6)** के तहत निदेशकों की योग्यता) नियम, **2014** और सेबी के विनियमन **25** (सूचीबद्धता) एवं दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, **2015** के अनुसार वे मानदंडों को पूरा करते हैं। अधिनियम की धारा **149** और विनियम **16** के तहत निर्धारित स्वतंत्रता, लिस्टिंग विनियम **2015, (**बी) उन्हें किसी भी परिस्थिति या स्थिति की जानकारी नहीं है। जो किसी उद्देश्य के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को ख़राब या प्रभावित कर सकता है। स्वतंत्र निर्णय और बिना किसी बाहरी प्रभाव के उनके पास है। स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में अपना नाम दर्ज कराया है। आगे, बोर्ड की राय के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। लिस्टिंग विनियम **2015** के तहत प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। कंपनी में वित्तीय वर्ष **2022-23** को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई। यह बैठक अध्यक्ष, कार्यकारी की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी।

22. स्वतन्त्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति पर घोषणाः

वर्ष 2022-23 के दौरान एसआईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की कोई नियुक्ति नहीं की गई और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई पुनर्नियुक्ति नहीं की गई। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

23 निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक, कम्पनी की नीति, योग्यता एट्रीब्यूट्स स्वतन्त्रता इत्यादि के लिए कसौटी सहितः

कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा, DPE के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है। प्रबन्ध निदेशक का पारिश्रमिक का निर्धारण उनका वेतनमान एवं अन्य नियम एवं शर्ते लोक उद्यम मन्त्रालय द्वारा जारी की जाती है। कम्पनी के निदेशक मण्डल में उपस्थित सरकारी निदेशक भारत सरकार से अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते है न कि कम्पनी से। स्वतन्त्र निदेशक को बैठक में उपस्थिति के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा आर्टीकल ऑफ असोसिएशन के अनुसार केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों का किसी अन्य प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के सम्बन्ध में, सभी बोर्ड लेवल से नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति कम्पनी की भर्ती एवं प्रोन्नति नीति के अनुसार की जाती है तथा पारिश्रमिक का भुगतान लोक उद्यम मन्त्रालय के दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाता है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (NRC) का गठन किया गया है। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तदनुसार, निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को धारा 178 (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट दी है जिसमें निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन और नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता होती है।सेबी एलओडीआर के तहत सेबी से भी इसी तरह की छूट की उम्मीद है। पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामले, यदि कोई हों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति को रखे जाते हैं।

24. निदेशक मण्डल, इसकी कमेटी एवं बोर्ड, इसकी कमेटी एव निदशकों के कार्य सम्पादन का वार्षिक मूल्यांकनः

भारत सरकार के निर्णय के पत्र क्रमांक. एफ. नं. 3(1)/2020-पीई-VI दिनांकित 28.01.2021 को एमओयू वार्ता से संबंधित प्रावधानों को बंद करने के संबंध में अगले वर्ष के लक्ष्यों और उसके मूल्यांकन के संबंध में लागू नहीं हैं।

25. निदेशकों के गुण, योग्यताएं एवं स्वतन्त्रता एवं उनकी नियुक्ति

सरकारी कम्पनी होने के नाते गैर अधिशाषी निदेशकों को व्यापार/वित्त/कानून/लोग प्रशासन एवं उद्यम में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से लिया गया है। आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल की विविधता नीति को बोर्ड के कौशल अनुभव एवं दृष्टिकोण की विविधता के सन्तुलन की जरूरत है। एवं कम्पनी के लिए उपयुक्त है। निदेशकों के कौशल, विशेषता और दक्षता जैसा कि बोर्ड द्वारा पहचान की गयी है उन्हें निकाय शासन की अंशभूत बनी रिपोर्ट एवं लेखा में प्रदान किया गया है। आपकी कम्पनी में आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन में प्रदान किया गया है कि बोर्ड की संख्या तीन से कम नही होगी और न ही प्रन्द्रह से ज्यादा होगी। निदेशकों की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति तीन से लेकर पॉच वर्षो तक की अवधि के लिए सदस्यों के अनुमोदन के साथ की जाती है। अथवा उससे कम अवधि के लिए, जोकि सेवा निवृत्ति के दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं जैसा कि समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाये। सभी निदेशकों, स्वतन्त्र निदेशकों एवं प्रबन्ध निदशक के अलावा चक्रीय क्रम में सेवा निवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होते है अनयथा जब तक सदस्यों द्वारा अनुमोदन न हो। एक तिहाई निदेशकों जो चक्रीय क्रम में सेवा निवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं हर वर्ष सेवानिवृत्त होते है एवं पुनः चुने जाने के लिए अर्ह होते हैं।

26. बोर्ड का मूल्यांकन

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के विश्वास को ध्यान में रखते हुए कि यह बोर्ड की सामूहिक प्रभावकारिता है कि कम्पनी के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है सम्पूर्ण बोर्ड का सामूहिक कार्यनिष्पादन प्राथमिक मूल्यांकन का प्लेटफार्म है।

बोर्ड के कार्यनिष्पादन का आकलन बोर्ड की भूमिका एवं जिम्मेदारियों से किया जाता है जैसा कि अधिनियम एवं लिस्टिंग रेगुलेशन–2015 में प्रदान किया गया है कम्पनी की निकाय शासन नीति के साथ पढ़ा जाये। बोर्ड के लिए पैरामीटर, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन बोर्ड की मुख्य भूमिका से लेकर ट्रस्टीशप तक के लिए किया गया है। दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ कम्पनी की पर्यवेक्षण रणनिति के द्वारा शेयर धारकों के मूल्यों की रक्षा करना एवं बढ़ाना बोर्ड की कमेटी के कार्यों का मूल्यांकन कमेटी के सदस्यों के साथ वार्ता के आधार पर किया जाता है एवं सम्बन्धित कमेटी के चेयरमैन द्वारा बोर्ड के साथ साझा करके किया जाता है। व्यक्तिगत निदशक के रूप में प्रत्येक निदेशक द्वारा निभाई गयी भूमिका सरकार करने में बोर्ड की सहायता करता हैं कम्पनी के कामकाज में अपने उद्दष्यों एवं लक्ष्यों की तलाष करते हुए मूल्यांकन करता है। व्यक्तिगत निदेषकों का मूल्यांकन निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के क्रम में अज्ञात रूप से निर्धारित पैरामीटर से लाया गया था।

स्वतन्त्र निदशकों की अनुपस्थिति में, गैर स्वतन्त्र निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए केवल स्वतन्त्र निदेशकों की बैठक नही बुलाई जा सकती है। एवं बोर्ड, अधिनियम की अनुसूची–IV के अनुसार एवं लिस्टिंग रेगुलेषन 2015 के रेगुलेषन 25 के अनुसार कार्य करेगा। स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 में तत्कालीन स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए अधिनियम की अनुसूची IV और लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियमन 25 के अनुसार आयोजित की गई थी।

27 चालू संस्थान स्तर

डीएचआई के पत्र संख्या F. No. 3(1)/2020-PE-VI दिनाँक 28.01.2021 के माध्यम से कंपनी के संचालन को रोक दिया गया था और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चालू है और दिए गए निदेशों के अनुसार आवश्यक कदम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा उक्त नोटिस के अनुपालन में वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकांश संपत्तियों की नीलामी की गई है।

28 **प्रबन्ध निदेशक, कमीशन अथवा पारिश्रमिक, धारक अथवा अनुषंगी कम्पनी द्वारा प्राप्त करते है:**

कम्पनी के पास कोई धारक अथवा अनुषंगी कम्पनी नहीं है इसलिए लागू नहीं है।

29 **आन्तरिक नियन्त्रण की उपयुक्तता :**

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के पास परिसम्पत्तियों के अनधिकृत प्रयोग अथवा निस्तारण के लिए सभी गतिविधियों के अनुश्रवण एवं नियन्त्रण सुनिष्चित करने के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली है और लेन–देन अधिकृत अभिलिखित एवं सही ढ़ग से प्रस्तुत किये गये है। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड सभी आन्तरिक नियन्त्रण नीतियों तथा प्रक्रियाओं, साथ ही साथ सभी नियामक दिषा निर्देषों के अनुपालन को सुनिष्चित करती हैं। कम्पनी के पास वित्तीय अभिकथनों से संदर्भित समुचित आन्तरिक नियन्त्रण है। कम्पनी के सांवधिक लेखा संपरीक्षकों ने इस तरह के नियन्त्रणों का परीक्षण किया है तथा परिकल्पना अथवा परिचालन में कोई साम्रगी कमजोरी रिपोर्ट करने योग्य नही पायी गयी है।

(i) **कपट की रिपोर्ट:**

आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी कपट की सूचना नही है जिसे सांविधिक लेखा सपंरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(12) के अर्न्तगत एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आडिट कमेटी/बोर्ड में रिपोर्ट करने की आवष्यकता है।

30 **सावधि जमा:**

कम्पनी ने वर्ष में कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत (जमा स्वीकृती) कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।

31 **लेखा संपरीक्षकों की आख्या:**

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2021–2022 के लिए मेसर्स असिजा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी को कम्पनी का सांविधिक लेखा संपरीक्षक नियुक्त किया गया **था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए**

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एस श्रीवास्तव एंड कंपनीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त किया गया है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा संपरीक्षकों की कम्पनी के लेखा पर आख्या **अनुलग्नक–2** में संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक महालेखा संपरीक्षकों का उनकी आख्या **अनुलग्नक–3** में संलग्न है।

लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रबंधन के उत्तर अनुबंध-3क में दिए गए हैं।

32 **सांविधिक लेखा संपरीक्षक:**

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने मेसर्स **एस. श्रीवास्तव** एण्ड **कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को वर्ष 2022–23 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा संपरीक्षक नियुक्ति किया है।

33 **निकाय शासन:** आपकी कम्पनी, लिस्टिंग रेगुलेषन के चैप्टर IV के अन्तर्गत यथा निर्धारित निकाय शासन के सभी लागू प्रावधानों को अनुपालन करती है। लिस्टिंग रेगुलेषन में यथा वांछित निकाय शासन की एक विस्तृत रिपोर्ट अलग से एक अनुभाग में प्रदान की गयी है। एवं वार्षिक प्रतिवेदन का एक हिस्सा हैं।

कम्पनी के लेखा संपरीक्षक मेसर्स आसिजा एण्ड एसोसिएट का सेबी लिस्टिंग अधिनियम 2015 के अधिनियम 34(3) के अन्तर्गत निर्धारित निकाय शासन की शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र निकाय शासन की आख्या के साथ अनुलग्नक 4 एवं 4 ए के तौर पर इस आख्या के साथ संलग्न ळें

34 सचिवालय संपरीक्षकः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अन्तर्गत यथा वांछित तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार वर्ष 2022–23 के लिए मेसर्स अमित गुप्ता एण्ड एसोसिएट, प्रैक्टिंसिंग कम्पनी सेक्रेटरी को कम्पनी का सचिवालय सम्परीक्षक नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सेक्रेटेरियल आडिट रिपोर्ट MR–3 के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट का भाग हैं एवं **अनुलग्नक–5** पर रखी गयी है। उपरोक्त रिपोर्ट में टिप्पणियों, योग्यताओं के बारे में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कम्पनी ने स्वतन्त्र निदेशकों/महिला निदेशकों की नियुक्ति का मामला कम्पनी ने DHI को सौपा है। उपरोक्त नियुक्ति के लिए निदशक मण्डल, कम्पनी अधिनियम 2013 एवं लिस्टिंग करार के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड का गठन करेगा एवं विभिन्न कमेटियों जैसे कि आडिट कमेटी, नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी इत्यादि का भी गठन करेगा। इसके उपरान्त कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रार कानपुर को आवष्यक रीटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में लगी है।

35 सचिवालयीन मानक

निदेशकों का कथन है कि लागू सचिवालयीन मानक SS-1 & SS-2 जो कि निदेशक मण्डल कि बैठक एवं सामन्य बैठक से सम्बन्धित है का अनुसरण किया गया है।

36 सलाह एवं सामग्री आदेश :

डीएचआई के पत्र संख्या F. No. 3(1)/2020-PE-VI दिनाँक 28.01.2021 के माध्यम से कंपनी के संचालन को रोक दिया गया था और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चालू है और दिए गए निदेशों के अनुसार आवश्यक कदम लागू किए जा रहे हैं। नियामकों अथवा न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा कोई सलाह एवं सामग्री आदेश पास नहीं किया गया है जो कि भविष्य में चालू संस्थान के स्तर एवं कम्पनी के परिचालन को प्रभावित कर सके।

37 सम्परीक्षा कमेटी एवं सतर्क तन्त्रः

भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्र निदशकों की नियुक्ति न करने को दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी के पास कोई सम्परीक्षा कमेटी नहीं है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (1) की वांछनाओं के अनुसरण में है तथा इसे सेबी के रेगुलेशन 18 लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 एवं पूर्व करार की धारा 49 एवं कम्पनी नियम 2014 (बोर्ड की बैठक एवं इसके अधिकार) के नियम (6) के साथ पढ़ा जाय।

लिस्टिंग करार की शर्तो के अनुसार, कम्पनी का सतर्क तन्त्र, जो कि व्हीसिल ब्लोवर पालिसी भी बनाता है जिस पर कम्पनी की वेबसाइट http://www.scootersindia.com के लिंक से पहुॅचा जा सकता है। इस पालिसी में व्हीसिल आफिसर की नियुक्ति भी सम्मिलित है। जो कि कन्डक्ट विवरण जॉच एवं समुचित अनुषासनिक कार्यवाही करेगा। व्हीसिल ब्लोवर द्वारा संरक्षित घोषणाएॅ ई–मेल अथवा समर्पित टेलीफोन लाइन अथवा पत्र द्वारा व्हीसिल ब्लोवर आफिसर को भेजी जा सकती है। आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी को व्हीसिल ब्लोवर आफिसर तक जाने के लिए मना नहीं किया गया था।

38 वार्षिक रीटर्न का सार संक्षेपः

कम्पनी का वार्षिक रीटर्न कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.scootersindia.com. पर उपलब्ध है।

39 <u>पारिश्रमिक का माध्यिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अनुपात एवं अन्य घोषणा:</u>

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के मध्य कर्मचारियों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। (अनुबंध-8)।

40 **<u>ऋणों, गारन्टी अथवा निवेश का विवरण:</u>**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) की वांछनाओं के अनुसार ऋण का विवरण, दिया गया निवेश, दी गई गारन्टी अथवा प्रतिभूति के साथ–साथ उद्देष्य जिसके लिए ऋण अथवा गारन्टी अथवा प्रतिभूति प्रस्तावित है। जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया है, को वित्तीय विवरण की पृष्ठ संख्या–71 पर दिया गया है, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 जिसे कम्पनी नियम 2014 के नियम 11 के साथ पढ़ा जाना चाहिए में निर्धारित सीमा का अनुपालन करती है। (बोर्ड की बैठकें एवं इसके अधिकार)

41 **<u>संबंधित पार्टियो के साथ किये गए अनुबंध या व्यवस्था का विवरण::</u>**

ठेकेदारो अथवा सम्बन्धित पार्टियों के साथ किये प्रबन्ध का विवरण वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सभी संविदाओ, प्रबन्ध, लेन देन, सम्बन्धित पार्टियों के साथ सामान्य कामकाज के लिए गये थे एवं अपनी क्षमता के आधार पर किये गये है।

सम्बन्धित पार्टियों के साथ अनुबन्ध या व्यवस्था के विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 188(1) में संदर्भित है। अधिनियम की धारा 134(3)(h) के अन्तर्गत यथा वांछित, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाये निदेषकों की आख्या में फार्म AOC 2 में अनलग्नक –9 में प्रस्तुत किया गया है।

बोर्ड ने सम्बन्धित पोर्टियों के साथ लेन–देन से निपटने के लिए एक नीति अपनाई है नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित वेब लिंक में कम्पनी की वेबसाइट www.scootersindia.com पर देखा जा सकता है।

42 <u>जोखिम प्रबन्धन:</u>

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का लक्ष्य, सम्पूर्ण कम्पनी के लिए जोखिम प्रबन्ध के लिए संगठित एवं प्रणालीबद्ध पहुॅच रखना है। यह कम्पनी में मुख्य जगहों पर जोखिम के लिए यथासम्भव पारदर्षिता बढ़ाने के अनुक्रम में प्रेरणा ज्ञान एवं अनुभव शेयर करती है। यह पहुॅच जोखिम के बारे में जागरूकता में वृद्धि एवं प्रबन्धन की प्रतिदिन की गतिविधियों में हिस्से के तौर पर जोखिम के लिए समुचित प्रबन्ध सुनिष्चित करती है।

जोखिम प्रबन्धन की पालिसी को कम्पनी की वेबसाइट लिंक पर देखा जा सकता है। कम्पनी की जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया का उद्देष्य है, प्रमुख जोखिमों एवं अनिष्चितताओं की पहॅचान करना, प्रमुखता, मैंगो मानीटर, एवं रिपोर्ट करना, जो कि कम्पनी की नीतिगत उद्देष्यों को प्राप्त करने एवं सामर्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। कम्पनी ने जोखिम प्रबन्धन के लिए अनेकों पहल किया है जिसमें संपरीक्षा कार्यवाही, जोखिम की पहॅचान करना, जोखिम के लिए जागरुकता, जोखिम के लिए अधिकतम उपाय, आन्तरिक नियन्त्रण के लिए सक्षम प्रबन्धन, एवं विष्वसनीय गतिविधियॉ सम्मिलित हैं।

43 <u>लिस्टिंग:</u>

कम्पनी BSE Limited में लिस्टेड है एवं नेषनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) एवं सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) दोनों से सम्पर्क रखती है। दिल्ली स्टाक एक्सचेन्ज लिमिटेड दिल्ली, SEBI के आदेष दिनॉक 19 नवम्बर 2014 द्वारा de-recognized कर दी गयी है। कम्पनी ने स्टाफ एक्सचेन्ज को बकाया शुल्क का भुगतान कर दिया है।

44 निकाय सामाजिक उत्तरदायित्व

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, विकास को सतत् बनाये रखने में प्रबल विष्वास रखती है एवं अपने परिचालन एवं परिचालन प्रोन्नति को बनाये रखते हुए सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों के पथ पर चलते रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार वे सभी कम्पनियाँ जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ अथवा अधिक, अथवा 1000 टर्नओवर अथवा अधिक अथवा निवल लाभ रु0 5 करोड़ अथवा अधिक है वर्ष के दौरान बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की एक कारपोरेट सोसल रिस्पान्सिबिलीटीज (CSR) कमेटी बनायेंगी, जिसमें तीन डाइरेक्टर्स अथवा इससे अधिक शामिल होंगे जिसमें कम से कम एक डाइरेक्टर स्वतन्त्र डाइरेक्टर होगा इस प्रकार की कम्पनियाँ अपने तत्काल विगत तीन वर्षो के निवल लाभ का 2% अनुपात में CSR गतिविधियों पर खर्च करेंगी। **लगातार घाटे में रहने के कारण** कम्पनी ने कारपोरेट सोसल रिसपान्सिबिलिटी की मद में कोई व्यय न करने का निर्णय लिया है।

45 सतर्कता मामले

डीओपीटी के दिनांक **66/1/2018-ई-ओएमएम(सीवीओ)** के माध्यम से एसीसी अनुमोदन के अनुसार **11** अक्टूबर, **2019** को श्री अशोक माहेश्वरी, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) जयपुर को इसके लिए स्कूटर्स इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) पद का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया था। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ अपने मौजूदा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परे **13.09.2019** से उनके कार्यकाल की समाप्ति तक अर्थात **30.04.2020** तक या नियुक्ति तक एसआईएल में नियमित सीवीओ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। उक्त की समाप्ति के बाद स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए कार्यकाल के लिए कोई सीवीओ नियुक्त नहीं किया गया है। तदनुसार, भारी मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.नं.**26(1)/2016PE-VI** दिनांक **24** जनवरी **2018** के अनुसरण में सतर्कता मामलों के संबंध में सीवीओ की रिपोर्ट एक वर्ष के लिए प्राप्त कर ली गयी है।

जनसूचना अधिकार केसेज

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मन्त्रालय, भारी उद्योग विभाग के आदेष संख्या F.No. 26(1)/2016 PE-VI दिनांक 24 जनवरी, 2018 के अनुसार में वर्ष के दौरान कमेटी RTI मामलों सहित संस्तुति प्रदान करती है। आख्या निम्नवत् हैः

वित्तिय वर्ष 2022–23 में RTI केसों की स्थिति

	वित्तीय वर्ष 2021– 2022 में प्राप्त आवेदन	अन्य लोक प्राधिकारियों हस्तान्तरित केसों की संख्या	निर्णय जहाँ पर अनुरोध/अपील निरस्त की गयी	निर्णय जहाँ पर अनुरोध/अपील स्वीकार की गयी	वित्तिय वर्ष 2021– 2022 में निस्तारित केस	लम्बित केस
अनुरोध	2	2	NIL	NIL	2	0
प्रथम अपील	NIL	NIL	NIL	NIL	0	NIL
द्वितीय अपील	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

46 कार्यस्थल महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अनुसार घोषणा

(Prevention, Prohibition and Redressal) Act-2013 यौन उत्पीड़न के मामले में कम्पनी के पास हमेषा कठोर नीति रही है। एवं इस मामले में शून्य सहिष्णुता है। कम्पनी अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिष्चित करती है। कम्पनी के लिए कर्मचारी एवं प्रबन्धन प्रमुख घटक है। कम्पनी (Prevention, Prohibition and Redressal) अधिनियम 2019 के अन्तर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से

सुरक्षा के लिए आन्तरिक शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया है जो कि आपकी कम्पनी के सभी मामलों अथवा इनसे सम्बन्धित घटनाओं पर निपटने का कार्य करती है। 40 वर्षो के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना रिपोर्ट नही की गयी हैं वर्ष 2022–2023 के दौरान भी कोई भी यौन उत्पीड़न की शिकायत नही प्राप्त हुई है।

47. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण:

01 जनवरी 2023 से प्रभावी, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हो गया है

लखनऊ-कानपुर रोड (16वां माइल स्टोन), सरोजनी नगर, लखनऊ से स्थानांतरित-

226008 से 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर

प्रदेश, भारत.

48. सामान्य

आपके निदेशकों का कथन है कि निम्न मामलों पर कोई भी घोषणा अथवा रिपोर्ट करने की आवष्यकता नही है। जैसा कि आलोच्य वर्ष के दौरान इन मदों में कोई लेन–देन नही हुआ है।

- अधिनियम के V अध्याय के अन्तर्गत कवर्ड जमा से सम्बन्धित विवरण।
- डिविडेन्ट वोटिंग या अन्यथा के रूप में डिफेरेन्सियल राइट्स के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- कम्पनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयर सहित) कर्मचारी स्टाफ विकल्प योजना सहित किसी भी स्कीम के अन्तर्गत हों।
- कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कम्पनी के पास धन का प्रावधान नही है।
- कम्पनी न तो मैनेजिंग डाइरेक्टर और नही पूर्ण कालिक निदेषक अपनी किसी भी सबसिडरी से न तो परिश्रामिक लेता हैं और नही कमीषन लेता है।
- रेगूलेटर कोर्ट अथवा ट्रिबुनल द्वारा कोई सिगिनीफिकैन्ट अथवा सामग्री आदेष पास नही किये गये है जो कि कम्पनी के चालू संस्थान स्तर एवं कम्पनी के भविष्य के परिचालन को प्रभावित करते हों।
- सम्परीक्षकों द्वारा संपरीक्षा में कोई कपट नही रिपोर्ट किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत किए गए आवेदन या किसी भी कार्यवाही का कोई विवरण लंबित नहीं है क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के दौरान किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर के विवरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से उनके साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

49. आभारः

निदेशक मण्डल बैंकरों वित्तीय संस्थानों, डीलरों व आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये निष्ठापूर्ण समर्थन व सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक गण भारत सरकार, विशेषतया भारी उद्योग विभाग राज्य सरकार, बी0आई0एफ0आर, बी0आर0पी0एस0ई0, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रति भी उनके सतत् सहयोग समर्थन और **मार्गदर्शन** के लिए हार्दिक धन्यवाद देतें है।

निदेशक गण कर्मचारियों के योगदान, समर्पित सेवाओं की प्रषंसा करतें है। निदेशकगण आपके विश्वास व भरोसे के लिए आप सब अंशधारियों के प्रति कृतज्ञता समर्पित करते है।

कृते निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

अमित श्रीवास्तव
DIN: 10141867
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
लखनऊ

स्थान : **लखनऊ**
दिनांक : 09.11.2023

अनुलग्नकः 1

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समाहन एवं विदेशी विनिमय का विवरणः

ऊर्जा संरक्षण घोषणाः

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समाहन, विदेशी विनिमय, आय एवं बर्हिगमन कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत यथावांछित, कम्पनी (लेखा) नियम 2014 अतिरिक्त सूचना के रूप में नीचे दिया गया है। उसके साथ पढ़ा जाये।

I. ऊर्जा संरक्षण :

मंत्रालय के पत्र दिनांक 28/01/2021 के अनुसार सभी वाणिज्यिक परिचालन बंद हो चुके हैं। कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए शक्ति और ईंधन की खपत केवल वर्ष के दौरान प्रशासनिक गतिविधियों तक ही सीमित है। ऊर्जा बचत के लिए लाइटों का उपयोग करके खपत को न्यूनतम रखा जाता है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 1ए में दिया गया है।

II. प्रौद्योगिकी अवशोषण:

प्रौद्योगिकी अवशोषण में किए गए प्रयास अनुबंध 1-बी में संलग्न हैं।

III. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

निर्यात के संबंध में प्रयास एवं पहल:

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शून्य की तुलना में 2022-23 में माल के निर्यात के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा शून्य थी|

<u>अनुलग्नकः 1–अ</u>

ऊर्जा संरक्षण के विवरण की घोषणा हेतु प्रपत्र

क्रम0 स0	विवरण	2021–2022	2022–2023
अ	**विद्युत एवं ईंधन की खपत**		
1.	**विद्युत**		**1618166**
	अ) क्रय	8776248	
	इकाई*		
	कुल राषि(रू0)	947759	**174184**
	दर / इकाई (रू0)	9.26	9.26
	ब) अपना उत्पाद		शून्य
	i. डीजल जनरेटर द्वारा इकाई*	शून्य	शून्य
	डीजल तेल की प्रति लीटर इकाई	शून्य	शून्य
	लागत / इकाई (रू0)	शून्य	शून्य
	ii. स्टीम टरबाइन / जनरेटर द्वारा इकाई*		
	डीजल तेल की प्रति लीटर इकाई		
	लागत / इकाई (रू0)		
2.	**कोयला**		
	मात्रा (टन)		
	कुल लागत		
	अनुपात दर		
3.	**अ) फर्नेस तेल**		
	मात्रा (टन)		
	कुल राषि(रू0)		
	औसत दर प्रति किग्रा0(रू0)		
	ब) लाइट डीजल तेल	शून्य	शून्य
	मात्रा (किला लीटर)	शून्य	शून्य
	कुल राषि(रू0)	शून्य	शून्य
	औसत दर प्रति किग्रा0(रू0)		
4.	**अन्य / आन्तरिक उत्पाद**		
	(कृपया ब्यौरा दें)		
	मात्रा		
	कुल लागत		
	दर / इकाई		
ब	**उत्पाद की प्रति इकाई खपत**		

विवरण	मानक (यदि कोई हो)	2021–2022	2022–2023
उत्पादन (संख्या में)	शून्य	.	.
विद्युत (इकाई)	–	–	
फर्नेष तेल (टन)	–	–	
लाइट डीजल तेल (कि0ली0)	–		
कोयला (विनिर्दिष्ट गुणवत्ता)	–		
अन्य (विनिर्दिष्ट)	–		

*इकाई अंकित, के0डब्लू0एच0

क्योकि उत्पादन की कम संख्या के **कारण उच्च के.डब्लू.एच. / वेहिकल

<u>अनुलग्नक–1–ब</u>

<u>अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0)</u> **01** विशिष्ट क्षेत्र जिसमें आर एंड डी (आर एंड डी) द्वारा किया गया इलेक्ट्रिक वाहन का सफल विकास		
1.	निश्चित क्षेत्र जिसमें कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया गया।	• मंत्रालय के पत्र दिनांक 28/01/2021 के अनुसार सभी वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया गया है और कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है. इस तरह कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधि, प्रौद्योगिकी नहीं है| अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार संबंधी वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संचालित गतिविधि।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ लाभ	
3.	भविष्य के लिये कार्य योजना	
4.	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय(रू0 में) अ) पूंजी ब) सतत्	
	स) योग	
	द) कुल काम काज में प्रतिषत के तौर पर कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

1.	तकनीकी समाहन अनुकूल और पुनर्वेषण की दिशा में किया गया प्रयास संक्षेप में।	मंत्रालय के पत्र दिनांक 28/01/2021 के अनुसार सभी वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया गया है और कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है. इस तरह कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधि, प्रौद्योगिकी नहीं है। अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार संबंधी वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संचालित गतिविधि।
2.	वर्तमान उत्पाद में उपरोक्त किये गये सुधार के परिणाम स्वरूप लाभ जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास इत्यादि।	
3.	आयातित प्रौद्योगिकी (इस वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ करके पिछले 5 सालों के दौरान आयातित की गयी) के विषय में निम्नलिखित सूचना दी जाये: अ) आयातित प्रोद्योगिकी ब) आयात का वर्ष स) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह समाहन की गयी है? यदि पूरी तरह समाहन नहीं की गयी तो वे क्षेत्र जिसमें ऐसा नहीं हुआ हैं, ऐसा न होने के कारण और भविष्य की कार्य योजना।	

अनुलग्नक–2

एस. श्रीवास्तव एन्ड कं.,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
2/165, विजय खन्ड गोमती नगर,
लखनऊ 226010

स्वतन्त्र लेखा संपरीक्षकों की आख्या

सेवा में,

सदस्यगण

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड,

लखनऊ

स्टैन्डलोन Ind A.S वित्तीय विवरण की सम्परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य मत

हमने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (“कंपनी”) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है जिसमें 31 मार्च 2023 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और लाभ और हानि का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट (अन्य व्यापक आय सहित), परिवर्तनों का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट शामिल है। इक्विटी और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (एक साथ "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के आधार के तहत वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं।) आवश्यक तरीके से और 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, और इसके लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें। उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह।हमने स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न वित्तीय विवरण की संपरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त तुलन पत्र, एवं वर्ष के अन्त में लाभ हॉनि एवं नगदी प्रवाह का विवरण एवं लेखा नीतियों के महत्वपूर्ण सारांष एवं अन्य स्पष्ट सूचनाए शामिल हैं।

योग्य मत के आधार

हमने अपना आडिट कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट स्टैन्डर्ड आन आडिट (SAs) के साथ नियमानुसार किया है। उन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियॉ हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए आगे सम्परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित है। चाटर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया द्वारा नैतिक आवष्यकताओं द्वारा जो कि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट की हमारी संपरीक्षा से सम्बन्धित है एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत है उसके लिए हम नियमानुसार स्वतन्त्र है एवं हमने नियमानुसार इन जरूरतों के साथ एवं कोड आफ एथिक की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विष्वास है कि जो आडिट साक्ष्य हमने प्राप्त किये है वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त एवं समुचित है।

मामले का ज़ोर:

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. नोट संख्या 1 के बिंदु संख्या 2(ii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी बंद हो गई है। वर्तमान में कंपनी का चालू इकाई और वित्तीय विवरण वर्ष 2022-23 को "नॉन गोइंग कंसर्न आधार" पर तैयार किया गया है।
2. नोट संख्या 1 के बिंदु संख्या 2(x) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी द्वारा 31.03.2021 के बाद भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयता के विरुद्ध कोई योगदान नहीं किया है।
3. व्यापार देय के संबंध में नोट संख्या 21 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
रुपये 533.14 लाख, नाम और संबंधित देय राशि का विवरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।
न ही कंपनी द्वारा ऑडिटर के सामने पेश किया गया।
4. अग्रिम और जमा (अन्य) के संबंध में नोट संख्या 23 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वर्तमान देनदारियाँ) रु. 33.79 लाख, नाम और संबंधित राशि का विवरण कंपनी द्वारा देय राशि का न तो पता लगाया जा सकता है और न ही ऑडिटर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
5. विभिन्न आकस्मिक देनदारियों के संबंध में नोट संख्या 36 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिबद्धताओं, आंकड़े और आज की तारीख तक शामिल राशि न तो अद्यतन है और न ही प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव पड़ा।
6. भारत सरकार से ऋण की मंजूरी के संबंध में नोट संख्या 46 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि
वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान रूपये 20.00 करोड़ प्राप्त हुए, जिसको कंपनी ने भुगतान कर दिया है। केवल 4.00 करोड़ और शेष 16.00 करोड़ का भुगतान नहीं किया। कंपनी द्वारा सरकार को देय
शेष रूपये 57.00 करोड़ है।
7. कृपया नोट संख्या 46 की ओर ध्यान आकर्षित करें, कंपनी को 41.00 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ है। (@13.50%) 29.08.2021 को (65.12 करोड़ रुपये के कुल स्वीकृत ऋण में से)
लंबित देनदारियों का निर्वहन करें और बिक्री आय से वापस भुगतान करें। कंपनी की संपत्ति ब्याज सहित भारत सरकार को उक्त ऋण 41.00 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी किया जाना बाकी है।
8. भारत सरकार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय उद्यम, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र संख्या 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक28.01.2021 के संबंध में नोट संख्या 51 की ओर ध्यान

आकर्षित किया जाता है कि कुल भूमि लगभग 147.499 एकड़ 01.12.2022 को यूपीएसआईडीए को वापस कर दी गई है।

उपरोक्त मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व देने में थे।
समग्र रूप से, इन मामलों को हमारे वित्तीय विवरण के ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम कोई गुप्त राय प्रदान नहीं करते हैं।
इन मुद्दों पर अलग-अलग राय हमने वर्णित मामलों में निर्धारण कर लिया है।
हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामले नीचे दिए गए हैं।

1. व्यापार के विरुद्ध भारी मात्रा में बकाया और वसूली योग्य राशि मौजूद है। प्राप्य, अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य प्राप्य, नामानुसार, कंपनी द्वारा उम्र के अनुसार और संबंधित राशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए वसूली की संभावना और उसकी राशि अनिश्चित है और इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरण पर पड़ता है।

उपरोक्त मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

1. एलआईसी, भारत के पास 8.74 करोड़ रु की शेष राशि रु. ग्रेच्युटी और छुट्टियों पर नकदीकरण जमा है लेकिन न तो उसका बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और न ही कोई इसका परिपक्वता मूल्यांकन प्रमाणपत्र भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त हुआ है।

2. रुपये की बैंक गारंटी. 1,00,000.00 का योगदान "मार्ज मेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा दिया गया
लिमिटेड" कंपनी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए वाहन के विरुद्ध। उक्त बैंक गारंटी
18/12/2019 को समाप्त हो गया। मर्ज द्वारा न तो उक्त वाहन वापस किया गया
मेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को और न ही कंपनी ने बैंक को भुनाया है
गारंटी दी और रकम वसूल की।

3. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग,
नई दिल्ली सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3(1)/2020-PE-VI, दिनांक 28.01.2021। का
भारत ने कंपनी को बंद करने का आदेश दे दिया है लेकिन कंपनी के शेयर बंद हो गए हैं
विक्रम के ट्रेडमार्क और ब्रांड को अभी तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हटाया नहीं गया है
और विजय सुपर वित्तीय वर्ष 31.03.2023 के अंत तक अभी तक बिका नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करें।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और शासन के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है
इन स्टैंडअलोन की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम")
वित्तीय विवरण जो वित्तीय स्थिति का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय
प्रदर्शन, (इक्विटी में परिवर्तन) और कंपनी के नकदी प्रवाह के अनुसार
भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जिनमें लेखांकन मानक भी शामिल हैं
अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट। इस जिम्मेदारी में रखरखाव भी शामिल है
सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड
कंपनी की संपत्तियों की निगरानी और धोखाधड़ी आदि को रोकने और उनका पता लगाने के लिए
अनियमितताएँ; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्माण
निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और डिज़ाइन, कार्यान्वयन
और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव, जो प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे
प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना
वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती है और
चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं।
वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है
एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने, जैसा लागू हो, खुलासा करने की कंपनी की क्षमता मायने रखती है
गोइंग कंसर्न से संबंधित और लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करना जब तक कि
प्रबंधन या तो कंपनी को ख़त्म करने या परिचालन बंद करने का इरादा रखता है, या नहीं है
ऐसा करने के अलावा यथार्थवादी विकल्प।
वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं
रिपोर्टिंग प्रक्रिया.
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ
हमारा उद्देश्य स्टैंडअलोन वित्तीय के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है

समग्र रूप से कथन भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो,
और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च है
आश्वासन का स्तर, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिट एसएएस के अनुसार किया गया है
किसी महत्वपूर्ण ग़लतबयानी के मौजूद होने पर हमेशा उसका पता लगाया जाएगा। गलतबयानी उत्पन्न हो सकती है
धोखाधड़ी या त्रुटि और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वे ऐसा कर सकते हैं
29
के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जानी चाहिए
ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और
पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखें। हम भी

ए) स्टैंडअलोन वित्तीय के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम को पहचानें और उसका आकलन करें
विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं
उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी, और पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें
हमारी राय के लिए आधार प्रदान करना उचित है। किसी सामग्री का पता न लगने का जोखिम
धोखाधड़ी से उत्पन्न ग़लतबयानी, त्रुटि से उत्पन्न ग़लतबयानी की तुलना में अधिक होती है
धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या शामिल हो सकते हैं
आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण.

बी) डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें धारा 143(3) (i) के तहत ऑडिट प्रक्रियाएं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं
अधिनियम के अनुसार हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं चाहे कंपनी
पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और खुला है

ग) प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें
प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान और संबंधित खुलासे।
घ) प्रबंधन द्वारा चालू चिंता के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें
लेखांकन का और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या कोई सामग्री है
घटनाओं या स्थितियों से संबंधित अनिश्चितता मौजूद है जो महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है
कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सामग्री
अनिश्चितता मौजूद है, हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है
हमारी राय को संशोधित करने के लिए संबंधित खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हैं
हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर।

हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थिति के कारण कंपनी आगे बढ़ना बंद कर सकती है
एक चालू चिंता के रूप में।
ई) स्टैंडअलोन की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें
वित्तीय विवरण, खुलासे सहित, और क्या स्टैंडअलोन
वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं
उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का तरीका।
भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी की भयावहता है,
व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि आर्थिक निर्णय उचित हों
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के जानकार उपयोगकर्ता प्रभावित हो सकते हैं। हम
(i) हमारे ऑडिट के दायरे की योजना बनाने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करें
काम करना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) किसी के प्रभाव का मूल्यांकन करना
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ग़लतबयानी की पहचान की गई।
हम अन्य मामलों के अलावा, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं
ऑडिट का नियोजित दायरा और समय और किसी भी महत्वपूर्ण सहित महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष
आंतरिक नियंत्रण में कमियाँ जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
हम उन लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है जिसका हमने अनुपालन किया है
स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ और उनके साथ संवाद करना
सभी रिश्ते और अन्य मामले जिनका उचित रूप से हम पर असर पड़ने के बारे में सोचा जा सकता है
स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
क) हमने सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं
हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए हमारा ज्ञान और विश्वास आवश्यक था।

बी) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं
विभाजन जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।
ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण शामिल है
खाते की पुस्तकों के साथ समझौता.
घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण इसका अनुपालन करते हैं
अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, नियम के साथ पढ़ें
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के 7.
ई) 31 तारीख तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर
मार्च, 2023 को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, कोई भी निदेशक नहीं है
31 मार्च, 2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया

अधिनियम की धारा 164(2).
च) जैसा कि कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा जारी किया गया है
भारत की केंद्र सरकार अधिनियम की उपधारा (11) धारा 143 के संदर्भ में,
हम अनुलग्नक ए में पैराग्राफ 3 और में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं
आदेश के 4, लागू सीमा तक।
छ) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध में
हमारी राय में कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के साथ और
हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
मैं। कंपनी ने लंबित मुकदमे का अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है
अपने वित्तीय विवरण में स्थिति. (वित्तीय के लिए नोट संख्या 36 देखें
कथन)।
द्वितीय. कंपनी ने लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रावधान नहीं किये हैं
यदि कोई हो, तो अनुमानित भौतिक हानि के लिए कानून या लेखांकन मानक
दीर्घकालिक नियंत्रण अनुबंध। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है।
iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी
कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष।
2. वित्तीय पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में
कंपनी की रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का संदर्भ लें
"अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट।

3. अधिनियम की उपधारा 143 (5) के अनुसार, हम "अनुलग्नक सी" में एक विवरण देते हैं
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर
कंपनी।
एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 004570सी
(सुदर्शन कुमार विज)
एम.एन. 007859
साथी
उडिन नं. 23007859बीजीआरडीडीयू9401
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29/05/2023

सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम तारीख की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ए
वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ।
ऐसे परीक्षणों के आधार पर जिन्हें हमने लागू करना उचित समझा, जानकारी और
ऑडिट के दौरान प्रबंधन द्वारा हमें जो स्पष्टीकरण दिया गया, हम उसे इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं
अंतर्गत: -

(i)	(a)	कंपनी बंद होने के बाद कोई अचल संपत्ति नहीं बची इसलिए कंपनी में मात्रात्मक विवरण दिखाने वाला कोई अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित अचल संपत्तियों की स्थिति है आवश्यक।
	(b)	कंपनी बंद होने के बाद कोई अचल संपत्ति नहीं बची विक्रम और विजय सुपर के ब्रांड को छोड़कर कंपनी, नहीं द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया कंपनी।
	©	जिस जमीन पर फैक्ट्री स्थित थी उसका लीज डीड है UPSIDE को वापस सौंप दिया गया और किसी अन्य का कोई अन्य स्वामित्व विलेख नहीं अचल संपत्तियाँ कंपनी के नाम पर हैं।
(ii)		कंपनी के सभी परिचालन को निलंबित कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है और न ही कोई सूची छोड़ी गई है और न ही किसी का भौतिक सत्यापन किया गया है प्रबंधन द्वारा सूची तैयार कर ली गई है
(iii)		कंपनियों, फर्मों को कोई भी सुरक्षित या असुरक्षित ऋण सीमित नहीं है देयता भागीदारी या बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य पक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत प्रदान किया गया है कंपनी।
(iv)		समें कोई ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा शामिल नहीं है कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत, 2013. इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) लागू नहीं होता है कंपनी
(v)		कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और प्रावधान

		धारा 73 से 76 या अधिनियम और के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान इसके तहत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
(vi)		कंपनी के सभी परिचालन को निलंबित कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई लागत रिकॉर्ड निर्धारित नहीं है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के तहत बंद होने के कारण कंपनी के संचालन, लागत लेखापरीक्षा कंपनी में आयोजित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी
(vii)	(a)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी नियमित है भविष्य निधि सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करना, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, शुल्क सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक उपरोक्त के अलावा अन्य और जानकारी के अनुसार बकाया हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, कोई अन्य निर्विवाद राशि देय नहीं है भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, का सम्मान बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर, नीचे बताए गए को छोड़कर:-
	(b)	जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित बकाया नहीं है विवादों के कारण कंपनी द्वारा जमा किया गया

\

		Sl. No.	Name of Statue	Name of Dues	Forum where dispute area pending	Period
			केरला सेल टैक्स	स्टेट सेल टैक्स	कामर्शियल टैक्स कमिशनर	1992-93, 1993-94 &1994-95
			स्टेट सेल टैक्स	इंट्री टैक्स एंड पेनालिटी टैक्स	कामर्शियल टैक्स कमिशनर	1997-98 to 2006-07

			स्टेट सेल टैक्स	इंट्री टैक्स एंड पेनालिटी टैक्स	ट्रिबुनल	2003-04, 2004-05 & 2005-07
			इनकम टैक्स एक्ट	इनकम टैक्स	कामर्शियल टैक्स कमिशनर रेंज VI, लखनऊ	2001-02 to 2008-09, 2013-14 & 2015-16
			आसाम सेल टैक्स प्राधिकरण	स्टेट सेल टैक्स	कामर्शियल टैक्स कमिशनर	1997-98 (17.04.1997)
			इंट्री टैक्स राजस्थान	स्टेट सेल टैक्स	कामर्शियल टैक्स कमिशनर	2005-06
			जे एंड के सेल टैक्स प्राधिकरण	स्टेट सेल टैक्स	कामर्शियल टैक्स कमिशनर	2010-11
(viii)		कंपनी को रुपये का नियोजित ऋण स्वीकृत किया गया है। 20 करोड़. और सरकार द्वारा समापन गतिविधि ऋण 65.12 करोड़ रुपये। भारत का, जिसमें से रु. 2013-14 को 20 करोड़ का नियोजित ऋण प्राप्त हुआ और रु. 41.00 करोड़ वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त समापन गतिविधि। जिसमें से कंपनी ने भारत सरकार को केवल 4.00 करोड़ का नियोजित ऋण चुकाया है शेष रु. 16.00 करोड़ का भुगतान लंबित है। और 41.00 में से करोड़ क्लोजर गतिविधि ऋण, ब्याज सहित कुल राशि के लिए लंबित है				

		33 भुगतान।
(ix)		कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन नहीं जुटाया है (ऋण लिखतों सहित)।
(x)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि न तो कंपनी द्वारा और न ही उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई है वर्ष के दौरान इस पर ध्यान दिया गया या रिपोर्ट किया गया, न ही हमें दिया गया प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी भी मामले की जानकारी दी गयी है.
(xi)		कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान/प्रदान किया है के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197।
(xii)		कंपनी निधि कंपनी नहीं है. तदनुसार, पैराग्राफ 3(xii). आदेश लागू नहीं है.
(xiii)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और आधारित कंपनी के रिकॉर्ड, लेनदेन की हमारी जांच पर संबंधित पक्ष धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं कंपनी अधिनियम, 2013 जहां लागू हो और उसका विवरण लेनदेन का खुलासा स्टैंडअलोन इंड एएस फाइनेंशियल में किया गया है लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक विवरण
(xiv)		कंपनी ने कोई तरजीही आवंटन या निजी नहीं किया है के दौरान शेयरों या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर की नियुक्ति वर्ष
(xv)		हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और आधारित कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच से, कंपनी को पता चला है निदेशकों या व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया उसके साथ जुड़ा हुआ है. तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) नहीं है

		उपयुक्त
(xvi)		कंपनी को धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934.

एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 004570सी
सुदर्शन कुमार विज स्थान: लखनऊ
(साझेदार) दिनांक: 29/05/2023
एम. नं. 007859
उडिन नं. 23007859बीजीआरडीडीयू9401

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ख

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड लखनऊ के सदस्यों को स्वतन्त्र संपरीक्षकों की सम संख्यक तिथि की आख्या का कम्पनी का 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का लेखा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 तक स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है और हमारे ऑडिट में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को लिया गया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों को स्थापित करना एवं मेन्टेन रखना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है जो कि कम्पनी द्वारा वित्तीय आख्याओं पर स्थापित आन्तरिक नियन्त्रण के आधार पर इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया द्वारा जारी वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की संपरीक्षा पर गाइडेन्स नोट में आन्तरिक नियन्त्रण के आवष्यक कम्पोनेन्ट के बारे में अभिकथनों पर विचार करते हुए स्थापित होनी चाहिए। इन जिम्मेवारियों में समुचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का परिकल्पना क्रियान्वयन, एवं मेन्टीनेन्स सम्मिलित है जो कि इसके व्यापार को क्रमबद्ध एवं पर्याप्त आचरण को सुनिष्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित किये जा रहे थे। कम्पनी की नीतियों को मानना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं गलतियों को रोकना एवं पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं सम्पूर्णता, एवं विष्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय से तैयार करना जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत वांछित हैं।

संपरीक्षको की जिम्मेदारी

हमारी संपरीक्षा के आधार पर वित्तीय आख्याओं के बारे में कम्पनी के वित्तीय नियन्त्रण पर हमें अपना मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है हमने वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर गाइडेन्स नोट के अनुसार अपनी संपरीक्षा की है (गाइडेन्स नोट) एवं ICAI द्वारा जारी संपरीक्षा मानको एवं कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत माने गये आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की संपरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है। दोनो आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण एवं इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये हैं। जो मानक एवं गाइडेन्स नोट चाहते है कि हमें नीतिगत वांछनाओं एवं योजना का अनुपालन करना चाहिए एवं इस बारे में तर्क संगत आष्वासन होना चाहिए कि क्या वित्तीय आख्याओं पर समुचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित एवं मेन्टेन किये गये है इसकी संपरीक्षा की जाये। एवं यदि इस प्रकार के नियन्त्रण सभी सामाग्री के बारे में प्रभावी ढंग से परिचालित किये गये हैं।

वित्तीय आख्याओं एवं उनकी परिचालन प्रभाव कारिता के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली के समुचित होने के बारे में संपरीक्षा प्रमाण प्राप्त के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया, हमारी संपरीक्षा में शामिल हैं। वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर सहमति प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि सामग्री दुर्बलता है एवं उस जोखिम आंकलन के आधार पर परीक्षण, परिकल्पना का मूल्यांकन, एवं आन्तरिक नियन्त्रण का प्रभावी ढंग से परिचालन करना, चयनित प्रक्रिया संपरीक्षको के निर्णय पर निर्भर है। वित्तीय विवरण में सामग्री के गलत अभिकथन के जोखिम का आंकलन करना कि क्या यह धोखाधड़ी है अथवा गलती है। हमें विष्वास है कि जो संपरीक्षा प्रमाण हमने प्राप्त किये हैं वे कम्पनी के वित्तीय

आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर हमारी संपरीक्षा को आधार, प्रदान करते है वे पर्याप्त एवं समुचित हैं।

वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक नियन्त्रण का आशय

कम्पनी के वित्तीय आख्याओं परय आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण, वित्तीय आख्याओं की विष्वसनीयता के बारे में तर्कसंगत आष्वासन प्रदान करना एवं सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के साथ नियमानुसार वाह्य उद्देष्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना एक प्रकिया परिकल्पना है। कम्पनी की वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण जिन नितियों एवं प्रक्रियाओं में सम्मिलित है वे निम्न है।

1. रेकार्ड के मेन्टीनेस के बारे में, तर्कसंगत विवरण, लेन—देन की शुद्धता एवं निष्पक्षता एवं कम्पनी की परिसम्पत्तियों के डिस्पोजिषन के बारे में।
2. तर्कसंगत आष्वासन प्रदान करना कि, समान्य तथा लेखा सिद्धान्तों में स्वीकार किये गये लेखा अभिकथनों को तैयार करने के लिए अनुमति के अनुसार लेन—देन का रेकार्ड रखा गया है। एवं यह कि कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन एवं निदेशकों द्वारा अधिकृति प्रदान करने के अनुसार बनाये गये हैं।
3. कम्पनी के परिसम्पत्तियों के बारे में जो कि वित्तीय अभिकथनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं उनके अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा डिस्पोजिशन के बारे में संरक्षण अथवा समय से पता लगाने के बारे में तर्कसंगत आवष्वासन प्रदान करना।

वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की निहित सीमा

वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की निहित सीमा के कारण, कपट की सम्भावना में अथवा नियन्त्रण पर कुप्रबन्ध, गलती अथवा धोखाधडी के कारण सामग्री का गलत अभिकथन हो जाने पर पता न लगाना, सम्मिलित है, आगामी समय में वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का कोई मूल्यांकन प्रक्षेपित करना भी जोखिम हो सकता है वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण हो सकता है अथवा नीति अनुपालन की दशा अथवा प्रक्रिया खराब हो सकती हैं।

मत

हमारे मत से कम्पनी, वित्तीय आख्याओं पर एक समुचित आन्तरिक्त वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली के बारे में सभी सामग्री रखती है। एवं इस प्रकार की वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण, 31 मार्च 2016 को प्रभावी ढंग से परिचालित किये जा रहे थे। जोकि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया द्वारा जारी की गयी वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की संपरीक्षा पर गाइडेन्स नोट में कहे गये आन्तरिक नियन्त्रण के आवष्यक घटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय आख्याओं पर आन्तरिक नियन्त्रण पर स्थापित कसौटी के आधार पर हैं।

कृते

एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 004570सी

सुदर्शन कुमार विज स्थान: लखनऊ

(साझेदार) दिनांक: 29/05/2023

एम. नं. 007859

उडिन नं. 23007859बीजीआरडीडीयू9401 वाम

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक ग

इस दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाले निर्देश
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों का ऑडिट जारी किया गया
कंपनियों की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
अधिनियमए 2013.

1.	क्या कंपनी के पास सिस्टम है सभी को संसाधित करने के स्थान पर आईटी के माध्यम से लेखांकन लेनदेन प्रणालीध् यदि हांए तो इसका निहितार्थ लेखांकन का प्रसंस्करण आईटी सिस्टम के बाहर लेनदेन चालू साथ ही खातों की अखंडता वित्तीय निहितार्थों के साथए यदि कोई होए कहा जा सकता है	कंपनी के पास आईटी सिस्टम है जगह में और सभी लेखांकन प्रक्रिया हैं टैली ईआरपी के माध्यम से संसाधित किया गया बादल पर. सारा हिसाब-किताब लेन-देन संसाधित होते हैं केवल आईटी सिस्टम के माध्यम से। नहीं लेन-देन संसाधित होते हैं आईटी सिस्टम के बाहरए होना कोई भी प्रतिकूल वित्तीय आशय।
2.	क्या कोई पुनर्गठन है किसी मौजूदा ऋण या मामलों का कर्ज़/कर्ज माफ़ करना/बट्टे खाते में डालना/ ऋणदाता द्वारा दिया गया ब्याज आदि कंपनी के कारण कंपनी अक्षमता ऋण चुकाने के लिएध् यदि हांए तो	का कोई मामला नहीं है किसी मौजूदा का पुनर्गठन ऋण भी नहीं है छूट/बट्टे खाते में डालने का मामला कोई ऋण/ऋण/ब्याज ऋणदाता द्वारा पाया गया

	वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	
3.	क्या धनराशि प्राप्त हुई/ से विशिष्ट कौशल के लिए प्राप्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियां जहां उचित रूप से हिसाब-किताब किया गया/उपयोग किया गया इसके नियम एवं शर्तों के अनुसारघ सूची विचलन के मामले.	कंपनी ने नहीं किया है सरकार से कोई फंड प्राप्त हुआ वित्त वर्ष **2022-23** के दौरान भारत की

कृते

एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 004570सी
सुदर्शन कुमार विज स्थान: लखनऊ
(साझेदार) दिनांक: 29/05/2023

एम. नं. 007859 उडिन नं. 23007859बीजीआरडीडीयू9401''''''''''''''''''''''''''''''''

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक ग

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के सदस्यों के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

1. क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है ? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की प्रमाणिकता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो निहितार्थ बताए जाए।

आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन नहीं किया गया है।

2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए ।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया है।

हालांकि, वित्त वर्ष के दौरान 2018.19 भारत सरकार द्वारा दिए गए 1.89 करोड़ रुपये के मौजूदा ऋण को 5 जून, 2018 के पत्र के माध्यम से इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।इस रूपांतरण का वित्तीय प्रभाव यह था कि कंपनी की इक्विटी में 1.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और भारत सरकार के ऋण में 1.89 करोड़ रुपये की कमी आई है।इसके अलावा, उपरोक्त ऋण पर ब्याज को भी उपर्युक्त पत्र के माध्यम से फ्रीज कर दिया गया था लेकिन ब्याज को फ्रीज करने का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं था क्योंकि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में इसका हिसाब नहीं था।

3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था॒ विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

विचलन के ऐसे कोई मामले नहीं देखे गए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत उप-दिशा निर्देश - कोई नहीं

अनुलग्नक–3

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अनुसार स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त हुये वर्ष के लेखा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ

कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय आख्या प्रस्तुतीकरण संरचना के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये विधिक लेखा संपरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो कि अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित संपरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र संपरीक्षा पर आधारित हो। उनकी दिनॉक 27 मई 2019 की संपरीक्षा आख्या 30 मई 2023 के अनुसार सम्पन्न कर लिया गया है।

मैने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक की ओर से स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 की समाप्त लेखापर पूरक संपरीक्षा न करने का निणर्य लिया है।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143(6)b के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को, जो मेरे ध्यान में आए हैं, उजागर करना चाहूंगा और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(एस. अहलादिनी पांडा)
लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक
उद्योग और कॉर्पोरेट मामले
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.09.2023 वरम

अनुलग्नक–4

निकाय शासन

कम्पनी की निकाय शासन अवधारणा का लक्ष्य है कि अंशषधारियों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों और जन सामान्य के हितों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों की सुरक्षा की जाये और उनकी मूल्यवत्ता में वृद्धि की जाये। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड यह सुनिष्चित करने के लिए अच्छे निकाय शासन के प्रति प्रतिबद्ध है कि कम्पनी के सभी कार्यकलाप बेहतर पेशेवराना और सक्षम तौर तरीके से सम्पन्न किये जाये। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने भारी उद्योग विभाग द्वारा निकाय शासन पर जारी दिशा–निर्देशों को अंगीकार किया है ।

1. अ) निकाय शासन सम्बन्धी स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का दर्शन

पिछले कुछ वर्षों में उदारीकरण और बदलते हुए बाजार दशाओं के साथ भारतीय व्यापार वातावरण में बदलाव से अंशधारियों का मूल्यमान बढ़ने के प्रति प्रबन्ध के दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव आया है। इस प्रसंग में सभी अंशधारियों के प्रति निष्पक्षता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिष्चित करने के लिए निकाय शासन का सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थान है। कम्पनी इस बात में विष्वास करती है कि इसके सभी कार्य–कलाप और कदम एक निर्धारित अवधि में अंषधारी के समग्र मूल्यमान को बढ़ाने के निहित लक्ष्य की ओर ही होना चाहिए।

ब) व्यापार आचार संहिता एवं नीतिः

कम्पनी के निदशक मण्डल ने निकाय शासन में अच्छी परम्परा का संयोग करते हुए निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए एक आचार संहिता एवं नीति को अपनाया हैं। संहिता कम्पनी की वेबसाइट www.scootersindia.com पर भी उपलब्ध है। नियमन अवधि सेबी लिसटिंग करार 2015 की धारा 26(3) के अनुसार सभी निदशकों एवं वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/सी0ई0ओ0 एवं सी0एफ0ओ0 का प्रमाण अनुलग्नक में दिया गया है।

स) व्हिसिल ब्लोवर पालिसीः

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में वित्तीय विवरण की घोषणा से सम्बन्धित लेखा, आन्तरिक लेखा नियन्त्रण, लेखा संपरीक्षा से सम्बन्धित विषयों अथवा अनीतिसंगत व्यवहार वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कम्पनी की आचार संहिता का उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतों को प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया स्थापित करने के लिए व्हिसिल ब्लोवर नीति बनाई गयी है।

द) सी0ई0ओ0/सी0एफ0ओ0 का प्रमाणीकरणः

सेबी लिसटिंग रेगूलेषन 2015 के रेगूलेषन 17(8) की शर्तो के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/सी0ई0ओ0 एवं सी0एफ0ओ0 द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाण प्राप्त कर लिया गया है तथा **अनुलग्नक–4ए** के तौर पर संलग्न है।

य) लेखा संपरीक्षको का अनुपालन प्रमाणः

सेबी के रेगूलेशन 34(3) लिस्टिंग रेगूलेशन 2015 के अन्तर्गत निर्धारित निकाय शासन के अनुपालन की स्थिति के बारे में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने विधिक लेखा संपरीक्षक मेसस अमित गुप्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र (**अनुलग्नक–4बी**) के तौर पर संलग्न किया है।

2. निदेशक मण्डलः

31.03.2023 तक कंपनी के निदेशक मंडल में छह निदेशक शामिल हैं, जिनमें से दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा नामित किया गया है। भारत की। एसआईएल के बोर्ड

में कार्यकारी निदेशकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) शामिल हैं। एक स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड में नियुक्त किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.11.2021 से नामित किया गया था और एक कार्यकारी/अध्यक्ष/एमडी को 23.04.2021 से नियुक्त किया गया था।

बोर्ड के सदस्यों का परिचय एवं प्रशिक्षण

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड का मानना है कि एक बोर्ड जो कम्पनी से अच्छी तरह अवगत है। परिचित है और इसके मामलों से अवगत है वे ट्रस्टीशिप की अपनी भूमिका का निर्वह्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक आकांक्षओं को पूरा करने में योगदान कर सकते है। इसके अनुसरण में कम्पनी के निदेशकों ने घेरलू विकास में/ग्लोबल कारर्पोट एवं उद्योग परिदृष्य में परिवर्तनों को अपडेट किया है। जो कि स्टेटस से सम्बन्धित है। कानून एवं आर्थिक पर्यावरण एवं कम्पनी को प्रभावित करने वाले मामलों सहित, उन्हें अच्छी तरह से सूचित करने लिए एवं समय पर निर्णय। कम्पनी के निदेषकों को कम्पनी का दौरा करने के लिए सुविधायें भी आयोजित की जाती है SIL औद्योगिक क्षेत्र में हुए विकास को अपने निदेषकों को सूचित करने के क्रम में समय समय पर निदेशकों को कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करती है। कम्पनी अपने निदेशक मण्डल को बैठकों के दौरान व्यापार के जोखित पैरामीटर के साथ–साथ अपने व्यापार के बारे में प्रषिक्षण प्रदान करती है। निदेशकों को उनकी ड्यूटी, जिम्मेदारी पावर एवं विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में प्रशिक्षित करने के प्रजेन्टशन कार्यक्रम भी करती है।

इन साइडर ट्रेडिंग 2023 – पर निषेध के लिए SIL कोड आफ कन्डक्टः

SIL में इन साइडर ट्रेडिंग के निशेध के लिए कोड आफ कन्डक्ट है जो कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित है इसके साथ–साथ निदेशकों द्वारा कम्पनी की प्रतिभूतियों में व्यापार प्रतिबन्ध लगाते हैं और कर्मचारियों के कब्जे में अप्रकाशित मूल्य, कम्पनी के बारे में संवदेनशील जानकारी पर प्रतिबन्ध लगाते है।

लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 17 से 27 एवं रेगुलेशन 46(2)(b) से (i) में वांछित निकाय शासन का अनुपालनः

क0स0	विवरण	रेगुलेशन	अनुपालन हाँ/नही	मुख्य अनुपालन निरूपण
1.	निदेशक मण्डल	17	हां, सिवाय कम्पोजीशन के	• निदेशकों की संरचना और नियुक्ति • बैठक एवं कोरम • अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा • नियुक्ति के लिए क्रमवार उत्तराधिकार योजना • कोड आफ कन्डक्ट • गैर अधिशाशी निदेशकों की फीस/मुवावजा • निदेशक मण्डल के समक्ष न्यूनतम सूचना रखना • CEO एवं CFO द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र • जोखिम आकलन एवं जोखिम प्रबन्धन योजना

				• स्वतन्त्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन • विशिष्ट व्यापार के प्रत्येक आइटम के लिए निदेशक मण्डल की अनुशंसा
2.	निदेशकों की अधिकतम संख्या	17ए	हाँ	• सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकत्व
3.	सम्परीक्षा कमेटी	18	हाँ (13.02.2020 से)	• बनावट • बैठक एवं कोरम • वार्षिक आम बैठक में • कमेटी की भूमिका
4.	नामांकन एवं कमेटी का पारिश्रमिक	19	हाँ (13.02.2020 से)	• बनावट • वार्षिक आम बैठक में उपस्थित चेयर परसन • बैठक एवं कोरम • कमेटी की भूमिका
5.	अंशधारकों की रिलेशनेंशिप कमेटी	20	हाँ	• बनावट • वार्षिक आम बैठक में उपस्थित चेयर परशन • बैठक एवं कोरम • कमेटी की भूमिका
6.	रिस्क प्रबन्धन कमेटी	21	लागू नही	• बनावट • बैठक एवं कोरम • कमेटी की भूमिका
7.	सतर्क तन्त्र	22	हाँ	• निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सतर्क तन्त्र • आडिट कमेटी के चेयर परषन तक सीधे पहुँच
8.	सम्बन्धित पार्टी लेन–देन	23	हाँ	• सम्बन्धित पार्टियों के साथ लेन–देन सामग्री पर नीति एवं सम्बन्धित पार्टियों से लेन–देन का व्यवहार • सम्बन्धित पार्टियों के लेन–देन के लिए आडिट कमेटी का ओमनी बस सहित पूर्व अनुमोदन • सम्बन्धित पार्टियों के लेन–देन की समाजिक समीक्षा • सम्बन्धित पार्टी के लेन–देन पर घोषणा
9.	कम्पनी की सबसिडरी	24	लागू नही	• मैटेरियल सबसिडरी के बोर्ड पर कम्पनी के स्वतन्त्र निदेषकों की नियुक्ति

				• वित्तीय अभिकथनों की समीक्षा एवं आडिट कमेटी द्वारा सबसिडरी का निवेष • निदेषक मण्डल की बैठक में सबसिडरी के निदेषकों के कार्यवृत्त को रखना • महत्वपूर्ण लेन–देन एवं निदेषक मण्डल की बैठक में सबसिडरी का प्रबन्ध रखना
10.	सचिवालयी आडिट	24अ	हाँ	• वार्षिक सचिवालयी आडिट रिपोर्ट • सबसिडरी का कोई मैटेरियल अनलिस्टेड नही
11.	स्वतन्त्र निदेशकों का उत्तरदायित्व	25	नही	• अधिकतम डाइरेक्टरशिप वं अवधि • स्वतन्त्र निदेशकों की बैठक • स्वतन्त्र निदेशकों का सत्र एवं नियुक्ति • स्वतन्त्र निदेशकों का फैमिलियराइजेशन • स्वतन्त्र निदेशकों द्वारा घोषणा कि वह स्वतन्त्र निदेशक की क्राइटेरिया से मेल खाते हैं/खाती है। • सभी स्वतन्त्र निदेशकों के लिए डायरेक्टर एवं अफिसर्स इन्स्योरेन्स
12.	वरिष्ठ प्रबन्धन, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक निदेषकों एवं प्रोमोटरों सहित कर्मचारियों का उत्तरदायित्व	26	हाँ	• सदस्यता/कमेटी में चेयरमैनशिप • निदेशकों एवं वरिष्ठों द्वारा कोड आफ कन्डक्ट के अनुपालन पर दृढ़ता • गैर अधिशाषी निदेशकों द्वारा अंशधारण की घोषणा • इन्टरेस्ट के पोटेन्सियल टकराव के बारे में वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा घोषणा। • मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों निदेशकों एवं प्रोमोटर द्वारा मुआवजा अथवा कम्पनी के सिक्योरिटी डीलिंग के साथ प्राफिट शेयरिंग के सम्बन्ध में कोई एग्रीमेन्ट नही।
13.	अन्य निकाय शासन वांछना	27	हाँ	• स्वैच्छिक आवष्यकताओं का अनुपालन। • निकाय शासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट भरना।
14.	वेबसाइट	46(2)(b) to (i)	हाँ	• स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम एवं शर्ते।

				• निदेशक मण्डल की विभिन्न कमेटियों की बनावट • निदेशक मण्डल एवं वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के कोड आफ कन्डक्ट • सतर्क तन्त्र/व्हीसिल ब्लोवर पालिसी की स्थापना का विस्तार • सम्बन्धित पार्टी के लेन–देन पर नीति • मैटेरियल सबसिडरी निर्धारण के लिए नीति • स्वतन्त्र निदेशकों के लिए किये गये फैमिलायराइजेषन प्रोग्राम का विवरण

अ) निदेशकों की सूचीः

	निदेशक का नाम	अवधि	अन्य निदशकों की संख्या	कमेटी की अन्य संख्या	
				सदस्य	अध्यक्ष
	पूर्णकालिक कार्यकारी निदशक				
★	श्री रुपेश तैलंग सी0एम0डी0	25.04.2021	1	–	–
★★	श्री मुकेश कुमार,	30.08.2020	2	1	
	अंशकालिक गैर अधिशासी निदेशक (सरकारी प्रतिनिधि)				
★★★	श्री रमाकांत सिंह, भारत सरकार द्वारा नामित	10.11.2020	3	1	
	श्री महेंद्र प्रताप सिंह, स्वतंत्र निदेशक	28.01.2020	2	3	1
#	श्रीमती राकेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	28.01.2020	1	3	
	श्री राज कुमार, स्वतंत्र निदेशक	02.11.2021	1	3	. 1

*24 अप्रैल, 2023 से समाप्त हो गया और अमित श्रीवास्तव को सीएमडी नियुक्त किया गया

25 अप्रैल, 2023 से प्रभावी

**30 अगस्त, 2022 से समाप्त हो गया

***18 मई, 2023 से अरुण दीवान और सुषमा बत्रा बंद हो गए

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (भारत सरकार नामित) के रूप में नियुक्त

#27 जनवरी, 2023 से बंद

बोर्ड की बैठकों की संख्या और बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड:

क्र0 सं0	निदेशकों के नाम	282nd BM dated 24.4.22	283rd BM dated 12.5.22	284th BM dated 30.5.22	285th BM dated 22.6.22	286th BM dated 12.8.22	287th BM dated 8.9.22	288th BM dated 28.10.22	289th BM dated 11.11.22	290th BM dated 8.12.22	291st BM dated 29.12.22	50th AGM dated 30.12.22
	कुल संख्या	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	3
1.	श्री **रुपेश तैलंग अध्यक्ष**	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
2.	श्री रमाकांत सिंह, निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
3.	श्री मुकेश कुमार वित्त निदेशक (अतिरिक्त कार्यभार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
4.	श्रीमती राकेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नही	लागू नही	उपस्थित
5.	श्री महेंद्र प्रताप सिंह, स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नही	लागू नही	उपस्थित
6.	राज कुमार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
7.												

वित्तीय वर्ष 2022–23 केदौरान निदेशक मंडल की छह् बार बैठक हुई बोर्ड की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

ब) वर्ष के दौरान सम्पन्न हुई बोर्ड की बैठकों एवं वार्षिक आम बैठकों में निदेषकों की उपस्थिति

पीः उपस्थित,एः अनुपस्थित, एन0 ए0ः लागू नही वाम

दो बोर्ड मीटिंगों के बीच चार माह का अन्तर नहीं आया है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के त्रैमाह में कम से कम एक बैठक की गयी थी।

स) बोर्ड समितियां

कंपनी के बोर्ड में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी में वर्तमान में कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति है। भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग ने अपने दिनांक 28.01.2020 के आदेश संख्या 3(20)/2013-PE-VI के तहत श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्रीमती राकेश शर्मा की तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक की नियुक्ति के बाद समितियों का पुनर्गठन किया ।

कंपनी की तीन समितियां हैं - लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति। कंपनी का कंपनी सचिव सभी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

बैठकों के लिए कोरम या तो दो या समितियों के सदस्यों का एक तिहाई, जो भी अधिक हो।

लेखा परीक्षा समिति :

लेखापरीक्षा समिति में चार निदेशक शामिल हैं, जिनमें से दो गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं और दो गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। श्री महेंद्र प्रताप सिंह समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के साथ 13.02.2020 को समिति का पुनर्गठन किया गया था। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्य वित्तीय अधिकारी, बाह्य और आंतरिक लेखा परीक्षक नियमित आमंत्रित सदस्य रहते हैं। लेखा परीक्षा समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा करती है। ok

लेखा परीक्षा समिति की संरचना: -

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख
1 ★	श्री महेंद्र प्रताप सिंह	अध्यक्ष गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	13.02.2020
2 ★	श्रीमती राकेश शर्मा	सदस्य गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	13.02.2020
3 ★★	श्री रम्मा कांत सिंह	सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक	22.04.2022
4.	# राज कुमार	सदस्य गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	22.04.2022

27 जनवरी, 2023 से बंद

**18 मई, 2023 से समाप्त

अध्यक्ष 12 फरवरी, 2023 से प्रभावी

संदर्भ और शक्तियों की शर्तें :

समिति के सभी सदस्यों को वित्त और लेखा का अच्छा ज्ञान है। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें और शक्तियां विनियम 18 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत उल्लिखित क्षेत्रों को शामिल करती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि

वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, समिति कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का निरीक्षण करती है।

. बाहरी लेखा परीक्षक की नियुक्ति और हटाने, लेखा परीक्षा शुल्क तय करने और किसी भी अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए अनुमोदन की सिफारिश करता है।
. बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करता है।
. बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा ।
. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करता है।
. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा उन मामलों में जहां संदिग्ध धोखाधड़ी है।
. लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा साथ ही सम्बंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए ऑडिट के बाद की चर्चा।
. जमाकर्ताओं, शेयरधारकों और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करने के लिए कंपनी की वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी।

बैठकें और उपस्थिति :

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 30 मई 2022, 12 अगस्त 2022, 11 नवम्बर 2022, 8 दिसम्बर 2022 और 14 फरवरी 2023 को समिति की चार बैठकें हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

क्र0 सं	सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थित संख्या
1	श्री महेंद्र प्रताप सिंह	अध्यक्ष	5	4
2	श्रीमती राकेश शर्मा	सदस्य	5	4
3	श्री रम्मा कांत सिंह	सदस्य	5	5
4.	# राज कुमार	सदस्य	5	5

27 जनवरी, 2023 से बंद

**18 मई, 2023 से समाप्त

अध्यक्ष 12 फरवरी, 2023 से प्रभावी

नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

पारिश्रमिक समिति में तीन निदेशक होते हैं, और दो निदेशक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक होते हैं और एक गैर-कार्यकारी निदेशक होता है। श्री महेंद्र प्रताप सिंह समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। 13.02.2020 से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के साथ समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई। तीन बैठकें क्रमश: 12.8.2022, 8.12.22 एवं 29.12.2022 को की गयीं।

विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	पद	श्रेणी
1	श्री महेंद्र प्रताप सिंह	अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक
2	श्रीमती राकेश शर्मा	सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक
3	श्री रम्मा कांत सिंह	सदस्य	गैर-कार्यपालक नामिनी निदेशक
4.	राज कुमार	सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

27 जनवरी, 2023 से बंद

**18 मई, 2023 से समाप्त

अध्यक्ष 12 फरवरी, 2023 से प्रभावी

स्टेकहोल्डर संबंध समिति :

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में तीन निदेशक होते हैं, और दो निदेशक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक होते हैं और एक गैर कार्यकारी निदेशक होता है। श्री एस के सिंह समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे।13.02.2020 को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के साथ समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। 8.12.2022 को आयोजित बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	पद	श्रेणी
1	श्री राज कुमार	अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक
2	महेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक
3	श्रीमती राकेश शर्मा	सदस्य	गैर-कार्यपालक नामिनी निदेशक
4	**श्री रमा कांत सिंह**	सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

27 जनवरी, 2023 से बंद

**18 मई, 2023 से समाप्त

द) निदेशक मण्डल को दी गई सूचना :

कम्पनी के कार्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों से सम्बन्धित सभी सूचनाऍ, जो कि उच्च स्तर पर विचार हेतु वांछित थी, निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की गई। विभिन्न संकटपूर्ण मामलों से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाऍ प्रदान की गयी हैं जैसे कि :

- ❖ उत्पादन, विक्रय एवं पूँजीगत व्यय बजट एवं अद्यतन
- ❖ विक्रय, विनियोजन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन सांख्यकी
- ❖ जोन वाइज व्यापार की समीक्षा
- ❖ कम्पनी का त्रैमासिक परिणाम
- ❖ वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा विस्तार सहित कर्मचारियों से सम्बन्धित मामले।
- ❖ कम्पनी के पक्ष अथवा विपक्ष में विधिक प्रक्रिया, कारण बताओ, मॉग, नोटिस इत्यादि सहित।

- ❖ शेयर हस्तान्तरण एवं डिमेट अनुपालन
- ❖ लेखा संपरीक्षा कमेटी एवं अन्य निदेषकों की कमेटी के कार्यवृत्त
- ❖ कम्पनी का अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रयास
- ❖ श्रमिक मामलें एवं मानव संसाधन मुद्दे
- ❖ कम्पनी द्वारा वित्तीय मामलों में किसी सामग्री में त्रुटि अथवा कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये माल के लिए वास्तव में भुगतान न किया गया।
- ❖ सतर्कता एवं उससे सम्बन्धित मामले
- ❖ पूॅजीगत सामग्री को बट्टे खाते एवं निस्तारण
- ❖ विधिक अनुपालन रिर्पोटिंग प्रणाली एवं अन्य इस प्रकार के मामले
- ❖ प्राण घातक अथवा गम्भीर दुर्घटनाएॅ, खतरनाक घटनाएं, कोई सामग्री प्रवाह अथवा प्रदूषण समस्या।
- ❖ साख, ब्राण्ड इक्विटी अथवा भौतिक प्रापर्टी के भुगतान से सम्बन्धित लेन–देन।
- ❖ निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं।

कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं की सूची निम्नलिखित है और उक्त कौशल बोर्ड के सदस्यों के पास उपलब्ध हैं:

(i) कंपनी के व्यवसायों (विनिर्माण) नीतियों और संस्कृति (मिशन विजन और मूल्यों सहित) पर ज्ञान प्रमुख जोखिम / खतरे और संभावित अवसर और उस उद्योग का ज्ञान जिसमें कंपनी संचालित होती है।

(ii) कंपनी के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने के लिए व्यवहार कौशल-गुण और क्षमताएं।

(iii) व्यापार रणनीति बिक्री और विपणन कॉर्पोरेट प्रशासन विदेशी मुद्रा प्रबंधन प्रशासन निर्णय लेना

(iv) कंपनी के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान।

3. निकाय की सामान्य बैठकें:

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं: -

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्र	दिनांक	समय
1.	2021.–2022	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ-कानपुर रोड (16 माइल स्टोन), सरोजिनी नगर, लखनऊ-22600	30.12.2022	12:30 p.m
2.	2020.–2021	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ-कानपुर रोड (16 माइल स्टोन), सरोजिनी नगर, लखनऊ-22600	29.12.2021	10:30 a.m
3.	2019–2020	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ-कानपुर रोड (16 माइल स्टोन), सरोजिनी नगर, लखनऊ-226008	सितम्बर 28 2020	10:30 a.m.

विशेष संकल्प (यदि कोई हो) और डाक मतपत्र:

एजीएम दिनांक	विशेष संकल्प	क्या पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाला गया है	वोटिंग पैटर्न का विवरण	व्यक्ति जिसने पोस्टल बैलेट का संचालन किया
28.09.2020	01	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.12.2021	03	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.12.2022	01	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
05.07.2023	01	हाँ	लागू नहीं	सीएमडी

4. पारिश्रमिक नीति:

वर्ष 2020-21 के लिए निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है:

नाम	**पदनाम और अवधि**	**बैठक शुल्क**	**वेतन (रू.)**	**लाभ और पीएफ/पेंशन में अंशदान /अन्य**	**कुल**
रूपेश तैलंग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /23.04.2021 से 24.04.2023	0	0	0	0
मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त) /30.08.2020 से 30.08.2022	0	0	0	0

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार भुगतान किए जाने वाले बैठने की फीस के अलावाए निदेशकों को भुगतान किए गए अन्य सभी पारिश्रमिक सरकार के अनुपालन में हैं। समय-समय पर जारी आदेश।

सामान्य शेयरधारक जानकारी:

वार्षिक आम बैठक		
दिनांक और समय	:	02 दिसंबर 2023: सुबह 12:30 बजे
वित्तीय कैलेंडर	:	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023
स्थान	:	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से
पुस्तक बंद करने की तिथि	:	पुस्तक बंद करने का प्रस्ताव नहीं
कट आफ दिनाँक		शनिवार, **25.11.2023**
ई- वोटिंग आरम्भ की तारीख		बुधवार, **29.11.2023,** सुबह **10.00** बजे
ई- वोटिंग समाप्त की तारीख		शुक्रवार, **01.12.2023**
अन्य जानकारी		शून्य
इक्विटी की लिस्टिंग	:	बीएसई डीएसई (अमान्य 19.11.2014 से प्रभावी)
बीएसई स्टॉक कोड	:	505141
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट	:	स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

		डी-153/ए पहली मंजिल ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 नई दिल्ली-110020 ई- मेल compliances@skylinerta.com
शेयरों का अभौतिकीकरण (31.03.2023 को)		
एनडीएसएल	:	1726 (41827853)
सीडीएसएल	:	**8262 (515447)**
वास्तविक	:	5935 (44928955)
बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत	:	शून्य
रूपांतरण तिथि और संभावित प्रभाव	:	लागू नहीं
संयंत्र स्थान	:	3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश, भारत दूरभाष. नंबर: 0522-3178490 वेबसाइट: **www.scootersindialimited.com** ईमेल आईडी: **csscootersindia@gmail.com**

5.स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (मासिक)के शेयर मूल्यों का सारांश

स्क्रिप कोड :505141

कंपनी: स्कूटर्स इंडिया अवधि के लिए: अप्रैल 2022 से मार्च 2023

माह	खुली कीमत	उच्च की मत	कम कीमत	बंद कीमत	शेयरों की संख्या	ट्रेडों की संख्या	कुल कारोबार (रु.)	सुपुर्दगी योग्य मात्रा %	% सुपुर्दगी मात्रा से व्यापारित मात्रा	विस्तार	
										एच-एल	सी-ओ
अप्रैल 20	16.55	27.65	16	23.85	26511	267	615508	26511	100.00	11.65	7.3
मई 20	23.85	23.85	19.55	20.75	29976	398	635203	29946	100.00	4.3	-3.1
जून20	20.75	28.3	20.75	25.8	70632	761	1801670	70632	100.00	7.55	5.05
जुल20	25.25	35.9	25	31	94953	1063	2913222	94953	100.00	10.9	5.75
अग20	32.1	48.7	28.55	44.1	163677	1291	6364761	163677	100.00	20.15	12
सित20	41.9	43.1	32.05	33.85	134322	1598	5001034	134322	100.00	11.05	-8.05
अक्टू 20	32.65	34.85	27.1	29.85	77596	680	2360690	77596	100.00	7.75	-2.8
नव 20	30.65	30.65	27.3	28.8	41450	583	1203883	41450	100.00	3.35	-1.85
दिस 20	29.95	34.75	28	32.5	107338	1087	3398481	107338	100.00	6.75	2.55
जन 21	33.15	39.95	30.4	30.4	163276	1523	5675935	163276	100.00	9.55	-2.75
फर 21	30.4	32.85	27.5	30.9	160099	1717	4810231	160099	100.00	5.35	0.5
मार 21	31.35	44	29.5	36.4	205618	2171	7764639	205618	100.00	14.5	5.05

6. खुलासे:

1. स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी/सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर अंतिम अवधि के दौरान गैर-अनुपालन दंड और सख्ती का विवरण

क्रमांक	द्वारा की गई कार्रवाई	उल्लंघनों का विवरण जैसे- जुर्माना चेतावनी पत्र प्रतिबंध आदि	की गई कार्रवाई का विवरण जैसे- जुर्माना चेतावनी पत्र प्रतिबंध आदि	टिप्पणी
I	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	पत्र सं. LIST/COMP/REG27(2) & REG 17 to 21 / सितम्बर18 505141/960/2018-19 dated October 31, 2018 के अनुसार रू. 977040/- का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी
Ii	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	पत्र सं. LIST/COMP/REG27(2) & REG 17 to 21 / दिस. 18 505141//1093 2019-20 dated जनवरी 31, 2019 के अनुसार रू. 875560/- का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी
Iii	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	पत्र सं. LIST/COMP/REG27(2) & REG 17 to 21 मार्च 19 505141//37 2019-20 dated मई 02, 2019 के अनुसार 955800/- रुपये का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी
V	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	पत्र सं. LIST/COMP/REG27(2) & REG 17 to 21 / सितम्बर 19 505141/219/2019-20 dated October 31, 2019 के अनुसार रू. 977040/- का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी
Vi	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	पत्र सं. LIST/COMP/REG27(2) & REG 17 to 21 / दिस. 19 505141/219/2019-20 dated फर. 03, 2020 के अनुसार रू. 977040/- का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी

Vii	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	पत्र सं. LIST/COMP/REG27(2) & REG 17 to 21 / मार्च 20 505141/219/2019-20 dated जुला. . 03, 2020 के अनुसार रू. 853140/- का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी
viii	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 536900/- का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी
Ix	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 214760/- का जुर्माना	बीएसई ने 24 सितंबर 2020 के ईमेल के जरिए जुर्माने की छूट को मंजूरी दी
X	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	सित. 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने छूट के लिए अनुरोध किया है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है
Xi	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	सित. 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 127440/- का जुर्माना	कंपनी ने छूट के लिए अनुरोध किया है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है
Xii	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	दिस. 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने छूट के लिए अनुरोध किया है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है
xiii	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने छूट के लिए अनुरोध किया है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है
xiv	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	31 दिस. 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 36580/- का जुर्माना	जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया है और कंपनी ने छूट

				के लिए अनुरोध किया है।
xv	बीएसई लि.	मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम 6(1) के अनुसार कोई शिकायत नहीं	रू. 106200/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xvi	बीएसई लि.	जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम 6(1) के अनुसार	रू. 107380/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xvii	बीएसई लि.	सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम 6(1) के अनुसार कोई शिकायत नहीं	रू. 22420/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xviii	बीएसई लि.	जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम **17** (1) **20.08.2021** के अनुसार कोई शिकायत नहीं	रू. 536900/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xix	बीएसई लि.	अगस्त 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम **29 (2)/29(3)** के अनुसार कोई शिकायत नहीं	रू. 11800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xx	बीएसई लि.	जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम **17** (1) **22.11.2021** के अनुसार कोई शिकायत नहीं	रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxi	बीएसई लि.	नवम्बर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम **29 (2)/29(3)** के अनुसार कोई शिकायत नहीं	रू. 11800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxii	बीएसई लि.	दिसम्बर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए नियम **17** (1) **21.02.2022** के अनुसार कोई शिकायत नहीं	रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxiii	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxiv	बीएसई लि.	लेखापरीक्षा समिति के गठन से कोई शिकायत नहीं	सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 127440/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxv	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxvi	बीएसई लि.	स्वतंत्र निदेशकों की गैर नियुक्ति	मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 542800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।

xxvii	बीएसई लि.	नियम **6(1)** के अनुसार अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी के लिए योग्य सचिव नियुक्त करने की आवश्यकता से कोई शिकायत नहीं	**31.12** 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रू. 36580/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxviii	बीएसई लि.	नियम 29(2) एवं 29(3) के अनुसार बोर्ड बैठक को पूर्व सूचना	रू. 11800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxix	बीएसई लि.	नियम 29(2) एवं 29(3) के अनुसार बोर्ड बैठक को पूर्व सूचना	रू. 11800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxx	बीएसई लि.	नियम **6(1)** के अनुसार जून 2021 को समाप्त तिमाही पर अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी के लिए योग्य सचिव नियुक्त करना	जून 2021 को समाप्त तिमाही पर रू. 107380/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxxi	बीएसई लि.	नियम **6(1)** के अनुसार सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही पर अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी के लिए योग्य सचिव नियुक्त करना	सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही पर रू. 22420/- का जुर्माना	ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxxii	बीएसई लि.	नियम **17(1)**(क) जून **2021** को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	जून 2021 को समाप्त तिमाही पर रू. 536900/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxxiii	बीएसई लि.	नियम **17(1)**(क) सितम्बर **2021** को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही पर रू. 54280/- का जुर्माना	ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxxiv	बीएसई लि.	नियम **17(1)**(ग) मार्च **2022** को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही पर रू. 483800/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxxv	बीएसई लि.	नियम **17(1)**(ग) जून **2022**, सितम्बर **2022** एवं	जून **2022**, सितम्बर **2022** एवं दिसम्बर **2022** को	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।

		दिसम्बर **2022** को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	समाप्त तिमाही पर रू. 194700/- का जुर्माना	
xxxvi	बीएसई लि.	नियम **31** सितंबर **2022** को समाप्त तिमाही के लिए शेयरधारिता पैटर्न	सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही पर रू. 25960/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxxvii	बीएसई लि.	नियम 23(9) 30 सितंबर 2022 को समाप्त आधे साल के लिए संबंधित पक्ष के लेनदेन की रिपोर्ट	30 सितम्बर 2022 को समाप्त अर्धवार्षिक पर रू. 171100/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।।
xxxviii	बीएसई लि.	नियम 33 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (यूएफआर)	दिसम्बर 2022 को समाप्त तिमाही पर रू. 165200/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।
xxxix	बीएसई लि.	नियम 17(1)(बी) और 17(1)(सी) मार्च **2023** को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	मार्च **2023** को समाप्त तिमाही पर रू. 531000/- का जुर्माना	कंपनी ने अधित्याग के लिए अनुरोध किया है।

2. कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच परस्पर संबंध: कोई नहीं

3. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष कर सकते हैं: कोई नहीं

4. वरिष्ठ प्रबंधन के भौतिक वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन जहां उनका व्यक्तिगत हित हो सकता है और जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष था: कोई नहीं

5. तरजीही आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण: लागू नहीं

6. किसी भी ऋण साधन सावधि जमा कार्यक्रम या किसी अन्य योजना के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग (एस) जिसमें धन जुटाना शामिल है: कोई नहीं

7. कंपनी के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय/सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि मेसर्स अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा भी की गई है।

8. स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि प्रदान नहीं की गई है क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं हैं।

9. वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों के संबंध में जानकारी निदेशक और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण बोर्ड की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स में प्रदान की जाती है जो रिपोर्ट और लेखा का हिस्सा है।

10. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों मेसर्स असिजा एंड एसोसिएट्स एलएलपी द्वारा भुगतान की गई कुल फीस कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक और अन्य सभी संस्थाएं जो एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं कुल **3** लाख रुपये।

11. लिस्टिंग विनियम 2015 के तहत अनुपालन अधिकारी श्री समर्थ दवे कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी (सुश्री श्राबंती मंडल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी 1.6.2020 से हटा दिए गए हैं)

8. संचार के साधन:

क) तिमाही परिणाम (**12**.08.202**2** **05**.11.202**2**, **06**.02.202**3**, 13.08.2021, 28.06.2021, 14.02.2022 एवं 29.05.2023 को आयोजित बैठक में स्वीकृत)	कंपनी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में तिमाही परिणाम प्रकाशित किए हैं।
ख) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	यह निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे कंपनी के शेयरधारकों को पोस्ट किया जाता है।
ग) वेबसाइट	www.scootersindia.com

9. शेयर ट्रांसफर सिस्टम

कंपनी ने क्रमशः 18 जनवरी 2002 और 25 फरवरी 2002 को एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी को ISIN Code No. INE 959E01011 आवंटित किया गया है और तब से कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग डीमैट रूप में की जा रही है। कंपनी ने मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड डी-153/ए प्रथम तल ओखला औद्योगिक क्षेत्र चरण -1 नई दिल्ली -110020 को इसके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में आवंटित किया है।

10. 31/03/2023 को 87272255 इक्विटी शेयर पूंजी का वितरण

प्रत्येक शेयर का नाममात्र मूल्य: रु। 10

शेयर या डिबेंचर होल्डिंग अंकित मूल्य	शेयर होल्डर्स की संख्या	कुल सदस्यों का प्रतिशत	शेयर या डिबेंचर होल्डिंग राशि	कुल राशि का प्रतिशत
रू.			रू.	
1	2	3	4	5
500 तक	9961	95.34	920811.00	1.06
501 से 1000 तक	278	2.66	234239.00	0.27
1001 से 2000 तक	112	1.07	168502.00	0.19
2001 से 3000 तक	35	0.33	89553.00	0.10
3001 से 4000 तक	18	0.17	64012.00	0.07
4001 से 5000 तक	10	0.10	46089.00	0.05
5001 से 10000 तक	16	0.15	115958.00	0.13
10000 और इससे ऊपर	18	0.17	85633091.00	98.12
कुल	**10448**	**100.00**	**87272255.00**	**100.00**

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिशत
1	केंद्र सरकार	93.87
2	राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान	0.03
3	कॉर्पोरेट निकाय	0.06
4	भारतीय जनता और अन्य	6.04
	कुल	100.00

अन्य खुलासे

वित्तीय वर्ष 2022.23 के दौरान अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के तहत परिभाषित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और हाथ की लंबाई मूल्य निर्धारण के आधार पर थे और धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं। कार्य। वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ जो कंपनी के हितों के विपरीत था। वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है। बोर्ड ने संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर एक नीति को मंजूरी दे दी है और इसका खुलासा कंपनी की वेबसाइट https://www.scootersindia.com पर किया गया है।

कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है और किसी भी अनैतिक व्यवहार के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए लिस्टिंग विनियमों के विनियम 22 के तहत आवश्यक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। उक्त नीति को कंपनी की वेबसाइट https://www.scootersindia.com पर खुलासा किया गया है

11. वार्षिक रिपोर्ट पर कोई प्रश्न

सचिवीय विभाग, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,

3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश, भारत

अनुलग्नक-4क

सेबी के विनियमन 17(8) के तहत प्रमाण पत्र (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015

I. हमने 2022--23 वर्ष के लिए और सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है।

1. इन कथनों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक कारक को छोड़ देना ऐसे कथन हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।
2. ये बयान एक साथ कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

II. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा वर्षों के दौरान कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो कंपनी की आचार संहिता का धोखाधड़ी अवैध या उल्लंघन है।

IIi. हम नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन संचालन में लेखा परीक्षकों की कमियों का खुलासा किया है। यदि कोई हो, जिसके बारे में हम जानते हैं और कदम हमने इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव किया है या लिया है।

IV. हमने लेखा परीक्षकों को संकेत दिया है:
1. वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

2. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है और इसे समाप्त कर दिया गया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में बंद कर दिया गया है तथा

3. कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की यदि धोखाधड़ी में कोई भागीदारी हो तो हमें सावधान रहना है।

ह./-	ह./-
अमित श्रीवास्तव	**आरएस तिवारी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 10141867	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 09.11.2023

अनुबंध-4ख

कॉर्पोरेट शासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

1. हम अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स के कंपनी सचिवों ने कंपनी द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जैसा कि विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (I) में निर्धारित है तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 ("सूचीकरण विनियम") की अनुसूची **V** के विनियम 46(2) और पैरा सी डी और ई में दिया गया है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

2. कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

हमारी जिम्मेदारी:

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की जांच और उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

4. हमने कॉरपोरेट शासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की है।
5. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट पर गाइडेंस नोट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है। जहां तक मामला लागू है और आईसीएसआई लेखा मानकों पर मार्गदर्शन नोटों के अनुसार जिसके लिए यह आवश्यक है कि हम आईसीएसआई द्वारा जारी नैतिक आवश्यकताओं और अन्य नियमों का पालन करें।

राय:

6. जैसा कि विनियम 17 से 27 और खंड में निर्धारित है। (बी) से (I) विनियम 46(2) और पैरा सी डी और ई के अनुसूची वी के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचीकरण विनियमों को छोड़कर संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और

स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है|

1. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17(1)(बी) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है।

2. कंपनी ने कंपनी की वेबसाइट पर डालने के लिए आवश्यक विवरण के संबंध में विनियम 46 के उप-विनियम 2 के खंड (I) का अनुपालन नहीं किया है।

3. सेबी परिपत्र सीआईआर/एमआरडी/डीपी/10/2015 दिनांक 05 जून 2015 का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। कंपनी और आरटीए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ जमा करने के लिए डेटा के मिलान की प्रक्रिया में हैं।

4. कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्तियों को भरने में विलम्ब हुआ है।

हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह/-

सीएस अमित गुप्ता
(मालिक)
एफसीएस - 5478 सी.पी. 4682
यूडिन: F005478 E00**0432982**
दिनांक: **30.05**.2023

अनुबंध-5

प्रपत्र सं. एमआर.3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम 2013 की 204 धारा (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार

सेवा में,

सदस्यगण,

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,

सीआईएन - L25111UP1972GOI003599)

3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड,

गोमती नगर, लखनऊ - 226 010,

उत्तर प्रदेश, भारत

हमने मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (बाद में "कंपनी" कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सेक्रेटेरियल ऑडिट इस तरीके से किया गया था जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों कागजात कार्यवृत्त पुस्तकों प्रपत्रों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी उसके अधिकारियों एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बनाए रखा गया है।

हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही यह कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है जो उस सीमा तक तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों कागजात कार्यवृत्त पुस्तकों प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

I. कंपनी अधिनियम 2013 ;अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम

Ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 (‘SCRA’) और उसके तहत बनाए गए नियम

Iii. निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है|

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 सेबी अधिनियम के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश निम्नलिखित है: -

ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम 2011

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम अधिनियम 2015

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियमए 2018 - लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है;

डी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमए 2015;

इ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमए 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमए विनियम 2021 [13.08.2021 से प्रभावी] - (समीक्षा के दौरान कंपनी पर लागू नहीं अवधि);

एफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमए 2008 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियमए 2008 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और सूचीकरण) गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयर) विनियमए 2021 [09.08.2021 से प्रभावी] - (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

जी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियमए 1993 कंपनियों और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में - लागू नहीं है क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत नहीं है ;

एच। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमए 2009 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमए 2021 [**w.e.f.** 10.06.2021] - लागू नहीं है क्योंकि रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई डीलिस्टिंग नहीं की है;

मैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियमए 2018 - (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

Vi. कंपनी पर विशेष रूप से लागू होने वाले अन्य कानून: कोई अन्य नहीं हैं

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी पर उद्योग विशिष्ट कानून लागू होते हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है,

ऊपर उल्लिखित नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि, निम्नलिखित के अधीन

अवलोकन:

क्रं संख्या	अनुपालन की आवश्यकता (विनियम/परिपत्र/ दिशानिर्देश विशिष्ट खंड सहित)	विनियम/परिपत्र क्रमांक	बीएसई लिमिटेड द्वारा लगाया गया एसओपी जुर्माना	प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियाँ	प्रबंधन प्रतिक्रिया	टिप्पणी
1)	बोर्ड बैठक की पूर्व सूचना	विनियम 29(2) एवं 29(3)	11800	30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए 14 अगस्त, 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए विनियम 29(2) के तहत पूर्व सूचना 09 अगस्त, 2021 को भेजी गई थी। पहला दिन	14/08/2021 को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए विनियम 29(2) के तहत 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए पूर्व सूचना 09 अगस्त, 2021 को भेजी गई थी (कृपया ध्यान दें कि यह कोविड-19 के बाद की अवधि थी और 5 दिन का नोटिस दिया गया था)	कंपनी ने कमजोर वित्तीय स्थिति और कंपनी बंद करने संबंधी फैसले को देखते हुए एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है
2)	बोर्ड बैठक की पूर्व सूचना	विनियम 29(2) एवं 29(3)	11800	30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय	भारत सरकार के निदेशकों से बैठक के समय की पुष्टि न होने के कारण देरी हुई	कंपनी ने कमजोर वित्तीय स्थिति और कंपनी बंद करने संबंधी फैसले को देखते हुए एसओपी

				परिणामों के अनुमोदन के लिए 12 नवंबर, 2021 को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए विनियम 29(2) के तहत पूर्व सूचना 09 नवंबर, 2021 को भेजी गई थी। तीन दिन		जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है
3)	जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव की नियुक्ति	विनियम 6(1)	107380	कंपनी सचिव की कंपनी अधिकारी के रूप में नियुक्ति न होना	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी की रिक्ति 20.07.2021 को श्री समर्थ दवे की नियुक्ति से भरी गई थी और एसआईएल के समापन निर्णय और सप्ताह की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जुर्माना माफ किया जा सकता है	कंपनी ने कमजोर वित्तीय स्थिति और कंपनी बंद करने संबंधी फैसले को देखते हुए एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है
4)	सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव की नियुक्ति	विनियम 6(1)	22420	कंपनी सचिव की कंपनी अधिकारी के रूप में नियुक्ति न होना	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी की रिक्ति 20.07.2021 को श्री समर्थ दवे की नियुक्ति से भरी गई	कंपनी ने कमजोर वित्तीय स्थिति और कंपनी बंद करने संबंधी फैसले को देखते हुए एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है

5)	जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	विनियम 17(1)(ए)	536900	सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बोर्ड के पास एक स्वतंत्र निदेशक की कमी है।	स्वतंत्र और अन्य निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। एसआईएल इस संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। श्रीमती भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 3(20)/2013-PE-VI दिनांक 28 जनवरी 2020 के तहत राकेश शर्मा और श्री महेंद्र प्रताप सिंह को कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नई दिल्ली (एमएचआई)। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए एमएचआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की है। श्री राज कुमार को 02 नवंबर, 2021 से गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने बीएसई से एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है।

6)	सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	विनियम 17(1)(ए)	542800	सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बोर्ड के पास एक स्वतंत्र निदेशक की कमी है।	स्वतंत्र और अन्य निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। एसआईएल इस संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। श्रीमती भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 3(20)/2013-PE-VI दिनांक 28 जनवरी 2020 के तहत राकेश शर्मा और श्री महेंद्र प्रताप सिंह को कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नई दिल्ली (एमएचआई)। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए एमएचआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की है। श्री राज कुमार को 02 नवंबर, 2021 से गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने बीएसई से एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है।

7)	मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	विनियम 17(1)(सी)	483800	मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशक नहीं हैं	निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। श्री सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल 01.01.2018 से पूरा होने के बाद से। 24 मार्च, 2022 को बोर्ड की ताकत घटकर पांच सदस्यों तक रह गई। कंपनी बोर्ड की संख्या को न्यूनतम छह निदेशकों तक बढ़ाने के लिए एमएचआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने बीएसई से एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है।
8)	जून, 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	विनियम 17(1)(सी)	194700	जून, 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशक नहीं हैं।	निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। श्री सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल 01.01.2018 से पूरा होने के बाद से। 24 मार्च, 2022 को बोर्ड की ताकत घटकर पांच सदस्यों तक रह गई। कंपनी बोर्ड की संख्या को न्यूनतम छह निदेशकों तक बढ़ाने के लिए एमएचआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने बीएसई से एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है।
9)	सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न	विनियम 31	25960	सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए शेयरधारिता पैटर्न 04 नवंबर 2022 को देरी से	सीडीएसएल से समय पर डेटा न मिलने के कारण देरी हुई	कंपनी ने एसओपी जुर्माने से छूट के लिए बीएसई से अनुरोध किया है, क्योंकि सीडीएसएल

				प्रस्तुत किया गया था		से समय पर डेटा न मिलने के कारण देरी हुई है।
10)	30 सितंबर, 2022 को समाप्त छमाही के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन की रिपोर्ट	विनियम 23(9)	171100	30 सितंबर, 2022 को समाप्त छमाही के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण 26 दिसंबर, 2022 को देरी से प्रस्तुत किया गया था।	आधे वर्ष के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ, तदनुसार 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर 12 नवंबर, 2022 को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।	कंपनी ने एसओपी जुर्माने से छूट के लिए बीएसई से अनुरोध किया है, क्योंकि आधे साल के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ था
11)	दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (यूएफआर)।	विनियम 33	165200	प्रारूप मुद्दे को सुधारने के लिए दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए संशोधित यूएफआर निर्धारित समय सीमा से परे प्रस्तुत किया गया था।	दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए यूएफआर को 12 फरवरी, 2023 को निर्धारित समय के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, हालांकि सीमित समीक्षा रिपोर्ट को सुधारने के लिए, संशोधित प्रति 10 मार्च, 2023 को प्रस्तुत की गई थी।	कंपनी ने एसओपी जुर्माने से छूट के लिए बीएसई से अनुरोध किया है, क्योंकि यूएफआर 12 फरवरी, 2023 को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था, हालांकि सीमित समीक्षा रिपोर्ट को सुधारने के लिए, संशोधित प्रति 10

						मार्च, 2023 को प्रस्तुत की गई थी।
12)	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड संरचना	विनियम 17(1)(बी) और 17(1)(सी)	531000	बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशक नहीं हैं और मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो स्वतंत्र निदेशकों की भी कमी है।	स्वतंत्र और अन्य निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। एसआईएल इस संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। श्रीमती भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 3(20)/2013-PE-VI दिनांक 28 जनवरी 2020 के तहत राकेश शर्मा और श्री महेंद्र प्रताप सिंह को कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नई दिल्ली (एमएचआई)। श्री राज कुमार को 02 नवंबर, 2021 से गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हालाँकि, 27 जनवरी, 2023 से दो स्वतंत्र निदेशकों श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्रीमती राकेश शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से, कंपनी दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी	सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और कंपनी ने बीएसई से एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है।

					है, जिसके लिए एमएचआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, साथ ही बोर्ड की संख्या को न्यूनतम छह निदेशकों तक बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है।	

13)	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए लेखापरीक्षा समिति की संरचना	विनियम 18	शून्य	ऑडिट समिति के पास न्यूनतम दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता के विपरीत केवल एक स्वतंत्र निदेशक है	स्वतंत्र और अन्य निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। एसआईएल इस संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। श्रीमती भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 3(20)/2013-PE-VI दिनांक 28 जनवरी 2020 के तहत राकेश शर्मा और श्री महेंद्र प्रताप सिंह को कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नई दिल्ली (एमएचआई)। श्री राज कुमार को 02 नवंबर, 2021 से गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हालाँकि, 27 जनवरी, 2023 से दो स्वतंत्र निदेशकों श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्रीमती राकेश शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से, कंपनी दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी है, जिसके लिए एमएचआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, साथ ही बोर्ड की संख्या को न्यूनतम छह निदेशकों तक बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है।	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति की संरचना असंगत है

14)	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना	विनियम 19	शून्य	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में न्यूनतम दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता के विपरीत केवल एक स्वतंत्र निदेशक है	स्वतंत्र और अन्य निदेशकों की नियुक्ति इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। एसआईएल इस संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। श्रीमती भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 3(20)/2013-PE-VI दिनांक 28 जनवरी 2020 के तहत राकेश शर्मा और श्री महेंद्र प्रताप सिंह को कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नई दिल्ली (एमएचआई) । श्री राज	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना असंगत है

					कुमार को 02 नवंबर, 2021 से गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हालाँकि, 27 जनवरी, 2023 से दो स्वतंत्र निदेशकों श्री महेंद्र प्रताप सिंह और श्रीमती राकेश शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से, कंपनी दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी है, जिसके लिए एमएचआई के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, साथ ही बोर्ड की संख्या को न्यूनतम छह निदेशकों तक बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है।	

15)	जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव की नियुक्ति	विनियम 6(1)	शून्य	कंपनी सचिव की कंपनी अधिकारी के रूप में नियुक्ति न होना	01 अप्रैल, 2022 से श्री समर्थ दवे के इस्तीफे के कारण कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी की रिक्ति 29.12.2022 को श्री रवि प्रकाश तिवारी की नियुक्ति से भरी गई थी।	कंपनी ने कमजोर वित्तीय स्थिति और कंपनी बंद करने संबंधी फैसले को देखते हुए एसओपी जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है
16)	प्रवर्तकों की होल्डिंग का डीमैटरियलाइजेशन	लिस्टिंग विनियमों का विनियम 31(2)	शून्य	Rs 10 के 3,37,90,000 इक्विटी शेयर जो भारत सरकार को जारी किए गए हैं अभी भी भौतिक रूप में हैं	सीपीएसई होने के कारण कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से जनता द्वारा रखे गए केवल 19,90,010 इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया है और इन शेयरों का डीमैट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शेयरों की लिस्टिंग के अभाव में लंबित है।	भारत सरकार के पत्र क्रमांक द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कंपनी को बंद करने के लिए एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021

17)	न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता	लिस्टिंग विनियमों के विनियम 38 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए	शून्य	न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता के मुकाबले भारत सरकार की हिस्सेदारी 93.87% है और सार्वजनिक शेयरधारिता केवल 6.13% है।	न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता का उल्लंघन समय-समय पर भारत सरकार को शेयर जारी करने के कारण होता है।	भारत सरकार के पत्र क्रमांक द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कंपनी को बंद करने के लिए एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021.
18)	स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की सूचीकरण	अनुसूची XIX - स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	शून्य	पूरे 8,19,24,029 इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक भारत सरकार के पास है और 33,61,461 इक्विटी शेयर रु. विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा धारित प्रत्येक 10/- (न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता	सीपीएसई होने के कारण कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से जनता द्वारा रखे गए केवल 19,90,010 इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया है और समय-समय पर भारत सरकार को जारी किए गए शेयरों की सूची लंबित है।	भारत सरकार के पत्र क्रमांक द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कंपनी को बंद करने के लिए एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI,

		आईसीडीआर विनियमों के विनियम 7(1)(ए), 62(1)(ए), 104(1)(ए) और 183(3)(ए) के साथ पढ़ें		आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार से हस्तांतरित) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं		दिनांक 28 जनवरी, 2021.
19)	अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव	लिस्टिंग विनियमों का विनियम 6(1): एक सूचीबद्ध इकाई एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी	शून्य	कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी नहीं है।	कंपनी ने 29 दिसंबर, 2022 से कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है	कंपनी ने 29 दिसंबर, 2022 से कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है

20)	कंपनी वेबसाइट	लिस्टिंग विनियमों का विनियम 46:	शून्य	कंपनी की वेबसाइट अद्यतन एवं क्रियाशील नहीं पाई गई है	कंपनी वेबसाइट www.scoootersindia.com का रखरखाव कर रही थी, हालांकि सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिए जाने के कारण इसे बनाए रखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। अब कंपनी ने नई वेबसाइट www.scootersindialimited.com बनाई है और उस पर सभी आवश्यक डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 46 के संदर्भ में बीएसई पर भी स्थिति अपडेट करेगी।	अब कंपनी ने नई वेबसाइट www.scootersindialimited.com बनाई है और उस पर सभी आवश्यक डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 46 के संदर्भ में बीएसई पर भी स्थिति अपडेट करेगी।
21)	संरचित डिजिटल डेटाबेस का रखरखाव	विनियम 3(5) और 3(6) पीआईटी विनियम	शून्य	कंपनी ने अभी तक कानून की निर्धारित आवश्यकता को पूरा करते हुए एसडीडी टूल में प्रविष्टियों को अद्यतन नहीं किया है	कंपनी ने कानून की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आवश्यक उपकरण स्थापित किए हैं और मौजूदा डेटा बेस को नई प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा	-

इसके अलावा, हमने नोट किया है कि:

ए) कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास कुछ फॉर्म/रिटर्न/दस्तावेज आदि देरी से दाखिल किए हैं

अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कानपुर

कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों के तहत।

बी) कंपनी ने कंपनी की धारा **138** की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है

कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम, **2013**

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), 149(5) और 149(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 और सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015, कंपनी को कंपनी के बोर्ड और भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या 3(20) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है। /2013-**PE-VI** दिनांक 28 जनवरी 2020 को श्रीमती नियुक्त किया गया है। राकेश शर्मा और श्री महेंद्र प्रताप सिंह को कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, कंपनी ने श्री राज कुमार को 02.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है I कंपनी उक्त आवश्यकता के अनुपालन में है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

 सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि हमने कुछ मामलों में एजेंडा पेपर भेजने में देरी देखी है, और मांग करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करना।

 बहुमत के निर्णय के माध्यम से किया जाता है, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज और रिकॉर्ड किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रभावी निगरानी और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी में सिस्टम और प्रक्रियाओं को और मजबूत और सुधार की आवश्यकता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव पड़ा

कंपनी के मामलों पर ध्यान दिया गया:

मैं। संचार के संदर्भ में पत्र क्रमांक. एफ. क्रमांक 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28.01.2021 एमएचआई से, कंपनी का परिचालन बंद कर दिया गया था और एसआईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी
शुरू कर दिया गया है और कंपनी एक चालू चिंता का विषय और आवश्यक नहीं रह गई है उक्त संचार के अनुसार कदम लागू किए जा रहे हैं। तदनुसार, सभी नियमित
कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया है और यह 29.04.2021 से प्रभावी है।
कंपनी की नियमित ताकत शून्य है। इसके अलावा कंपनी ने सभी का निपटान कर दिया है चल संपत्ति (कुछ ब्रांडों को छोड़कर) एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा।
द्वितीय. भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा दी गई मंजूरी के संदर्भ में पत्र दिनांक 21.10.2022 द्वारा 147.49 एकड़ पट्टा भूमि भवन/वृक्ष सहित
सरोजिनी नगर में स्थित "जैसा और जहां आधार" पर यूपीएसआईडीए (उत्तर) में स्थानांतरित कर दिया गया है
प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) उत्तर प्रदेश सरकार दिनांक 01.12.2022

कृते
अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./-
अमित गुप्ता
मालिक
सदस्यता संख्या: F5478
सी.पी. नंबर 4682
यूडीआईएन - F 005478 E 000432960
दिनांक: 30.05. 2023

जगह: लखनऊ

नोट: इस रिपोर्ट को सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

सेवा में,

सदस्यगण,

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,

3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड,

गोमती नगर, लखनऊ - 226 010,

उत्तर प्रदेश, भारत

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की किताबों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4. जहां कभी भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों नियमों विनियमों मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते
अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./-
अमित गुप्ता
मालिक
सदस्यता संख्या: F5478

सी.पी. नंबर 4682

यूडीआईएन - F 005478 E 000432960

दिनांक: 30.05.2023 जगह: लखनऊ

निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में घोषणा

कंपनी के सभी निदेशकों ने एक घोषणा प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। श्री अमित गुप्ता पेशेवर कंपनी सचिव ने इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (अनुलग्नक-6)।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संबंधित आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है जैसा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उनके लिए लागू है।

ह./-

अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जगह: लखनऊ
दिनांक: 09.11.2023

अनुबंध -6

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

[उक्त लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34(3) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015 की अनुसूची v के पैरा सी के खंड 10(i) के अनुसार]।

सेवा में,

सदस्यगण,

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड,

लखनऊ

1. हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की स्थिति की जांच की है जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों 2015 की अनुसूची v के पैरा सी के खंड 10 (i) के प्रावधानों के अनुसार है।

2. यह न तो ऑडिट है और न ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा डिबारिंग या अयोग्यता की वैधता के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी परीक्षा कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड और एमसीए स्टॉक एक्सचेंज (एस) सेबी और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण (विनिर्दिष्ट) की वेबसाइट की समीक्षा तक सीमित थी जैसा कि इस प्रमाण पत्र के अनुबंध में निर्दिष्ट है और यह सत्यनिष्ठा है कि निदेशकों की जिम्मेदारी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में पूर्ण और सटीक जानकारी के साथ प्रासंगिक घोषणाएं और प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के लिए है।

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रासंगिक अभिलेखों और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों द्वारा की गई घोषणाओं और प्रकटीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की हमारी जांच के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि इनमें से कोई भी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकों को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

कृते
अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

ह./-

अमित गुप्ता
मालिक

सदस्यता संख्या: F5478

सी.पी. नंबर 4682

यूडीआईएन - F005478 E000432971

दिनांक: 30.05.2022

जगह: लखनऊ

अनुबंध-**8**

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के नियम 5(1) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014

(राशि लाखों में)

पूर्णकालिक निदेशकों के नाम	पदनाम	**वर्ष 2022-23 में** पारिश्रमिक (रुपये में)	वर्ष 2021-22 में पारिश्रमिक (रुपये में)	पारिश्रमिक में **%** वृद्धि	कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक से पारिश्रमिक का अनुपात	शुद्ध लाभ के पारिश्रमिक का अनुपात **(2022-23)**
श्री रुपेश तैलंग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	·	-	-	-	-
श्री मुकेश कुमार	निदेशक (वित्त)	-	**-**	-	**-**	-

(राशि लाखों में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	**वर्ष 2022-23 में** पारिश्रमिक (रुपये में)	वर्ष 2021-22 में पारिश्रमिक (रुपये में)	पारिश्रमिक में **%** वृद्धि
श्री एम पी सिंह	·	·	-
श्रीमती राकेश शर्मा	·	·	·
श्री राज कुमार	·	·	·

कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा हैए हालांकि प्रत्येक बैठक/समिति के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है

बैठक / रु. 5000६ प्रति मीटिंग. (राशि लाखों में)

(राशि लाखों में)

केएमपी का नाम	**वर्ष 2022-23** में पारिश्रमिक (रुपये में)	वर्ष 2021-22 में पारिश्रमिक (रुपये में)	शुद्ध लाभ के लिए पारिश्रमिक का अनुपात (2022-23)
श्री राज शेखर तिवारी	5.85	5.40	-
सी एस श्री रवि प्रकाश तिवारी- कंपनी सचिव	1.45	-	·

(i) वर्ष 202**2**-2**3** और 202**1**-2**2** में कर्मचारियों का औसत पारिश्रमिक रु. शून्य और रु. शून्य। औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि 0% है।

(ii) 31 मार्च**,** 202**3** को समाप्त वर्ष के अनुसार कंपनी के पास कंपनी के रोल पर स्थायी कर्मचारियों की संख्या शून्य थी।

(iii) 31 मार्च**,** 202**3** को समाप्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ रु.7**6.44** करोड़ था**,** जबकि शुद्ध घाटा रु. 31 मार्च**,** 202**2** को समाप्त वर्ष के लिए **7.58** करोड़। कंपनी के शुद्ध घाटे में कमी का प्रतिशत (-) 1**00**% है। डब्ल्यूटीडी और केएमपी के पारिश्रमिक में वृद्धि वर्ष 202**3** में क्रमशः शून्य% और शून्य% थी। 2021 की तुलना में। पारिश्रमिक में वृद्धि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार थी।

(iv) चालू वर्ष 202**3** और पिछले वर्ष 202**2** के समापन पर बाजार पूंजीकरण और मूल्य आय अनुपात में भिन्नता इस प्रकार है:-

	2022-23	**2021-22**
बाज़ार सीएपी मूल्य आय अनुपात	23144.60 लाख 0.09	27398.15 लाख 0.86

V. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी को उच्चतम वेतन पाने वाले निदेशकों से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

vi. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी नहीं थे जिनकी प्रकटीकरण आईडी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5 (2) के तहत आवश्यक थी।

अनुलग्नक-**9**

फॉर्म नं. एओसी.2

संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण

अधिनियम की धारा 134 के उप-विनियम (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार

यह प्रपत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का खुलासा करता है, जिसमें इसके तीसरे प्रावधान के तहत कुछ हथियारों की लंबाई के आधार पर लेनदेन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्योरा जो हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं है: रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था दर्ज नहीं की गई है, जो हथियारों की लंबाई के आधार पर नहीं थी।

2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्था या हथियारों की लंबाई के आधार पर लेनदेन का विवरण: रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान दर्ज किए गए अनुबंध या व्यवस्था हथियारों की लंबाई के आधार पर निम्नानुसार हैं:

संबंधित पार्टी का नाम	**संबंधों की प्रकृति**	**अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति**	**अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि**	**मुख्य शर्तें**	**राशि**
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-
अमित श्रीवास्तव
डीआईएन : 10141867
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

जगह: लखनऊ
दिनांक : 09.11.2023

31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र

विवरण	नोट नं.	31.03.2023 तक रु. लाख में	31.03.2022 तक रु. लाख में
ए. सम्पत्तियां			
(I) गैर-वर्तमान संपत्ति			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	-	-
(बी) उपयोग संपत्ति का अधिकार	2.1	-	**4.94**
(बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	2	-	-
(सी) वित्तीय संपत्ति		.	.
(i) गैर-वर्तमान निवेश	**3**	**-**	**-**
(ii) व्यापार प्राप्तियां	4	.	**15.09**
(iii) ऋण		**-**	.
.**(iv)** अन्य - सुरक्षा जमा	5		103.64
(डी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	6	.	.
(ई) अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति		.	.
कुल अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति(I)			**123.67**
II वर्तमान संपत्ति			
(ए) सूची	8		-
(बी) वित्तीय संपत्ति			
(i) वर्तमान निवेश		.	.
(ii) व्यापार प्राप्य	9	15.09	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	10	482.97	4678.43
(iv) बैंक बैलेंस ऊपर **(iii)** के अलावा	10	6155.70	1654.74
(v) ऋण		.	.
(vi) अन्य (ऋण और अग्रिम)	11	106.65	-
(सी) वर्तमान कर संपत्ति (नेट)		.	.
(डी) अन्य वर्तमान संपत्ति	12	2004.41	1715.36
उप-कुल वर्तमान संपत्ति		**8764.82**	**8048.53**
बिक्री के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्तियां		**00**	**00**
		00	**00**
कुल वर्तमान संपत्ति (Ii)		**8764.82**	**8275.05**

कुल संपत्ति (I+II)		**8764.82**	**8275.05**
बी इक्विटी और देनदारियां			
(I) इक्विटी			**8727.39**
ए) इक्विटी शेयर पूंजी	13	8727.39	-
बी) अन्य इक्विटी		.	.
(I) अन्य वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक		.	.
(ii) प्रतिधारित आय	14	7847.61	7924.06
(iii) रिजर्व	14	4.90	4.90
(iv) शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन		.	.
(v) अन्य		.	.
कुल इक्विटी(I)		**884.68**	**808.23**
((**Ii) देयताएं**			
(1) **गैर-वर्तमान देनदारियां**			
(ए) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	**15**	**-**	**5700.00**
(ii) पट्टा देयताएं	**16**		**3.19**
(iii) व्यापार देय		.	.
(iv) अन्य वित्तीय देनदारियां		.	.
(बी) गैर-वर्तमान प्रावधान	**17**		.18.01
(सी) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		.	.
(डी) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	**18**		227.32
कुल गैर चालू देनदारियां (1)			**5948.52**
(2) वर्तमान देनदारियां			
(ए) वित्तीय देनदारियां	**19**	**5700**	
(i) अल्पावधि उधार	**20**	.	
(ii) पट्टा देयताएं	**21**	**2.84**	**2.84**
(iii) व्यापार और अन्य देय	**21**	**530.30**	**616.51**
(iv) अन्य वित्तीय देनदारियां	**22**		
(बी) अन्य चालू देनदारियां	**23**	**1454.94**	**898.95**
(सी) वर्तमान प्रावधान	**24**	**18.01**	
(डी) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)		**174.05** .	.
कुल वर्तमान देनदारियां (2)		**7880.14**	**1518.30**

कुल देनदारियां (II)=[(1)+(2)]	**7880.14**	**7466.82**
कुल इक्विटी और देनदारियां (I+II)	**8764.82**	**8275.05**

साथ में नोट 1 से 53 तक वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है|

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.-04570सी
एसडी/
(सीए. सुदर्शन कुमार विज)
साथी
एम. नं.- 007859
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023
UDIN: 23007859BGRDDU9401

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
एसडी/-
(अमित श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10141867

एसडी/-
(आर.एस.तिवारी)
सी.एफ.ओ./ सलाहकार
(वित्त)
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023

एसडी/-
(अरुण कुमार दीवान)
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन - 10170576

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण	नोट संख्या	वर्ष समाप्त 31.03.2023 रु. लाख में	वर्ष समाप्त 31.03.2022 रु. लाखो में
I. संचालन से राजस्व	25	-	-
II. अन्य आय	26	985.54	2618.84
III. कुल आय (I +II)		985.54	2618.84
Iv. खर्चः			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	27		4.93
पेट्रोल पंप पर बिक्री की लागत	27	-	-
तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और निपटान स्टोर	28		-
माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		--	--
कर्मचारी लाभ व्यय	29	-	605.24
वित्त लागत	30	553.50	558.05
अन्य व्यय	31	355.60	692.63
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	32	-	-
कुल		909.10	1860.85
घटा: उपरोक्त पूंजीकृत में शामिल व्यय		-	-
कुल व्यय (IV)		909.10	1860.85
V. असाधारण और मदों और कर **(III-IV)** से पहले लाभ/(हानि)		76.44	757.99
VI. असाधारण आइटम		76.44	757.99 -
VIi. कर पूर्व लाभ (हानि) **(V-VI)**		76.44	757.99
VIii. कर व्ययः			
(1) वर्तमान कर	33	-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
iX. लगातार परिचालन करने से लाभ/(हानि) **(Vii-VIii)**		76.44	-
X. परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि			
XI. परिचालन बंद करने का कर व्यय		-	-
Xii. परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर के बाद) **(X-XI)**		-	-
Xiii. लाभ/(हानि) अवधि के लिए **(IX+XII)**		76.44	757.99

XIV. न्य व्यापक आय

ए **(i)** आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा

- परिभाषित लाभ दायित्व का लाभ/(हानि) **-**

(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा

बी **(i)** आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा लाभ या हानि के लिए

XV. अवधि के लिए कु ल व्यापक आय **(XIII+XIV)** **76.44** **-**

XVI. प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए): **34**

(1) बुनियादी	**0.09**	**0.87**
(2) जलमिश्रित	**0.09**	**0.87**

XVII प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए):

(1) बुनियादी

(2) जलमिश्रित

XVIII प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और निरंतर संचालन के लिए):

(1) बुनियादी	**0.09**	**0.87**
(2) जलमिश्रित	**0.09**	**0.87**

साथ में नोट **1** से **52** तक वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं**|**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.-04570सी
एसडी/
(सीए. सुदर्शन कुमार विज)
साथी
एम. नं.- 007859
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023
UDIN: 23007859BGRDDU9401

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
एसडी/-
(अमित श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10141867

एसडी/-
(आर.एस.तिवारी)
सी.एफ.ओ./ सलाहकार
(वित्त)
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023

एसडी/-
(अरुण कुमार दीवान)
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन - 10170576

लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 32 के अनुसार 31 मार्च-2023 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

विवरण		वर्ष समाप्त 31.03.2023 रु.लाख में	वर्ष समाप्त 31.03.2022 रु. लाखो में
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :			
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		76.44	757.99
के लिए समायोजन:			
- मूल्यह्रास			
(i) चालू वर्ष के लिए			-
(ii) पूर्व अवधि के लिए		-	
-पूर्व वर्ष के आइटम		-	-
-नुकसान बट्टे खाते में डालना		-	-
-निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान		-	-
-संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते में डालना			-
- इन्वेंटरी अप्रचलन के लिए प्रावधान			-
-अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा	-		
-ब्याज आय		333.14	83.55
.ब्याज का भुगतान किया		553.50	553.50
- विनिमय दर परिवर्तन में (लाभ)/हानि	-		-
- अचल संपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि		220.36	474.50
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		296.80	1232.49)
समायोजन के लिए:			
-व्यापार प्राप्य	55.19		54.34
-इन्वेंटरी	-		638.74
-अन्य वर्तमान संपत्तियां	286.73)		165.68
-वित्तीय आस्तियां - अन्य	3.01		37.07
-अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	102.85		102.85
-अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	(19.69)		(61.25)
-व्यापार देय	86.21		(754.37)
-अन्य वर्तमान देयताएं	(572.09)		(150.74)
-वित्तीय संपत्ति - ऋण और अग्रिम			1.52
-संपत्ति कोष	-		-
-प्रावधान	224.11	337.00	1862.86
परिचालन से उत्पन्न नकद/(हानि):	520.91		630.37
कम करों का भुगतान;			
आयकर के लिए प्रावधान		-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी			

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	(520.91)	630.37
- अचल संपत्तियों/पूंजीगत व्यय में वृद्धि	1179.46	-
अचल संपत्तियों की बिक्री / समायोजन	4.94	1744.73
-ब्याज आय	333.14	83.55
. बैंकों के पास अन्य सावधि	4500.95	85.55
जमा की वसूली/(बनाई गई)	85.55	667.09
-(हानि)/विनिमय दर में	-	-
	------------------	---------------
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	4162.87	1742.73
	--------------------	--------------

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:

.ब्याज का भुगतान किया	-			-
.शेयर पूंजी में वृद्धि	-			.
. जीओआई को सावधि ऋण की चुकौती	-			-
.जीओआई से दीर्घकालिक ऋण की प्राप्ति	553.50		558.05	
-				
.भारत सरकार ऋण 4,100 का निपटान				-
. एमएनआरई से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण	-			-
.;कमी)/नकद ऋण सीमा में वृद्धि	-.			.
		---------------		---------------
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी		553.50		558.05
		....		....
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		4195.46		554.31
नकद और नकद समकक्ष (शुरुआती शेष राशि)		4678.43		4124.12
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)		482.97		4678.43

कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नोट्स

1. इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इंडियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अनुसार इनडायरेक्ट मेथड पर कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया गया है।

2. नकद और नकद समकक्ष:

नकद और नकद समकक्ष	**2022-23**	**2021-22**
हाथ में नकद	**0.06**	**0.06**
हाथ में चेक	**481.61**	**4677.07**
बैंकों के साथ संतुलन		
चालू खाते		
मूल परिपक्वता के साथ बैंक में जमा	**1.30**	**1.27**
3 महीने से कम का	**482.97**	**4678.43**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.-04570सी
एसडी/
(सीए. सुदर्शन कुमार विज)
साथी
एम. नं.- 007859
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023
UDIN: 23007859BGRDDU9401

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
एसडी/-
(अमित श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10141867

एसडी/-
(आर.एस.तिवारी)
सी.एफ.ओ./ सलाहकार
(वित्त)
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023

एसडी/-
(अरुण कुमार दीवान)
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन - 10170576

इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

कंपनी का नाम: स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, **2022** को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी (रुपये लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
8727.39	0	0	0	8727.39

बी पूर्व में रिपोर्टिंग समय

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
8727.39	0	0	0	8727.39

रिजर्व और सरप्लस (रु. लाख में)

	साझा करें आवेदन का पैसा लंबित आवंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	संपत्ति कोष	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	अन्य भंडार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधरित कमाई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकृति निर्दिष्ट करें	शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन	
1 अप्रैल 2019 को शेष राशि लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि														

घटा: पिछले वर्ष का खर्च														
घटा: भारतीय लेखा मानक के अनुसार समायोजन														
जोड़ा: वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि)			**4.90**			**7.9124.06**							**7.919.16**	
जोड़ा: अन्य व्यापक आय						**87.41**								
31 **मार्च**, 2020 **को शेष राशि**						**8682.05**								
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि														
घटा: पिछले वर्ष का खर्च			**4.90**											

घटा: भारतीय लेखा मानक के अनुसार समायोजन														
जोड़ा: वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ/(हानि)														
जोड़ा: अन्य व्यापक आय														
31**मार्च**, 2023 **को शेष राशि**														

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.-04570सी
एसडी/
(सीए. सुदर्शन कुमार विज)
साथी
एम. नं.- 007859
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023
UDIN: 23007859BGRDDU9401

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
एसडी/-
(अमित श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10141867

एसडी/-
(आर.एस.तिवारी)
सी.एफ.ओ./ सलाहकार
(वित्त)
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 29 मई 2023

एसडी/-
(अरुण कुमार दीवान)
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन - 10170576

खातों के साथ संलग्न और उनका हिस्सा बनना

<u>नोट संख्या-</u> <u>1</u>

वित्तीय विवरण के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और नोट

1. अनुपालन का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और अन्य संबंधित प्रावधानों के साथ वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। अधिनियम। कंपनी ने सभी अवधियों के लिए लगातार लेखांकन नीतियों को लागू किया है। 24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (**MCA)** ने एक अधिसूचना के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची **III** और 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाली वित्तीय अवधि के लिए संशोधन लागू होते हैं। कंपनी ने प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसके वित्तीय विवरणों में संशोधन और उसी का अनुपालन किया।

2. लेखांकन की प्रणाली:

(i) बुनियादी धारणाएँ: खातों को ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत स्रोतों के आधार पर और लागू अनिवार्य लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

कंपनी अधिनियम **2013** की अनुसूची III में निर्धारित कंपनी के परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए संपत्ति के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर नकद तथा नकद समकक्षों में उनकी वसूली कंपनी ने संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

(ii) चिंता का विषय:

कैबिनेट के रणनीतिक फैसले के मुताबिक कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली (भारत सरकार), पत्र संख्या एफ.सं. 3(1)/2020-पीई-**VI,** दिनांक 28/01/2021 के माध्यम से अपने निर्णय की सूचना दिनांक 14/06/2018 के ओएम द्वारा डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सभी कार्यों को बंद करने के साथ-साथ कंपनी को बंद करने के संबंध में, निदेशक मंडल ने 11/02/2021 को आयोजित अपनी

बैठक में उसी के अनुपालन में बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी का। तदनुसार, कंपनी एक चालू संस्था के रूप में समाप्त हो गई है और चालू वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण नॉन-गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी ने उपरोक्त पत्र के अनुपालन में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वर्ष के दौरान अधिकांश संपत्तियों और मालसूची मदों की नीलामी की और शेष समापन कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रक्रिया में है।

(iii) अनुमानों का उपयोग:

IND AS के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करते हैं और इन वित्तीय की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। विवरण और प्रस्तुत वर्षों के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

(iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली (भारत सरकार) के पत्र के माध्यम से कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करते हुए **MSTC** के माध्यम से वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकांश अचल संपत्तियों की नीलामी की गई है। उक्त नीलामी के बाद बही-खातों में केवल भूमि, भवन और सोलर प्लांट ही दिखाई दे रहे हैं। आईएनडी एएस के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करते हुए शेष परिसंपत्तियों का लेखांकन उपचार नीचे दिया गया है: -

1. फ्रीहोल्ड भूमि को लागत पर मापा जाता है और इसका मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

2. आईएनडी एएस 105 के प्रावधानों के अनुसार, शेष संपत्तियों को एक अलग डिस्पोजेबल समूह में स्थानांतरित कर दिया गया है और गैर-वर्तमान संपत्तियों के तहत "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास वर्ष के दौरान नहीं लगाया गया है।

3. कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक कंपनी द्वारा सौर ऊर्जा प्रणाली के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया है, सौर ऊर्जा प्रणाली के पंजीकृत मूल्यांकक मूल्य की रिपोर्ट के अनुसार उचित रूप से समायोजित।

1,00,000 रुपये से कम मूल्य के विभागीय रूप से निर्मित/खरीदे गए उपकरण और एक अवधि से कम अनुमानित उपयोगी जीवन उपभोज्य प्रकृति के होने के कारण प्रासंगिक प्राकृतिक शीर्षों के तहत राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से निर्माण अवधि के खर्च को पूंजीकृत किया जाता है

(iv) नया लेखा मानक- भारतीय लेखा मानक 116

कंपनी प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था का मूल्यांकन करती है चाहे वह भारतीय लेखा मानक 116 के तहत परिभाषित पट्टे के रूप में योग्य हो।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी भूमि और भवनों के पट्टे के लिए एक व्यवस्था में प्रवेश करती है। इस तरह की व्यवस्था आम तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए होती है लेकिन इसमें विस्तार या समाप्ति के विकल्प हो सकते हैं। कंपनी यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध इसकी स्थापना के समय एक पट्टा है या इसमें शामिल है। एक अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है यदि अनुबंध निम्नलिखित का अधिकार देता है -

ए) एक पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करें

बी) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त करें और

सी) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करें

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसे पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प के साथ समायोजित किया जाता है यदि इस तरह के विकल्प का उपयोग यथोचित रूप से निश्चित है। कंपनी लीज-बाय-लीज के आधार पर अपेक्षित लीज अवधि का आकलन करती है और वहां यह आकलन करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि अनुबंध को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। लीज़ अवधि का मूल्यांकन करने में कंपनी लीज़ की समाप्ति से संबंधित लीज़ अवधि की लागतों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण लीज़होल्ड सुधार और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्थान को ध्यान में रखते हुए कंपनी के संचालन के लिए उपयुक्त विकल्पों की उपलब्धता पर अंतर्निहित परिसंपत्ति के महत्व पर विचार करती है।

भविष्य की अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पट्टा अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है। कंपनी यह आकलन करती है कि क्या उसे उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टेदार के रूप में पट्टों का मापन और मान्यता

लीज शुरू होने की तिथि पर कंपनी बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति (आरओयू) और संबंधित लीज देयता को पहचानती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता का प्रारंभिक माप शामिल होता है कंपनी द्वारा किए गए किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत किसी भी लागत का अनुमान पट्टे के अंत में संपत्ति को नष्ट करना और हटाना तथा पट्टा शुरू होने की तारीख से पहले किए गए किसी भी पट्टे का भुगतान करना (किसी भी प्रोत्साहन का शुद्ध प्राप्त) है।

कंपनी राइट-ऑफ-यूज़ एसेट्स का मूल्यह्रास रिटेन डाउन वैल्यू मेथड (और कुछ सहायक कंपनियों के संबंध में स्ट्रेट-लाइन मेथड) का उपयोग करके लीज शुरू होने की तारीख से लेकर राइट-ऑफ-यूज उपयोगी जीवन के अंत या संपत्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक करती है। कंपनी ऐसे संकेतक मौजूद होने पर हानि के लिए उपयोग के अधिकार की संपत्ति का भी आकलन करती है।

प्रारंभ किए जाने की तिथि पर कंपनी उस तिथि पर भुगतान न किए गए पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापती है यदि वह दर आसानी से उपलब्ध है या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर है तो पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। लीज देनदारी के मापन में शामिल लीज भुगतान निश्चित भुगतानों (निश्चित पदार्थ सहित) सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्तनीय भुगतान अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की उम्मीद की जाने वाली राशि और निश्चित रूप से निश्चित विकल्पों से उत्पन्न होने वाले भुगतानों से बने होते हैं।

विस्तार और समाप्ति विकल्प कंपनी भर में कई संपत्ति और उपकरण पट्टों में शामिल हैं। इनका उपयोग कंपनी के संचालन में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन के मामले में परिचालन लचीलेपन को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। धारित किए गए अधिकांश विस्तार और समाप्ति विकल्प संबंधित पट्टेदार द्वारा न करके केवल कंपनी द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।
प्रारंभिक माप के बाद किए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी और ब्याज के लिए वृद्धि होगी। यह किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि पदार्थ में निश्चित भुगतान में परिवर्तन होते हैं तो इसे फिर से मापा जाता है। जब पट्टे की देनदारी को फिर से आंकलन किया जाता है तो संबंधित समायोजन उपयोग के अधिकार की संपत्ति या लाभ और हानि में परिलक्षित होता है यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति पहले से ही शून्य हो गई है।
तुलनात्मक अवधि में एक पट्टेदार के रूप में कंपनी पर लागू लेखांकन नीतियां भारतीय लेखा मानक 116 से भिन्न नहीं थीं।

(v) उधार लेने की लागत:

अधिग्रहण के संबंध में सीधे उधार लेने की लागत संपत्ति के निर्माण के लिए जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है ऐसी संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत की जाती है जब ऐसी संपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं। अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में लिया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

(vi) निवेश:

क) वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ख) गैर-चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालांकि, निवेश के मूल्य में स्थायी कमी के मामले में, खातों की किताबों में उपयुक्त प्रावधान किया जाता है।

ग) लाभांश से आय को खातों की पुस्तकों में मान्यता दी जाती है जब इस तरह के लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

घ) अलग-अलग वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों में निवेश।

Ind-AS संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अलग-अलग वित्तीय विवरण में सहायक, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश के लिए संक्रमण तिथि पर मानी गई लागत के रूप में पिछले **GAAP** निवेश के मूल्य पर विचार करने का विकल्प चुना।

(vii) प्रावधान:

क) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान: रूढ़िवाद के एक उपाय के रूप में आम तौर पर देनदारों के लिए प्रावधान किया जाता है जहां तीन साल के लिए कोई लेनदेन नहीं होता है या जहां कंपनी ने चूककर्ता देनदारों के खिलाफ कानूनी मामला शुरू किया है।

(viii) इनपुट क्रेडिट:

ऐसी सामग्री प्राप्त होने पर पात्र राजस्व/पूंजीगत क्रय पर इनपुट क्रेडिट लिया जाता है।

(ix) राजस्व मान्यता

Ind AS 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार राजस्व मान्यता मानदंड। चूंकि, रिकॉर्ड की गई बिक्री ऊपर उल्लिखित इंड एएस के अनुसार दर्ज की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, इकाई को नीचे दिए गए पैरा को खातों के हिस्से बनाने वाले नोट्स के हिस्से के रूप में शामिल करना चाहिए। कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब राजस्व की मात्रा और उससे संबंधित लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभव है कि भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे और स्वामित्व या प्रभावी नियंत्रण से जुड़ी प्रबंधकीय भागीदारी की डिग्री कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के लिए पूरी हो गई है। जैसा नीचे लिखा है। ग्राहक के प्रकार, लेनदेन के प्रकार और प्रत्येक व्यवस्था की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अपने अनुमानों को ऐतिहासिक परिणामों पर आधारित करती है।

अन्य वस्तुओं की बिक्री:

कंपनी एमएसटीसी से अपेक्षित विवरण की प्राप्ति के बाद नकदी के आधार पर अन्य मदों (स्क्रैप मदों/अचल संपत्तियों/इन्वेंटरी/अन्य मदों की बिक्री) की बिक्री से राजस्व की पहचान करती है।

बिक्री:

माल बिक्री अधिनियम के अनुसार बिक्री की स्थापना की जाती है। वे कॉर्पोरेट कार्यालय से बेचे गए माल के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(x) कर्मचारी लाभ:

रोजगार के बाद के दायित्व

परिभाषित लाभ योजनाएँ

भविष्य निधि में अंशदान कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को किया जाता है। निधि की तुलना कुल देयता और कमी से की जाती हैए यदि कोई कंपनी द्वारा अतिरिक्त योगदान दिया जाता है और व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

उपदान और अवकाश नकदीकरण देयता बीमांकिक मूल्यांकन पर सुनिश्चित की जाती है। हालांकिए बीमांकिक देयता की तुलना में ग्रेच्युटी के मामले में एलआईसी द्वारा प्रबंधित निधियों में किसी भी अधिकता/घाटे को तत्काल संपत्ति/देयता के रूप में मान्यता दी जाती है और इस तरह के मूल्यांकन से उत्पन्न परिणामी लाभ/हानि को उस वर्ष में राजस्व के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

(xi) आय पर कर:

वर्तमान कर: वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम, **1961** के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर: आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है और इस हद तक कर हानि होती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह की आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि लेनदेन में संपत्ति और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यवसाय संयोजन के अलावा) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक घटाया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या संपत्ति का एहसास होता है। रिपोर्टिंग अवधि। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी द्वारा अपनी संपत्ति और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान करने की अपेक्षा के तरीके से अनुसरण करेंगे।

;**xii)** आय और व्यय के लिए लेखांकन:

चालू वर्ष में आय और व्यय का लेखा-जोखा प्राकृतिक शीर्षों के तहत उपार्जन के आधार पर किया जाता है।

(xiv) हाल की घोषणाएं

कारपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। **23** मार्च, **2022** को एमसीए ने **1** अप्रैल, **2022** से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, **2022** में निम्नानुसार संशोधन किया:

ए) इंडस्ट्रीज़ एएस **103 -** वैचारिक ढांचे के संदर्भ

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, पहचानी जाने योग्य संपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों (वैचारिक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। अधिग्रहण की तारीख में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की। ये परिवर्तन इंड एएस **103** की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलते हैं। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

बी) इंड एएस **16 -** इच्छित उपयोग से पहले आगे बढ़ता है

संशोधन मुख्य रूप से एक इकाई को उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत से कटौती करने से रोकते हैं, जबकि कंपनी अपने इच्छित उपयोग के लिए संपत्ति तैयार कर रही है। इसके बजाय, एक इकाई ऐसी बिक्री आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में पहचान लेगी। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधनों का उसके वित्तीय विवरणों में उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

सी) **37** के रूप में इंडस्ट्रीज़ - कठिन अनुबंध - एक अनुबंध को पूरा करने की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागतें या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होगी) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण है और कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

घ) इंड एएस **109 -** इंड एएस **(2021)** में वार्षिक सुधार

संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई में कौन सा शुल्क शामिल है, जब वह एक वित्तीय दायित्व को अमान्य करना है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए इंड एएस **109** के **'10** प्रतिशत**'** परीक्षण को लागू करता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

3. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

उ. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को दायित्व नहीं माना जाता है।

बी. जब ऐसे कारण बताओ नोटिस के खिलाफ मांग नोटिस जारी किए जाते हैं और कंपनी द्वारा विवादित होते हैं, तो इन्हें विवादित दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सी. विवादित दायित्वों के संबंध में उपचारए प्रत्येक मामले में निम्नानुसार हैं:

क) वर्तमान दायित्वों के संबंध में एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जहां संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव है;

ख) अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

घ. पूंजीगत वचनबद्धताएं:

पूंजी खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि को एफ माना जाता है

नोट नंबर 2

संपत्ति संयंत्र उपकरण

	विवरण	GROSS BLOCK AT COST						ACCUMULATED DEPRECIATION					NET BLOCK	
		01.04.2022 को	Additions during the year: Acquisition through Business Combination	Additions during the year: Other Addition	Additions during the year: Total Addition during the year	Deduction/ Adjustment Transfer	AS AT 31.03.2023	AS AT 01.04.2022	Addition	Ded/Trf	For the Year	AS AT 31.03.2023	AS AT 31.03.2023	AS AT 01.04.2022
ए	मूर्त सम्पत्ति													
	भवन (सहित, सड़क सेहित और ट्यूबवेल	411.71	-			-	411.71	357.55	-	-	1.30	358.86	52.85	54.15
	संयंत्र तथा मशीनरी	3,484.08	-	-	-	-	3,484.08	2,587.15	-	-	143.03	2,730.17	753.90	896.93
	विशेष उपकरण	1,866.43	-			-	1,866.43	1,759.65	-	-	14.34	1,773.99	92.44	106.78
	हैंडलिंग उपकरण	113.33	-			-	113.33	105.70	-	-	0.38	106.08	7.25	7.63
	फर्नीचर और फिक्स्चर	336.21	-	0.01	0.01	-	336.21	316.21	-	-	3.09	319.31	16.92	20.00
	कार्यालय उपकरण	87.24	-			-	87.24	64.39			4.99	69.37	17.86	22.85
	विद्युत उपकरण स्थापना और फिटिंग	906.78					906.78	273.89	-	-	41.23	315.12	591.67	632.89
	वाहन	156.93	-			-	156.93	131.10			8.16	139.26	17.67	25.83
	कुल	**7,362.71**	**-**	**0.01**	**0.01**	**-**	**7,362.71**	**5,595.64**	**-**	**-**	**216.52**	**5,812.16**	**1,550.56**	**1,767.06**
बी	पत्तियां उपयोग में नहीं हैं**	54.18	-	-	-	-	54.18	51.38	-	-	-	51.38	2.80	2.80
बी	अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी	पूंजीगत कार्य प्रगति पर है पूंजी मदें स्थापना की प्रतीक्षा में मूर्त													
	- अमूर्त***	17.30	-				17.30	-	-	-	-	-	17.30	17.30
	निर्माण कार्य प्रगति पर है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	आस्तियां निरीक्षणाधीन	174.07	-				174.07	-	-	-	-	-	174.07	174.07
	कुल	**191.37**	**-**				**191.37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**191.37**	**191.37**
डी	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

''''''''''''''''''''''''''''''''''''

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत की राशि शून्य है (पिछले वर्ष - शून्य)

2. संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, और जिग्स और फिक्स्चर अलग-अलग रुपये की लागत। खरीद के वर्ष में **100000** और नीचे पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है। उपकरणों के मामले में जहां औसत अनुमानित उपयोगी जीवन पांच साल से अधिक लेकिन दस साल से कम है, मूल्यह्रास **@ 20%** लगाया जाता है जैसा कि अनुसूची **II** की शुरूआत से पहले किया जा रहा था।

3. वित्तीय वर्ष **2015-16** के दौरान, कंपनी अधिनियम **2013** के प्रावधान के अनुसार अचल संपत्तियों पर घटकीकरण किया गया है, जिसका प्रभाव शून्य है।

4. ** अचल संपत्ति रुपये की राशि। **54.18** लाख जो सक्रिय उपयोग में नहीं हैं, को इसके बुक वैल्यू पर दर्ज किया गया है जो वित्तीय वर्ष **2015-16** में इसके शुद्ध भरोसेमंद मूल्य से कम है।

5. कंपनी के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप (एचपीसीएल) को पट्टे पर देने के संबंध में **1.0.1.20** से संचालन के लिए अस्थायी रूप से एचपीसीएल को पट्टे पर दिया गया है। **8** नवंबर **2016**।

6. जैसा कि कंपनी ने अपने नोट्स टू एकाउंट्स में पहले ही कहा है कि सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.सं. **3(1)/2020-पीई-VI,** दिनांक **28/01/2021** के अनुसार। भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली, डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सभी कार्यों को बंद करने के साथ-साथ कंपनी को बंद करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए, ओएम दिनांक **14/06/2018** के बोर्ड निदेशकों ने **11/02/2021** को आयोजित अपनी बैठक में उसी के अनुपालन में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वर्तमान में कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है।

उपरोक्त पत्र के अनुपालन में, प्रबंधन ने **MSTC** के माध्यम से कंपनी की संपत्ति (भवन और सौर ऊर्जा प्रणाली को छोड़कर) की कार्रवाई की थी और उसी की वसूली को बहियों में दर्ज किया गया है। इसके अलावा, कंपनी का प्रबंधन भी जल्द से जल्द दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की शेष संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया में है; उसी के अनुसार शेष संपत्ति को एक अलग डिस्पोजेबल समूह में स्थानांतरित कर दिया गया है और "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, **2017** के नियम **2** के तहत परिभाषित एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक कंपनी द्वारा सौर ऊर्जा प्रणाली के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया है, सौर ऊर्जा प्रणाली के पंजीकृत मूल्यांकक मूल्य की रिपोर्ट के अनुसार उचित रूप से समायोजित किया गया है .

इसके अलावा, इंड एएस **105** के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

नोट संख्या 2.1

में राशि

संपत्ति उपयोग का अधिकार रु. रु. लाखो में

विवरण	**भूमि**	
1 अप्रैल 2021 को भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाने पर पुनर्वर्गीकृत	**494196.46**	**4.94**
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01.04.2022	0.00	0.00
व्यापार संयोजन के माध्यम से परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान हटाए गए	**494196.46**	4.94
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.00	0.00
अनुवाद समायोजन	0.00	0.00
31 मार्च 2023 को शेष	**0.00**	**0.00**

नोट संख्या **2.2 :-**

कैपिटल-वर्क-इन प्रोग्रेस **(CWIP)**

(ए) कैपिटल-वर्क-इन प्रोग्रेस के लिए, निम्नलिखित एजिंग शेड्यूल दिया जाएगा: सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

राशि रुपये में

CWIP	की अवधि के लिए CWIP में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	0	0	0	0	0
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया	0	0		0	0
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष	0	0	0	0	0

CWIP	पूरा करना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	0	0	0	0
परियोजना 2	0		0	0
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष	0	0	0	0

नोट संख्या **2.3 :-**

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति:

(ए) उम्र बढ़ने के अन्तर्गत विकास अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

राशि रुपये में

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	की अवधि के लिए CWIP में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	0	0	0	0	0
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया	0	0	0	0	0
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष	0	0	0	0	0

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	पूरा करना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	0	0	0	0
परियोजना 2	0	0	0	0
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष	0	0	0	0

टिप्पणी संख्या 3
वित्तीय सम्पत्ति –गैर चालू विनियोजन

	31.03.2023को रू0 लाखों में	31.03.2022को रू0 लाखों में
लागत पर विनियोजन (पूर्णतया चुकता)		
यू0पी0 में इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड		

10 रूपये वाले 1,55,030 इक्विटी अंष (पिछले वर्ष 1,55,030 इक्विटी अंश)	**15.50**	**15.50**
यू0पी0 टायर्स एण्ड टयूब्स लिमिटेड		
10 रूपये वाले 5,22,800 इक्विटी अंष (पिछले वर्ष 5,22,800 इक्विटी अंष)	**52.28**	**52.28**
कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0	**0.57**	**0.57**
10 रूपये वाले 5,700 इक्विटी अंश (पिछले वर्ष 5,700 इक्विटी अंष)	**0**	**0**
	68.35	**68.35**
घटितः मूल्यमान में अनुमानित हॉनि के लिए प्रावधान	**68.35**	**68.35**
	—	**—**

(अ) भारत सरकार ने मेसर्स यू0पी0 इन्स्टूमेन्टस लिमिटेड (राज्य सरकार का उपक्रम) की अंश पॅूजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक भागीदारी का अनुमोदन कर दिया है, जो 15.68 लाख रूपये होता है और अब तक कम्पनी/नामितो ने अशों की मद में रू0 15.50 लाख का विनियोजन किया है। (विगत वर्षो में वित्तीय वर्ष 2018–2019 और वित्तीय वर्ष 2015–2016 में रूपया 15.50 लाख) परन्तु कम्पनी को सूचित किया गया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा यू.पी.आई.एल.की भूमि भवन व संयंत्र एवं मशीनरी सहित सभी सम्पत्तियां बेच दी गयी हैं। तद्नुसार पूरे विनियोजन में वर्ष 1996–1997 के दौरान संभावित हानि रू0 12.71 लाख एवं वर्ष 2004–2005 के दौरान रू0 2.79 लाख का लेखों में प्रावधान कर दिया गया है।

ब) भारत सरकार ने मेसर्स यू0पी0 टायर्स एण्ड ट्यूब लिमिटेड (राज्य सरकार का उपक्रम) की अंषपॅूजी में, रू0 52.28 लाख की सीमा तक भागीदारी का अनुमोदन किया है। जो उसकी अंषपॅूजी का 49 प्रतिषत होती है और अब तक कम्पनी नामितों ने इक्विटी अश की मद में रू0 52.28 लाख (विगत वर्षो में वित्तीय वर्ष 2018–2019 में रूपया 52.58 लाख) विनियोजन किया है। चूॅकि UPTT की नेटवर्क नकारात्मक हो गयी है इसलिए अंष का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य शून्य समझा जाय। तद्नुसार वर्ष 1996–1997 के दौरान विनियोजन में संभावित हॉनि (रू0 52.28 लाख) का लेखा में प्रावधान किया गया है।

(स) कम्पनी ने वर्ष 1984 में कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड के अंषों में रू0 0.57 लाख का निवेश किया है। कम्पनी के नेटवर्थ के सम्बन्ध में कोई सूचना न होने पर इसके लिए वर्ष 2006–2007 में प्राविधान किया गया है।

टिप्पणी संख्या–4
प्राप्य व्यापार

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में

अप्रतिभूत

	0	
(I) देय तिथि से 12 माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण		
(अ) अच्छा माना जाता है।		15.09
(ब) संदिग्ध समझे जाने वाले	0	415.84
	0	430.93
(II) अन्य ऋण अच्छे समझे जाने वाले	-	-
घटितः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	**430.93**
	0	415.84
	0	15.09

व्यापार प्राप्य समय अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							कुल
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	बिल न किया गया बकाया	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ								
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है								
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनका ऋण जोखिम में								

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ								
कम:- संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान								
31 मार्च, 2023 तक								

(i) 31.03.2023 तक 35 पार्टियों के पास 406.69 लाख शामिल राशि के बकायो की वसूली की वैधानिक प्रक्रिया प्रगति पर है। (विगत वर्षो में वित्तीय वर्ष 2021–2022 में रू0 35 पार्टियों की राषि रू0 406.69 लाख जिनके विरूद्व प्रावधान किया गया है। कम्पनी ने रायल्टी बकायों की वसूली के लिए एवं लम्ब्रेट ट्रेड मार्क में सिल के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिक कार्यवाही की शुरुआत कर दी है।

टिप्पणी संख्या–5

गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियॉ–अन्य

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
सिक्योरिटी जमा	4.07	27.81
घटितः संदिग्ध अग्रिम/वसूली के लिए प्रावधान		4.07
		23.74
अन्य ऋण एवं अग्रिम		79.90
		103.64

टिप्पणी संख्या–6

अस्थगित कर परिसम्पत्तियॉ

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
(अ) अस्थगित कर दायिताऍं		
समय के अन्तर के कारण ह्मस		
योग अ		
(ब) अस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
समय के अन्तर के कारण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत डिस अलाउन्स		
समय के अन्तर के कारण असाहित ह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय एवं हानियों को आगे लाया गया।		
योग ब		
अस्थगित कर परिसम्पत्तियां (ब–अ)		

दूरदर्शिता के चलते उपरोक्त आस्थगित कर परिसम्पत्तियॉ, जो कुल मिलाकर रू0 5336.93 लाख (विगत वर्षो में वित्तीय वर्ष 2019–20 मे रू0 2277.57 लाख) होती है। चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में कम्पनी द्वारा महत्व में नहीं ली गयी है, क्योंकि इस बात की आभाषिक निष्चितता नहीं है कि निकट भविष्य में कम्पनी के पास ऐसी पर्याप्त कर योग्य आय होगी अथवा नहीं, जिसके विरूद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियॉ वसूल की जा सके। पर्याप्त कर योग्य आय, जिसके विरूद्ध पर्याप्त आस्थगित कर परिसम्पत्तियॉ वसूल हो सके, की उपलब्धता को देखते हुए यथोचित समय पर इस पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी संख्या–7

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियॉ

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
पूँजी अग्रिम	–	–
पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम		
1. अप्रतिभूत अच्छे समझे जाने वाले		
(अ) सिक्योरिटी जमा	–	–
(ब) अन्य	–	–
	–	–
2. अप्रतिभूत संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
	–	–
घटितः संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
	–	–

टिप्पणी संख्या–8
तालिकाऍ

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
कच्चा माल एवं उपकरण*	-	-
स्टोर्स एवं अतिरिक्त पूर्जे	-	-
फुटकर औजार एवं उपभोग्य सामग्री*	-	-
प्रगति आधीन कार्य @	-	-
तैयार माल @	-	-
मार्गस्थ सामग्री	-	–
निरीक्षणाधीन सामग्री	-	–
निस्तारण स्टोर्स	-	-
अन्य स्कन्ध#	-	-
	-	-

टिप्पणी संख्या–9
प्राप्य व्यापार

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
अप्रतिभूत		
(I) देय तिथि से 12 माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण		
(अ) अच्छा माना जाता है।	430.93	
(ब) संदिग्ध समझे जाने वाले	430.93	
(II) अन्य ऋण अच्छे समझे जाने वाले	430.93	
	415.84	
घटितः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		
	15.09	

प्राप्य व्यापार समय अनुसूची

विवरण	की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2023को								

(i) 35 पार्टियों के मामले में बकाया की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही जारी है, 31-3-2023 तक शामिल राशि रु 406.69 लाख (पिछले वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35 पार्टियों की राशि 406.69 लाख) जिसके विरुद्ध प्रावधान किया गया है।
कंपनी ने रॉयल्टी बकाया की वसूली और लैंब्रेटा ट्रेडमार्क में एसआईएल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एफडब्ल्यूएल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू की है।

टिप्पणी संख्या–10
नगदी एवं बैंक बैलेंस

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
नगद और नगद समकक्ष		
हाथ में नगद#	0.06	0.06
हाथ में चेक	481.61	4677.07
बैंक के पास शेष राषि चालू खाते	1.30	1.30
तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाले बैंक में जमा		
	482.97	4678.43
अन्य बैंक बैलेंस		
बैंको के साथ फिक्स्ड डिपोजिट मार्जिन मनी के रूप में अथवा प्रतिभूति, उधारों एवं अन्य प्रतिबद्वताओं के रूप में रोकी गयी।	4678.43	137.62
अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए बैंकों में जमा, 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले रोके गये*	1484.85	1517.12
		-
	1655.70	1654.74
	6638.67	6333.17

* पूंजीगत व्यय के लिए 1639.78 लाख रुपये शामिल हैं। (पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 में 1639.78 लाख रुपये) निर्धारित किया गया है।

** ** 13.59 लाख रुपये शामिल हैं। (पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 में 13.59 लाख रुपये है) को एक कानूनी मामले में कोर्ट के आदेश के सिलसिले में इंडियन ओवरसीज बैंक ने फ्रीज कर दिया है।

टिप्पणी संख्या–11
चालू वित्तीय परिसम्पत्तियॉ–अन्य

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
	30.82	
	26.75	
	79.90	
सुरक्षा जमा राशि		
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
	106.865	

टिप्पणी संख्या–12

अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
अ. कैपिटल अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
1. प्रतिभूत अच्छे समझे जाने वाले	0.02	0.02
2. अप्रतिभूत अच्छे समझे जाने वाले		
(अ) जमा	47.55	27.80
(ब) अन्य अग्रिमों (पार्टीज/वेन्डरों को LIC स्टाफ के अग्रिम सम्मिलित)	1671.28	1586.06
3. अप्रतिभूत संदिग्ध समझे जाने वाले	114.63	114.63
	1833.48	1728.51
घटितः संदिग्ध समझे जाने वाले	114.63	114.63
	1718.85	1613.88
ब. अन्य– सविधि जमा पर उद्भूत ब्याज	285.56	101.48
	2004.41	1715.36

टिप्पणी संख्या–13
अतिरिक्त पूंजी

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
अधिकृत पूंजी 25,00,00,000 इक्विटी अंष रू0 10 प्रत्येक के (विगत वर्ष 25,00,00,000)	25000.00	25000.00
निर्गमित पूंजी 8,72,75,500 इक्विटी अंष रू0 10 प्रत्येक के (विगत वर्ष 8,53,85,500)	8727.55	8727.55
अभिदत्त एवं चुकता पूंजी अंशदान एवं पूंजी पूर्णतया भुगतान अवधि की शुरूआत में शेष इक्विटी अंष* रू0 10 प्रत्येक के (विगत वर्ष 8,72,72,255)	8727.23	8727.23
वर्ष के दौरान इक्विटी अंष पूंजी में परिवर्तन	–	–
अवधि के अंत में शेष	8727.23	2727.23
जब्त अंश	0.16	0.16
अंश पूंजी के मद में अग्रिम	–	–
	8727.39	8727.39

*अभिदत्त एवं चुकता पंजी के 10 रूपये वाले 9,05,000 अंश (विगत वर्ष 9,05,000 अंश) बिना नगद भुगतान किये संविदा के अनुसरण में पूर्णतः चुकता के रूप में वर्ष 1972–1973 एवं 1975–1976 में भारत सरकार को आवंटित किये गये।

(अ) आख्या अवधि की शुरूआत एवं अन्त में बकाया अंशों की संख्या का समाधान निम्नवत् है।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	नम्बर	रूपये	नम्बर	रूपये
वर्ष के आरम्भ में बकाया अंश	87275500	8727.55	87275500	8727.55
वर्ष के दौरान जारी किए गए अंश	0	0.00	0	0
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	87275500	8727.55	87275500	8727.55

भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार पैकेज को कैपेक्स की मद में रू0 3190.00 लाख की प्राप्ति को वर्ष 2013–14 के वित्तीय वर्ष में रु0 10 वाले 3190 लाख अंष जारी कर दिया गया है।

रूपये 10 वाले 1890000 अंष वित्तीय वर्ष 2018–19 में जारी किये गये है। गैर योजना ऋण के ब्याज के लेखा फ्रिजिंग के सम्बन्ध में कम्पनी को रीलीज की गयी तिथि से लेकर रूपये 1890000 करोड़ SIL को वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान रीलीज किये गए है।

(ब) कम्पनी में प्रत्येक अंशधारी 5 प्रतिशत से अधिक अंश धारण करता है अंशो की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए धारित अंश निम्नवत है:

अंशधारियो के नाम	31.03.2023 को		31.03.2022	
	अंशधारियों की संख्या	धारण का प्रतिषत	अंशधारियों की संख्या	धारण का प्रतिषत
भारत सरकार	81924029	93.87	81924029	93.87

(स) इक्विटी अंशो की शर्ते/अधिकार संलग्न हैं

कम्पनी के पास 10 रूपये मूल्य वाले केवल एक श्रेणी के इक्विटी अंश है। प्रत्येक इक्विटी अंशधारक प्रति अंश के एक वोट के लिए अर्ह है।

ु

टिप्पणी संख्या–14

अन्य इक्विटी

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
पूंजी आरक्षित*		
आख्या अवधि की शुरूआत में बैलेंस	4.90	4.90
लेखानिति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि में त्रुटि	–	–
घटितः INDAS के अनुसार समायोजन	–	–
	4.90	4.90
योगः निवल लाभ (हानि वर्ष के दौरान)	–	–
योगः अन्य सम्पूर्ण आय	–	–
आख्या अवधि के अन्त में बैलेंस	4.90	4.90
रोकी गयी आय		
आख्या अवधि की शुरूआत में बैलेंस	7924.06	8682.05
लेखानिति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि में त्रुटि	-	-
घटितः पूर्व वर्ष व्यय	-	-
घटितः INDAS के अनुसार समायोजन	-	-
	7924.06	8682.05
योगः निवल लाभ (हानि वर्ष के दौरान)	76.45	757.99
योगः अन्य सम्पूर्ण आय		
आख्या अवधि के अन्त में बैलेंस	7841.61	7924.06

*1980–81 के दौरान जब्त समायोजन रू0 4.90 लाख।

टिप्पणी संख्या–15
गैर चालू उधार

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
सम्बन्धित पार्टियों से अप्रतिभूत ऋण		
भारत सरकार से ऋण*		
	.	5700.00
	.	5700.00

*कृपया टिप्पणी संख्या 46 का संदर्भ लें।

टिप्पणी संख्या–16
गैर चालू पट्टा देनदारियां

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
पट्टा दायित्व	-	3.19
		3.19

टिप्पणी संख्या–17
गैर चालू प्रावधान

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान ग्रेज्युटी छुट्टी नकदीकरण	--- -	18.01
		18.01

(क) IND AS-19 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप प्रबंधन द्वारा छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता निर्धारित की गई है।

टिप्पणी संख्या–18
अन्य गैर चालू दायिताएं

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
	.	1.90

ग्राहकों से अग्रिम

प्रतिभूत जमा	.	225.42
	.	227.32
सम्बन्धित पार्टी भारत सरकार को भुगतान योग्य ब्याज पर TDS की वापसी	–	–
	.	227.32

मइक्रो स्माल मिडियम इन्टर प्राइजेज डेवलपमेन्ट अधिनियम 2006 के अर्न्तगत सभी वेन्डरों से उनके रजिस्ट्रेषन सम्बन्धी (फाइलिंग आफ मेमोरेन्डम) सूचना के आभाव में, सूचना शून्य है।

टिप्पणी संख्या–19

वर्तमान उधार

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
प्रतिभूत		
बैको से ऋण एवं अग्रिम* स्टेट बैंक आफ इण्डिया		
इण्डियन ओवरसीज बैंक इलाहाबाद बैंक	–	–
संबंधित पक्ष से असुरक्षित ऋण भारत सरकार से ऋण*	5700.00	–
	–	–
	5700.00	–

सं. टिप्पणी संख्या– 46

टिप्पणी संख्या–20

चालू पट्टा देनदारियां

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
पट्टा दायित्व	-	.
	-	.

टिप्पणी संख्या–21
व्यापार एवं अन्य भुगतान योग्य

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
स्वीकृतियॉ	–	–
	–	–
अन्य ट्रेड भुगतान योग्य		
एम0एस0एम0ई0	2.84	2.84
अन्य भुगतान* (विविध लेनदारों का मिश्रण (समान्य सहायक और अन्य)	530.30	616.51
	533.14	619.35
	533.14	619.35

* MSMED माइक्रो, स्माल मिडियम इन्टरप्राइजेज डेवलपमेन्ट अधिनियम 2006 के अर्न्तगत वेन्डरों द्वारा उनके पंजीकरण से सम्बन्धित सूचना के अभाव में (मेमोरेन्डम भरना) सूचना शून्य है।

व्यापार देय समय अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कु ल
i) एमएसएमई	बकाया	बकाया नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	वर्ष 2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(ii) अन्य						2.84	2.84
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई						530.30	530.30
(iv) विवादित बकाया - अन्य							
31 मार्च, 2023 तक							
						533.14	533.14

टिप्पणी संख्या–22
अन्य वित्तीय दायिताएं

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
सम्बन्धित पार्टी भारत सरकार से लम्बी अवधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
	-	-

* कृपया टिप्पणी संख्या 46 का संदर्भ लें।

टिप्पणी संख्या–23
अन्य चालू दायिताएँ

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
अग्रिम एवं जमा @	33.79	44.64
	-	-
	1111.55	558.05
	42.32	42.32
	267.28	253.94
	1454.94	898.95

@ कार्यकर कालोनी में भवनों के आंवटन के लिए कार्यकारो द्वारा अग्रिम के रूप में जमा रू0 1.25 लाख(विगत वर्ष रू0 1. 25 लाख) सम्मिलित है। *टिप्पणी सं0 33(v)का संदर्भ लें: विवरण निम्न है:

रू0 लाखों में

	2022–23	2021–22
कार्यकारो से अब तक प्राप्त राशि	148.37	148.36
घटितः कार्यकर की आवासीय कालोनी पर व्यय	106.04	106.04
	42.32	42.32

**कार्यकर आवास कालोनी को रु0 3.99 लाख देय शामिल (रु0 3.99 लाख पिछले वर्ष)

टिप्पणी संख्या–24
चालू प्रावधान

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रेच्युटी	-	–
अवकाश नगदीकरण	18.01	.
	18.01	.
दूसरों के लिए प्रावधान		
वारंटी	-	.
आयकर	–	–
	18.01	-

(अ) ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के लिए देयता प्रबंधन द्वारा IND AS-19 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित की गई है।

(ब) बेचे गये उत्पाद के बारे में अनुमानित निकासी प्रस्तुत करने वाले वारन्टी के लिए प्रावधान। वारन्टी के लिए विस्तृत विवरण नीचे दिया गया लें

विवरण	2022-23 को रू0 लाखों में	2021-22 को रू0 लाखों में
अथ शेष	-	-
योगः वर्ष हेतु प्रावधान(निवल) अतिरिक्त सहित/ घटित पूर्व वर्षो हेतु प्रावधान		-
योग	-	-
घटितः भुगतान/खर्च	-	-
इति शेष	-	-

टिप्पणी संख्या–25

अन्य गैर वर्तमान देनदारियां

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
ग्राहक सुरक्षा जमा से अग्रिम	1.90	.
संबंधित पार्टी भारत सरकार को देय ब्याज पर टीडीएस का रिफंड	172.15	.
		–
	174.05	.
	174.05	

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत उनके पंजीकरण (ज्ञापन दाखिल करने) के संबंध में सभी विक्रेताओं से जानकारी के अभाव में जानकारी शून्य है

टिप्पणी संख्या–26

परिचालन से राजस्व

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
उत्पाद - विक्री	-	-
थ्री व्हीलर स्पेयर पार्ट्स पेट्रोल डीजल लुब्रीकेंट्स आदि	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व		
विविध मद एवं स्क्रैप		

टिप्पणी संख्या–27

अन्य आय

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
विविध प्राप्तियॉ		
विक्रय		
बी) खाली	613.72	2363.6
सी) अचल संपत्तियां और इन्वेंट्री आइटम*		9
ब्याज पर:		
अ) कर्मचारियों को वाहन अग्रिम		
ब) अपूर्तिकर्ताओं/डीलरों की अग्रिम		
स) सावधि जमा	277.89	83.25
द) अन्य	55.25	0.03
रायल्टी	-	9.66
नियत परिसम्पत्तियों के विक्रय से लाभ	-	-
विनिमय दर से प्राप्ति	0.22	109.44
वापस लिया गया अधीक प्रावधान	-	-
अन्य प्राप्तियाँ (प्राप्त किरायें को सम्मिलित, पेट्रोल पम्प वसूली आदि)	38.46	62.16
योग	**985.54**	**2618.84**

*मंत्रालय के बंद आदेश के अनुपालन में, कंपनी की सभी वस्तु-सूची मदों की एमएसटीसी के माध्यम से वर्ष के दौरान नीलामी की गई है।

टिप्पणी संख्या–28

सामाग्री की खपत

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में	
I. सामाग्री की खपतः			
अ) कच्चा माल एवं पुर्जे			
अथ स्कन्ध		.	
योगः क्रय	-	4.93	
		4.93	
ब) घटितः			
क) इति स्कन्ध		-	
ख) तालिका में कमी बट्टे खाते डाला गया		–	–
स) सामग्री की खपत (अ–ब)		4.93	
II. पेट्रोल पम्पः			
अ) अथ स्कन्ध		.	
योगः क्रय		–	
ब) घटितःक) इति स्कन्ध		.	
ख) तालिका में कमी बट्टे खाते डाला गया			
स) पट्रोल पम्प पर विक्रय की लागत (अ–ब)		–	

(अ) सामग्री के खपत को संतुलनकारी संख्या के रूप में, वर्ष के दौरान किये गये क्रय के साथ प्रारम्भिक तालिका में

जोड़कर इति सामग्री तालिका को घटाकर निकाला जाता है।

टिप्पणी संख्या–29

तैयार माल के आविष्कारों में बदलाव, प्रगति अधीन कार्य, निस्तारण स्टोर

		31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
अथ स्कन्ध			
तैयार माल		-	
प्रगति अधीन कार्य		-	
निस्तारण स्टोर		-	
	अ	-	
इति स्कन्ध			
तैयार माल		-	
प्रगति अधीन कार्य		-	
निस्तारण स्टोर		-	
	ब	-	
बढ़ती / घटती	(अ–ब)	-	

टिप्पणी संख्या–30

कर्मचारी हित लाभ व्यय

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
वेतन, मजदूरी एवं बोनस*	-	87.71
भविष्य निधि और अन्य कोषों के अंषदान	-	380.05
कर्मचारी कल्याण खर्च	-	137.48
योग	-	605.24

* प्रशिक्षणार्थियों/शिशिक्षुओं को वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 **शून्य** **तथा** वित्तीय वर्ष 2021–22 **में** रू0 **शून्य** सं नोट सं 44 ।

टिप्पणी संख्या–31
वित्त लागत

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
ऋणो एवं अग्रिमों पर ब्याज निम्न है:		
भारत सरकार	**553.05**	**558.05**
बैंक		–
अन्य		–
	553.05	**558.05**

टिप्पणी संख्या–32
निर्माण, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण के अन्य व्यय

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
स्टोर्स, अतिरिक्त पुर्जे एवं औजार की खपत	16.19	0.01
ऊर्जा एवं ईंधन	3.75	87.77
किराया	-	0.09
मरम्मत : अ) भवन	-	4.37
ब) संयत्र एवं मशीनरी	-	5.84
स) अन्य	-	486.77
फैब्रीकेषन चार्जेज		—
बीमा	77.18	3.03
दर एवं कर	37.19	0.25
विविध व्यय	54.61	6.65
अनुसंधान एवं विकास	-	0.47
उत्पाद शुल्क उपकर सहित	0.42	—
डाक, तार व दूरभाष	5.20	12.01
निदेशक का बैठक शुल्क	0.21	—
यात्रा व्यय	13.99	48.65
छपाई एवं स्टेषनरी	36.77	0.08
बोर्ड की बैठक का व्यय	0.45	—
विधिक व्यय	26.11	10.61
परामर्ष शुल्क		0.95
वाहन चालन एवं अनुरक्षण	14.20	25.10
बैंक शुल्क	7.94	.
करों पर मांग एवं ब्याज		.

विज्ञापन एवं बिक्री संर्वधन व्यय	-	.
ढुलाई एवं पैकिंग व्यय	-	.
सेवा शुल्क (विक्रय सेवा पष्चात/निःशुल्क कूपन)	-	.
नगदी छूट एवं प्रोत्साहन	.	–
प्रवेष शुल्क		–
फलक्चुएषन के कारण विनिमय दर में हॉनि	-	–
बट्टे खाते में डाले गये खराब एवं संदिग्ध ऋण, अग्रिम व अन्य	-	–
आस्थगित राजस्व व्यय बट्टे खाते में डाला गया		–
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमो हेतु प्रावधान		.
अप्रचलित तालिकाओं हेतु प्रावधान		.
निवेश मूल्यों में हॉनि		–
योग	**355.60**	**692.63**

टिप्पणी संख्या–33
ह्रास

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
व्ास		.
संपत्ति के उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास		.
		.

सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.सं. 3(1)/2020-**पीई**-VI, **दिनांक** 28/01/2021 **के अनुसार, भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली, डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सभी कार्यों को बंद करने के साथ-साथ कंपनी को बंद करने के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए, ओएम दिनांक** 14/06/2018 **के बोर्ड निदेशकों ने** 11/02/2021 **को आयोजित अपनी बैठक में उसी के अनुपालन में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वर्तमान में कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है।**

टिप्पणी संख्या–34
कर व्यय

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	31.03.2022 को रू0 लाखों में
चालू वर्ष में आयकर	–	–

पूर्व वर्ष से सम्बन्धित आयकर	–	–
	–	–

टिप्पणी संख्या–35

प्रति अंश आय (ई0पी0एस0)

	31.03.23 को रू0 लाखों में	31.03.22 को रू0 लाखों में
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार लाभ (रूपये लाखों में)	76.44	757.99
इक्विटी अंशो की औसत संख्या (अंकित मूल्य रूपये 10 प्रति)	87272255	87272255
प्रति अंष मूल एवं तनुकृत आय (रूपये में)	0.09	0.87

टिप्पणी संख्या–36

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताऍ

	31.03.2023 को रू0 लाखों में	**31.03.2022 को रू0 लाखों में**
कम्पनी की आकस्मिक दायिताएं निम्न हैं :		
(क) कम्पनी के विरूद्ध दावे जिन्हें उधार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।		
(अ) उपभोक्ता फोरम केस (बिन्दु संख्या ए का संदर्भ लें)	अनिर्धारित	अनिर्धारित
(ब) निजी पार्टियों का केस	95.00 ब्याज छोड़कर जहॉ लागू हो	95.00 ब्याज छोड़कर जहॉ लागू हो
(स) सिल द्वारा ओ0बी0सी0 को दी गयी गारन्टी/क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में (संदर्भित बिन्दु संख्या बी)	30.00 +उस पर ब्याज	30.00 +उस पर ब्याज
(द) सिल बनाम ई0एस0आइ0सी0 (संदर्भित बिन्दु संख्या सी)	27.34	27.34
(य) पी0 एन0 बी0 बनाम सिल (संदर्भित बिन्दु संख्या डी)	213.00	213.00
(र) एस0आई0एल0 बनाम माइक्रो और छोटा उपकम सुविधा परिषद एवं अन्य	11.07 यौगिक को छोड़कर उस पर ब्याज	11.07 यौगिक को छोड़कर उस पर ब्याज
	1.50+ उस पर ब्याज	1.50+ उस पर ब्याज
(र) केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर प्राधिकारियों द्वारा उठाइ गई मांग सूचनाएँ		34.53 + ब्याज अनिर्धारित
(ल) पिछलें वर्षो के आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाएँ गए मॉग की सूचना अपीलीय सक्षम अधिकारियों के समक्ष लंबित है। परन्तु कम्पनी द्वारा राहत पाने के लिए फाइल की गयी अपील के आधार पर माननीय हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) ने आंकलन वर्ष 2002–2003 से 2009–10 तक के आंकलन वर्ष के लिए निर्णय दे दिया है जिसमें वास्तविक राहत प्रदान की गयी हैं तदनुसार अपीलेट आदेषों के वाद मांग निष्फल समझी जायेगी।	1444.24	1470.83

(ख) आर्डीनेन्स फैक्ट्री बोर्ड एवं कम्पनी के बीच विपक्षी आर्बिट्रेषन अवार्ड का मामला। (संदर्भित बिन्दु संख्या ई)	23.85 + उस पर ब्याज	23.85 + उस पर ब्याज
(ग) मेसर्स यू0पी0एस0आई0सी0 द्वारा मुकदमे का दावा (सन्दर्भ टिप्पणी संख्या–एफ)	9.27 + ब्याज अनिर्धारित	9.27 + ब्याज अनिर्धारित
(घ) वभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों के लम्बित मामले। अ) श्रम न्यायालय में	45 न0 और राषि अनिर्धारित	51 न0 और राषि अनिर्धारित
ब) अन्य में	36 न0 और राषि अनिर्धारित	29 न0 और राषि अनिर्धारित
(ङ) कार्यकर हाउसिंग कालोनी (सन्दर्भ टिप्पणी संख्या–जी0)	2412.00	2412.00

सेबी द्वारा अनुपालन न करने पर जुर्माना, कम्पनी द्वारा अधित्याग करने हेतु पत्राचार किया गया है 19.38

<u>बिन्दु संख्या–ए</u>

उपभोगता फोरम के 01 केस में अनुमानित राषि 10 लाख है (विगत वित्तीय वर्ष और 2018–19 में 09 केसों में उपभोक्ताओं की अनुमानित राषि 10 लाख थी) उपभोक्ता के शेष 63 केसों की राषि अनिर्धारित है (विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 64 केसों की राषि अनिर्धारित है) रू0 1.37 लाख की राषि 5 केसों के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियो के पास विरोध के साथ जमा कर दी गयी है। (विगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1.37 लाख)

<u>बिन्दु संख्या–बी</u>

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने सिल बनाम बनाम ओरियन्अल बैंक आफ कार्मस (ओ0बी0सी0) केस में उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ 2011 के समक्ष डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्युनल द्वारा पास किये गये के आदेषो के विरूद्व एक याचिका दायर कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेषानुसार विवाद कमेटी भंग कर दी गयी थी। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय में जाने के लिए अनुमोदन लाम्बित है।

<u>बिन्दु संख्या–सी</u>

सिल बनाम बी0आई0एफ0आर0 एवं अन्य, अपील संख्या 304/2002 दिनॉक 22.06.2005 के पारित आदेष एवं ए0ए0आई0एफ0आर0 ट्रिब्युनल के निर्णय के विपरीत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड से कर्मचारी राज्य बीमा अंषदान की मांग कर रहा है। केस माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की खण्ड पीठ के समक्ष लम्बित है। कम्पनी ने लेखा किताबों में रू0 27.34 लाख की दायिता को मान्यता नही दिया है (विगत वर्ष के वित्तीय वर्ष 2020–21 रू0 27.34 लाख और वित्तीय वर्ष 2017–18 रू0 27.34 लाख) एवं इसे आकास्मिक दायिता के रूप में दर्षाया गया है।

<u>बिन्दु संख्या–डी</u>

यू0पी0 टायर एण्ड ट्यूब के द्वारा लिए गये ऋण की जमानत लेने के कारण वसूली हेतु पंजाब नेषनल बैंक ने स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के विरूद्ध केस फाइल कर दिया है मामला डी0आर0टी0 लखनऊ के समक्ष लम्बित है। कम्पनी ने लेखा किताबों में रू0 213 लाख की दायिता को मान्यता नही दिया है (विगत वर्ष के वित्तीय वर्ष 2020–21 रू0 213 लाख) एवं इसे आकास्मिक दायिता के रूप में दर्शाया गया है।

बिंदु संख्या- ई

आयुध निर्माणी बोर्ड और कंपनी के बीच मध्यस्थता के मामले में 2011 में मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया गया था कि कानून सचिव द्वारा मनमाना पारित आदेश की समीक्षा की जाए। अभ्यावेदन अभी बाकी है। चूंकि विधि सचिव ने विवाद पर समिति द्वारा बताए गए गुण के आधार पर इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है और इसलिए, आगे की कार्रवाई लंबित होने के कारण, कंपनी ने रुपये की देनदारी को मान्यता नहीं दी है। खातों की किताबों में 23.85 लाख से अधिक का ब्याज (पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 में 23.85 लाख रुपये और उस पर ब्याज) और इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।

बिंदु संख्या एफ

यूपीएसआईसीएल और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त रूप से अमौसी औद्योगिक क्षेत्र, लखनऊ में सहायक एस्टेट के विकास के लिए एक योजना प्रायोजित की। एसआईएल ने रुपये की राशि का दावा किया था। ऐसी सहायक संपत्ति के लिए यूपीएसआईसीएल की ओर से 43.05 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि यूपीएसआईसीएल ने रुपये का काउंटर दावा किया है। 9.27 लाख प्लस ब्याज। मामले का लंबित समाधान मामला वर्ष 1985 में मध्यस्थता में चला गया, जिसका परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है और मामले पर स्पष्टता लंबित है, कंपनी ने जवाबी दावे को देयता के रूप में मान्यता नहीं दी है।

बिंदु संख्या जी

कंपनी के पास "अपना घर स्वयं योजना" के तहत वर्कमैन हाउसिंग कॉलोनी के लिए अधिग्रहित 41 बीघा, 3 बिस्वा और 18 बिसवांसी भूमि का भौतिक कब्जा है। यूपी सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि रु। कंपनी द्वारा 2.29 लाख का भुगतान किया गया था। हालाँकि, बाद में, कुछ भूमि मालिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नगर महापालिका न्यायाधिकरण के समक्ष उच्च मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है और अंतिम निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है। कंपनी को उक्त अपील में पक्षकार के रूप में भी पक्षकार बनाया गया है। कंपनी की ओर से अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है।

24 बीघा, 13 बिस्वा एवं 16 बिसवांसी सीलिंग भूमि, जो कि कंपनी के भौतिक कब्जे में है, के संबंध में सरकार। के ऊपर। दिनांक 3 अगस्त, 2000 को एक आदेश जारी कर कंपनी को उपरोक्त भूमि "अपना घर अपना घर योजना" के तहत 4000 रुपये प्रति बीघा की दर से 90 वर्ष के लिए लीज पर देने का आदेश दिया। प्रीमियम सहित 4.55 लाख। भुगतान किया गया था लेकिन बाद में यूपी सरकार द्वारा वापस कर दिया गया। तत्पश्चात् उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र क्रमांक 919(1)1-12/2003-9151/87-92 दिनांक 8.5.2003 द्वारा बाजार मूल्य रू. 2412 लाख, जिसे कंपनी ने चुनौती दी थी। रुपये की वसूली का नोटिस तहसीलदार, लखनऊ द्वारा संग्रहण शुल्क के अतिरिक्त 2412 लाख जारी किया गया।

वसूली नोटिस से व्यथित होकर कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। कोर्ट ने वसूली नोटिस पर रोक लगा दी और कंपनी को रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी, लखनऊ को 4.55 लाख। माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है।

4 बीघे एवं 13 बिस्वा मापी की "अपना घर योजना" के तहत कर्मकार आवास कालोनी हेतु एक अन्य वन भूमि, जो 90 वर्ष के पट्टे पर भौतिक कब्जे में है, के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण राज्य सरकार के साथ हस्तांतरण विलेख का निष्पादन लम्बित है। ऑनलाइन के माध्यम से प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं।

"अपना घर स्वयं योजना" के तहत कामगार आवास कॉलोनी के लिए धारित भूमि कानूनी और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद श्रमिकों को हस्तांतरित की जाएगी। तदनुसार, इसे हमारी अचल संपत्ति अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी संख्या–37

वित्तीय वर्ष 2014-15 तक यूपीवैट और सीएसटी दोनों के तहत बिक्री-कर निर्धारण पूरा कर लिया गया है। आकलन वर्ष 2022-23 (वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2012 को समाप्त) तक आयकर निर्धारण पूरा कर लिया गया है।

नोट संख्या-38

देनदारों/लेनदारों के खातों में शेष राशि, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, तीसरे पक्ष के साथ संपत्ति/सामग्री उपरोक्त अधिकांश शेष राशि के समाधान पर समायोजन और पुष्टि, यदि कोई हो, के अधीन हैं। बिजली, सीमा-शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट, चुंगी, बिक्री-कर, जमींदार और कुछ पार्टियों से संबंधित विभिन्न जमाओं का विवरण/पुष्टि उपलब्ध/प्राप्त नहीं है।

नोट संख्या- 39

कंपनी के पास 64-65, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली, जहां क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र स्थित था, की संपत्ति का वास्तविक कब्जा एच.वी.ओ.सी. को सौंप दिया गया है। लिमिटेड 31 अगस्त 2017 को भारी उद्योग विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या 3(15)/2008 - पीई VI दिनांक 11.05.2017 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार।

नोट संख्या -40

कंपनी मुख्य रूप से मोटर वाहनों और स्पेयर-पार्ट्स (ऑटोमोबाइल) के निर्माण और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है। तदनुसार, ऑपरेटिंग सेगमेंट पर इंड एएस-108 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

नोट संख्या- 41

इंडस्ट्रीज़ एएस-24 द्वारा आवश्यक के रूप में संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
(ए) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संबंधित पार्टियों की सूची (31.03.2023 तक)

1. भारत सरकार
2. पूरे समय के निदेशक

श्री रूपेश तेलंग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) - (23 अप्रैल 2021 से)
श्री मुकेश कुमार, निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) - (30 अगस्त 2020 से 30.08.2022 तक)

अंशकालिक निदेशक
श्री रमाकांत, निदेशक (10 नवम्बर 2020 से)
श्री महेंद्र प्रताप सिंह, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (28 जनवरी, 2020 से 28.01.2023 तक)
श्रीमती राकेश शर्मा, गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (28 जनवरी 2020 से 28.01.2023 तक)
श्री राज कुमार, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (02 नवंबर 2021 से)

(ब) **सम्बन्धित पार्टियों से लेनदेन**

क्रम संख्या	**लेनदेन की प्रकृति**	**व्यक्ति जिनका कम्पनी के ऊपर नियन्त्रण है।**	**(रू0 लाखो में) योग**
1.	निदेशक के लिए पारिश्रमिक	–	NA
2.	**योग**	**–**	**NA**

तदनुसार, कंपनी लीव एनकैशमेंट के सेवानिवृत्ति लाभों को अपने संसाधनों से पूरा करती है।

नोट संख्या - 42

बीआईएफआर द्वारा 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को एसआईसीए की धारा 3(1)(ओ) के तहत बीमार घोषित किया गया था, कंपनी द्वारा किए गए संदर्भ के परिणामस्वरूप, 31 मार्च को इसकी निवल संपत्ति में गिरावट के कारण , 2009. कैबिनेट समिति, भारत सरकार ने रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। 20,196 लाख, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नई निधियों का प्रवाह, योजना और गैर योजना ऋणों को इक्विटी में बदलना और ब्याज की छूट शामिल है। ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन स्कीम (DRS) ऑपरेटिंग एजेंसी (SBI) द्वारा तैयार किया जा रहा था और मंजूरी के लिए BIFR के समक्ष उचित समय पर प्रस्तुत किया जाना था। हालांकि, डीआरएस को अंतिम रूप देने और माननीय बीआईएफआर द्वारा मंजूरी मिलने तक, पुनरुद्धार पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा दायर विविध आवेदन को बीआईएफआर ने एसआईसीए की धारा 18 और 32ए के संदर्भ में दिनांक 19 जून, 2013 को अपनी सुनवाई में अनुमोदित किया था। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत शेयर पूंजी में रुपये से वृद्धि की परिकल्पना की गई है। 7500 लाख से रु. 25000 लाख, रुपये के योजना और गैर योजना ऋण का रूपांतरण। इक्विटी में 8521.12 लाख रुपये का आवंटन लंबित शेयर आवेदन धन के खिलाफ इक्विटी शेयरों के मुद्दे और आवंटन। 1049 लाख, संचित घाटे के खिलाफ इक्विटी शेयर पूंजी में रुपये की कमी। 8521.12 लाख, रुपये के योजना और गैर-योजना ऋण पर उपार्जित और देय ब्याज और उपार्जित लेकिन गैर देय ब्याज को बट्टे खाते में डालना। संचित घाटे के खिलाफ 2637.60 लाख और साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के तहत बही लाभ के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में आवश्यक होने पर आयकर के लिए भी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु. 189 लाख, जिसका तब से भारी उद्योग विभाग के साथ पालन किया जा रहा है

वर्ष 2013-14 को मंजूरी दे दी गई है और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एफ3-33/2009 पीई-VI (वॉल्यूम-IV) दिनांक 5 जून 2018 के माध्यम से गैर योजना ऋण पर ब्याज की फ्रीजिंग की सूचना दी रुपये 1.89 करोड़ और रुपये की बकाया मूल राशि की इक्विटी में रूपांतरण किया गया।

15 सितंबर 2015 को, बीआईएफआर, नई दिल्ली की माननीय बेंच ने ऑपरेटिंग एजेंसी (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कंपनी को बीआईएफआर से मुक्त कर दिया है कि 31 मार्च, 2014 को कंपनी का नेट-वर्थ बदल गया है। सकारात्मक। बीआईएफआर ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देशों के साथ कंपनी को एसआईसीए के दायरे से बाहर कर दिया:

क. कंपनी मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड एसआईसीए की धारा 3(1)(ओ) के तहत एक बीमार औद्योगिक कंपनी नहीं रही, क्योंकि इसकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो गई है। इसलिए, इसे SICA/BIFR के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

ख. बोर्ड एसबीआई को बोर्ड के प्रति ओए के उत्तरदायित्व से मुक्त करता है।

ग.कानून के अनुसार, सभी सुरक्षित लेनदारों, वैधानिक अधिकारियों को अपना बकाया, यदि कोई हो, वसूल करने की स्वतंत्रता है।

कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, बीआईएफआर द्वारा कंपनी को उसके दायरे से बाहर करने के आदेश के बावजूद, विविध आवेदन संख्या में स्वीकृत राहत और रियायतें। 316/2013 वैध और ऑपरेटिव बना रहेगा।

नोट संख्या- 43

बोर्ड ने 28 मई, 2013 को आयोजित अपनी 224वीं बैठक में कामगारों के तयशुदा वेतनमान (2002) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। तद्नुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल वसूली योग्य राशि का प्रावधान किया जिसका अनुमान लगभग 125.83 लाख रुपये था और कुल देय राशि का अनुमान

लगभग रुपये था। 42.25 लाख। उक्त राशि के विरूद्ध लगभग रु.1.87 लाख, रु.16.28 लाख, रु.12.82 लाख, रु. 8.26 लाख रु. वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः 5.53 लाख एवं 1.22 लाख रुपये की वसूली की गयी है। 1.11 लाख और रु। वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रमशः 0.97 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

अधिकारियों के संशोधन के संबंध में w.e.f. 01.01.2007, दिनांक 01.04.2013 को कंपनी के रोल पर सभी अधिकारियों के लिए कटऑफ दिनांक 01.04.2013 के साथ संशोधन के कार्यान्वयन का प्रस्ताव मंत्रालय को विचारार्थ भेजा गया है। कामगारों के संशोधन के संबंध में w.e.f. 01.01.2007 को कंपनी के रोल पर सभी कामगारों के लिए 01.04.2013 को, कंपनी के कामगारों से कटऑफ तारीख 01.04.2013 के साथ वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के लिए सहमति मांगी गई थी। अधिकारियों का पुनरीक्षण (2007) अभी भी भारत सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।

केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, लखनऊ के समक्ष मामला संख्या 36/2012 के तहत कर्मचारियों के वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने और कर्मचारी और अधिकारी संघों सहित यूनियनों द्वारा दायर मामलों के समाधान के लंबित होने के कारण, कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए संशोधन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।

सभी कर्मचारियों को 01.01.2019 से अंतरिम राहत का भुगतान किया जा रहा है। जनवरी 2015. वेतन/मजदूरी संशोधन 2007 के खातों में वेतन/मजदूरी/बकाया में वृद्धि से अंतिम समायोजन, यदि कोई हो, के विरुद्ध उपरोक्त अंतरिम राहत का भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. -19 रुपये 104.73 लाख, वित्त वर्ष 2017-18 रुपये 162.62 लाख, वित्त वर्ष 2016-17 रुपये 254.29 लाख, वित्त वर्ष 2015-16 रुपये 333.68 लाख, वित्त वर्ष 2014-15 रुपये 99.70 लाख है।

नोट संख्या- 44

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने कैबिनेट/बीआईएफआर द्वारा एसआईएल के पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी के तहत पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी के रूप में 3190.00 लाख रुपये जारी किए।

इन निधियों पर सावधि जमा के माध्यम से अर्जित 128.11 लाख रुपये का ब्याज भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.सं.

द्वारा जारी तत्कालीन निर्देश के अनुरूप भारत सरकार को भेज दिया गया था। 3(15)/2013-पीई-VI दिनांक 31

मार्च 2014।

हालाँकि, कंपनी ने उपरोक्त का विरोध किया है और भारत सरकार ने पत्र एफ.सं. के माध्यम से सूचित किया है। 3(15)/2013-पीई-VI दिनांक 05 मार्च 2015 कि राशि एसआईएल में इक्विटी निवेश के रूप में जारी की गई है, सरकार को अर्जित ब्याज के भुगतान का प्रश्न। भारत का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार को पहले ही जमा किया गया ब्याज अब वापस नहीं किया जा सकता।

इसे देखते हुए, एसआईएल ने रुपये की कार्यशील पूंजी योजना ऋण की किस्त भुगतान के विरुद्ध भारत सरकार को पहले से जमा किए गए ब्याज को समायोजित कर दिया है। 23.07.2016 को 2000 लाख रुपये देय थे और271.89 लाख (400 लाख रुपये घटाकर 128.11 लाख रुपये) रुपये भेज दिए गए।

कंपनी भारत सरकार को 3190 लाख की शेयर पूंजी जारी करने के संबंध में आवंटन के आवश्यक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में है। कंपनी रुपये से अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए आवश्यक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में भी है। 75 करोड़ से रु. 250 करोड़. अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के मुद्दे का समाधान लंबित है, जिसमें बीआईएफआर द्वारा प्रदान की गई राहत के अनुरूप शुल्क भरने से छूट की मांग की गई है। वार्षिक खातों में इस संबंध में कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया गया है।

टिप्पणी संख्या–45

बीआईएफआर आदेश दिनांक 22.06.2013 के आधार पर, एसआईएल बोर्ड ने 12.07.2013 को आयोजित अपनी 225वीं बैठक में संचित घाटे के मुकाबले 31 मार्च 2013 को भारत सरकार द्वारा धारित कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में 8521.12 लाख रुपये की कमी की। एसआईएल के पुनरुद्धार के लिए व्यवसाय योजना के अनुरूप, जिसे 30 सितंबर, 2013 को आयोजित उनकी 41वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयर धारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

नोट संख्या- 46

भारत सरकार से ऋण

Particulars	Loan Amount	Rate of Interest (Normal/Penal	Month of Last Installment Due	Default up to 31.03.2023			Outstanding as on 31.03.2023			Outstanding as on 31.03.2022		
				Principal	Normal Interest	Penal Interest	Principal	Normal Interest	Penal Interest	Principal	Normal Interest	Penal Interest
Plan Loan	2,000.00	Interest Free	July-2020	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-
VRS/VSS Scheme Loan	4,100.00	13.50%	-	-	-	-	4,100.00	1111.05	-	4100.00		VRS/VSS Scheme Loan
Total	**6,100.00**			**1,600.00**	**-**	**-**	**5,700.00**	**1111.55**	**-**	**5700.00**	**-**	**-**
Less: Included in Current Maturities (Note No. 22)							-	-	-	400.00	-	-
Less: Interest Accrued & Due on Government of India Loan (Note No. 23)										-	-	-
Amount Included in Note No. 15							**5,700.00**	**1111.55**	**-**	**5,300.00**	**-**	**-**

विविध आवेदन के माध्यम से बीआईएफआर अनुमोदन के आधार पर कंपनी ने ₹ 189 लाख के गैर-योजना ऋण पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। हालांकि, ₹ 189 लाख के इस गैर-योजना ऋण को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पत्र डीटी द्वारा इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है। 13.02.2019 और 03 अगस्त-2018 को आयोजित अपनी 255 वीं बैठक में बोर्ड प्रस्ताव पारित किया गया।

8 अप्रैल 2016 को हुई उनकी बैठक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार, और पत्र एफ.नंबर की पृष्ठभूमि में। 3(15)/2013-PE-VI दिनांक 5 मार्च 2015 के अनुसार, अप्रैल 2014 में भारत सरकार को प्रेषित FDR के रूप में अस्थायी रूप से लगाए गए CAPEX फंड पर ब्याज ₹ 128.11 लाख की राशि ₹ की किस्त के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। 23 जुलाई 2016 को मूलधन की चुकौती के कारण 400.00 लाख। तदनुसार लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

कंपनी को रु. का नियोजित ऋण (ब्याज मुक्त) प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 20.00 करोड़। प्रथम किस्त के भुगतान के बाद शेष किश्तों का भुगतान शेष है। इस प्रकार, कंपनी रुपये के भुगतान में चूक कर रही है। 31/03/2023 तक 16.00 करोड़।

कंपनी को रु. का ऋण (ब्याज @13.50%) भी प्राप्त हुआ है। कुल स्वीकृत राशि में से 28/03/2021 को 41.00 करोड़ रु. कंपनी के परिचालन को बंद करने के लिए लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए 65.12 करोड़ रुपये, जो समापन पत्र में निर्दिष्ट बिक्री की आय से पुनः भुगतान योग्य होगा।

टिप्पणी संख्या–47

वित्तीय अनुपात

नुपात/ माप	पद्धति	वर्ष की समाप्ति पर	
		31.03.2023	31.03.2022
(ए) वर्तमान अनुपात	वर्तमान देनदारियों पर वर्तमान संपत्ति	1.11	5.30
(बी) ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल शेयरधारकों की इक्विटी पर ऋण		7.05
(सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	वर्तमान ऋण पर ईबीआईटी	0.10	0.10
(डी) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कुल औसत इक्विटी पर पीएटी	0.01	0.09
(ई) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	औसत इन्वेंटरी पर बेचे गए माल की लागत	0.00	0.00
(एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	औसत व्यापार प्राप्तियों पर संचालन से राजस्व	0.00	0.00
(जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	औसत व्यापार देय पर समायोजित व्यय	0.00	123.53
(एच) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	औसत कार्यशील पूंजी पर संचालन से राजस्व	0.07	0.12
(i) शुद्ध लाभ अनुपात	राजस्व पर शुद्ध लाभ	0.08	0.29
(जे) नियोजित पूंजी पर वापसी	नियोजित औसत पूंजी से अधिक पीबीआईटी	0.07	0.15
(के) निवेश पर वापसी।	ब्याज आय, निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ और भारित औसत निवेश पर शुद्ध उचित मूल्य लाभ।	0.02	0.01
i) ईबीआईटीडीए %	राजस्व पर ईबीआईटीडीए	64%	0.01
i) ईबीआईटी %	राजस्व पर ईबीआईटी	64%	0.01

टिप्पणी संख्या–48

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टॉक और टर्नओवर

स्टॉक							
प्रारंभ में			**बंद पर**		**कारोबार**		
	नं.	रू.लाखों में	नं.	रू.लाखों में	नं.	रू.लाखों में	
विक्रम थ्री व्हीलर	0	0.00	-	-	-	-	
पुर्जों और घटकों	-	0.00	-	-	-	-	

पेट्रोल पम्प स्टॉक*	0	0.00	-	-	-	-
(मात्रा लीटर।	0	0.00	-	-	-	-

विस्तारपूर्वक लेख :

* पेट्रोल पंप स्टॉक में पड़े खाली ड्रम, कंटेनर आदि का मूल्य शामिल है।

(1) चार्टर्ड इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान 16500 नग की स्थापित क्षमता के मुकाबले व्यावहारिक / प्राप्त करने योग्य क्षमता घटकर 12500 नग हो गई है।

(2) पेट्रोल पंप कारोबार डीजल, पेट्रोल और अन्य तेल और स्नेहक की बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने शून्य लीटर खरीदा। डीजल/पेट्रोल की (पिछला वित्तीय वर्ष शून्य लीटर। कोई वाष्पीकरण हानि नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य लीटर)।

(3) 8 नवंबर 2016 से कंपनी के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप (एचपीसीएल) को संचालन के लिए 1.0.1.20 से अस्थायी रूप से एचपीसीएल को पट्टे पर दे दिया गया है। हालांकि औपचारिक समझौता पंजीकृत नहीं किया गया है और यह अनुमोदन और अंतिम रूप देने के अधीन है। इसके अलावा चूंकि औपचारिक समझौते के अभाव में किराया या अन्य आय अनिर्धारित है, उसे लाभ और हानि खातों में मान्यता नहीं दी गई है।

2. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक

	2022- 23 रू. लाखों में	2021-22 रू. लाखों में
ए) वैधानिक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा फीस	1.60	1.60
(बी) प्रमाणन और परामर्श के लिए शुल्क	0.00	0.70
(सी) लागत लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00
(d) टैक्स ऑडिट फीस	0.28	0.28
(ई) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.00	0.50
	1.88	3.08

उपरोक्त आंकड़ों में वस्तु एवं सेवा कर शामिल है।

<u>**नोट संख्या** 49</u>

31 **मार्च**, 2023 **को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम** 2013 **की अनुसूची** III **के अनुसार तैयार किए गए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए**, **जहां आवश्यक हो**, **पुनर्समूहित**, **पुनर्व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।**

नोट संख्या 50

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी आदेश संख्या 3(1) 2020-**पीई**-VI **दिनांक** 28 **जनवरी**, 2021 **के अनुसार :-**

क) संयंत्र/यूनिट के संचालन को बंद करने की प्रक्रिया और बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ख) लगभग 147.499 **एकड़ की कुल भूमि पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर यूपीएसआईडीए को वापस की जानी है।**

ग) **कंपनी के बंद होने से पहले**, **शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज** (BSE) **से हटा दिया जाएगा**

घ) कंपनी के बंद होने से पहले एसआईएल के ट्रेडमार्क और ब्रांड का मुद्रीकरण।

ङ) संयंत्र/मशीनरी और चल संपत्ति का निपटान एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

नोट संख्या 51

सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.सं. **3(1)/2020-पीई-VI**, दिनांक **28/01/2021** के अनुसार। भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली, दिनांक **14/06/2018** के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बंद होने पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सभी कार्यों को बंद करने के साथ-साथ कंपनी को बंद करने के निर्णय के बारे में सूचित करता है। निदेशक मंडल ने उसी के अनुपालन में **11/02/2021** को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है तदनुसार, कंपनी एक चालू चिंता का विषय नहीं रह गई है और उसी के अनुपालन में कंपनी की अधिकांश परिसंपत्तियों और इन्वेंटरी वस्तुओं की वर्तमान अवधि और पिछले वर्ष के दौरान नीलामी की गई है। इसके अलावा, भवन (सड़क सेवा और ट्यूबवेल सहित) यूपीएसआईडीए को सौंप दिया गया है

नोट संख्या 52

नोट संख्या **49** के संदर्भ में, सभी कर्मचारियों के लिए तीन महीने की अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुनना आवश्यक था। सभी कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर वीआरएस ले लिया। उक्त देयता कंपनी के निपटान के संबंध में **28/03/2021** को भारत सरकार से **41** करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

नोट संख्या 53

सिलोवा (स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन) ने कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों को दूसरे पीएसयू में स्थानांतरित करने के लिए मार्च, 2021 **के महीने में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में लंबित है।**

एस. श्रीवास्तव एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

के लिए सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

g-
vfer JhokLro
p;jeu euftx Mk;jDVj
vfrfjDr iHkkj
fMu u- 10141867

g-
v#.k dekj nhoku
Hkkjr ljdkj }kjk ukfer Mk;jDVj
fMu u- 10170576

g-
lh, ln'ku dekj fot
ikVuj
,e- u- 007859

LFkku % y[kuÅ
fnukd % 29 eb 2023
;-Mh-vkbZ-,u- % 23007859ch thvkjMhMh;9401

ह./-
(आर.एस. तिवारी)
सीएफओ/सलाहकार वित्त

जगह: लखनऊ दिनाँक: 29 मई 2023

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्गम)
Corporate identity No. L25111UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालय :
3/481, विकल्प खण्ड
गोमती नगर
लखनऊ–226010
www.scootersindia.com
ई–मेलः cs@scootersindia@gmail.com
वेवसाइटः www.scootersindia.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों की 51वें वार्षिक आम बैठक 2 दिसम्बर 2023, दिन–शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न होगी।

सामान्य कामकाजः

1. 31.03.2023, को समाप्त हुए वर्ष हेतु कम्पनी का सम्परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, विचार करना तथा अंगीकार करना।

''संकल्पित कि 31 मार्च 2023 को कम्पनी के संपरीक्षित वित्तीय विवरण तुलन पत्र सहित, लाभ एवं हॉनि लेखा, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नगदी प्रवाह विवरण, उस पर निदेशक मण्डल एवं संपरीक्षकों की आख्या, एतद् द्वारा प्राप्त, विचार एवं अंगीकार की जाती है।

2. श्री **अमित श्रीवास्तव** के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जिन्हें चक्रीय क्रम में सेवा निवृत्त होना है और अर्ह होने के नाते वह पुर्ननियुक्ति के लिये स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

''संकल्पित कि श्री **अमित श्रीवास्तव** जिन्हें चक्रीय क्रम में सेवानिवृत्त होना है और अर्ह होने के नाते वह पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं एतद् द्वारा उन्हें कम्पनी का निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है एवं नियुक्त हों, जो कि चक्रीय क्रम में सेवा निवृत्ति के लिए उत्तरदायी है।''

3. विचार करना एवं यदि उचित है तो बिना किसी परिमार्जनों के साथ पास करना। निम्नलिखित संकल्पों को विषेष संकल्प के रूप में संकल्पित करना।

“संकल्पित की कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 142 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 पर लागू प्रविधानों, यदि कोई हो, उक्त अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा संपरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गये विधिक लेखा एवं संपरीक्षकों का वर्ष 2021–22 के लिए पारिश्रमिक रूपया 1,60,000/– नियत हो और एतद् द्वारा नियत किए जाने के लिए अनुमोदित है।

दिनांक: 09.11.2023

स्थान : लखनऊ

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह./-

अमित श्रीवास्तव

डीआईएन: 10141867

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

टिप्पणियां

1. जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कंपनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 आगामी एजीएम इस प्रकार होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। इसलिए सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 ;संशोधित) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 44 के प्रावधानों के नुसार (जैसा कि संशोधित) और एमसीए परिपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2020/13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020 कंपनी एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। एजीएम की तिथि पर रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2: या उससे अधिक शेयरधारक) प्रमोटर संस्थागत निवेशक निदेशक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना ईजीएम / एजीएम में भाग लें।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

5. एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 के अनुसार इस एजीएम में सदस्यों के लिए उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगम निकाय जैसे सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और ई.वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

6. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक **13** अप्रैल **2020** के नुसार एजीएम/ईजीएम को बुलाने की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bseindia.com पर अपलोड कर दी गई है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी देखा जा सकता है। एजीएम नोटिस को सीडीएसएल की वेबसाइट (एजीएम/ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने वाली एजेंसी) यानी www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया जाता है।

7. एजीएम कंपनी अधिनियम **2013** के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुलाई गई है। जिसे **8** अप्रैल **2020** के एमसीए परिपत्र संख्या **14/2020** और **13** अप्रैल **2020** के एमसीए परिपत्र संख्या **17/2020** एवं एमसीए परिपत्र संख्या **20/2020** दिनांक **05** मई **2020** के साथ पढ़ा गया है।

ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

i. जैसा कि आप जानते हैं, **COVID**-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, कंपनियों की आम बैठकें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (**MCA**) द्वारा परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 एवं परिपत्र क्रमांक 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

इस प्रकार आगामी एजीएम/ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसलिए, सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम/ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (संशोधित) के नियम 44 के प्रावधानों के अनुसार , और एमसीए परिपत्र दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 कंपनी पने सदस्यों को एजीएम/ईजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा ईजीएम/एजीएम की तारीख सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

iii.सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से **15** मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में ईजीएम/एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम **1000** सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें बड़े शेयरधारक (**2%** या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, ऑडिट समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की अनुमति है ।

iv.वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

v.एमसीए परिपत्र संख्या **14/2020** दिनांक **08** अप्रैल, **2020** के अनुसार, इस एजीएम/ईजीएम में भाग लेने और सदस्यों को वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **112** और धारा **113** के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य या कॉर्पोरेट निकाय के राज्यपाल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से। भाग ले सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं।

vi.कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप, एजीएम/ईजीएम को बुलाने का नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.scootersindialimited.com** पर अपलोड कर दिया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** से भी देखा जा सकता है। एजीएम/ईजीएम नोटिस सीडीएसएल (एजीएम/ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) यानी **https://www.evotingindia.com** की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाता है।

vii.एजीएम/ईजीएम कंपनी अधिनियम, **2013** के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुलाई गई है, जिसे एमसीए परिपत्र संख्या **14/2020** दिनांक **8** अप्रैल, **2020** और एमसीए परिपत्र संख्या **17/2020** दिनांक **13** अप्रैल, **2020** एमसीए परिपत्र संख्या **20/2020** दिनांक **05** मई, **2020** के साथ पढ़ा गया है।

viii.इस मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या **20/2020**, दिनांक **05** मई, **2020** की निरंतरता में और उचित परीक्षण के बाद, उन कंपनियों को जिनकी एजीएम वर्ष **2020** में होने वाली थीं या वर्ष **2021** में होने वाली थीं उन्हे अपनी एजीएम **31.12.2021** या उससे पहले आयोजित करने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। एमसीए परिपत्र संख्या के अनुसार सामान्य परिपत्र संख्या **20/2020** और दिनांक **13** जनवरी **2021** के परिपत्र संख्या **02/2021** के पैराग्राफ **3** और **4** में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुसार।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के नुसार डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है

ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के निर्देश इस प्रकार हैं:

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

चरण 2: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(i) मतदान की अवधि बुधवार, 29 नवंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 01 दिसंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जिनके पास शनिवार, 25 नवंबर, 2023 की कट-ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि)

के अनुसार भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर अपना योगदान दे सकते हैं।

उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

(ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/**2020/242** दिनांक **09.12.2020** के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, **2015** के विनियमन **44** के तहत, सूचीबद्ध संस्थाएं हैं सभी शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में, अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। हालाँकि, यह देखा गया है कि भागीदारी सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारक/खुदरा शेयरधारक नगण्य स्तर पर हैं।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और शेयरधारकों द्वारा एकाधिक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक परामर्श के अनुसार, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरीज/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ दोबारा पंजीकरण कराए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

iv. सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 को सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। प्रतिभागियों। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के नुसार डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है

शेयरधारकों के प्रकार	**लॉगिन विधि**
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) उपयोगकर्ता जिन्होंने सीडीएसएल आसान/सबसे आसान सुविधा का विकल्प चुना है। वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल हैं https://web.cdslindia.com/myeasi/home/loginया www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईसी का चयन करें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। जहां इवोटिंग चल रही है। इवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता आसान/ आसान से आसान के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistrationपर उपलब्ध है। 4) वैकल्पिक रूप सेए उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक कर सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होगा।

एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज URL: https://eservices.nsdl.com वेबसाइट पर जाएं। इसे टाइप करके वेब ब्राउज़र या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद ष्लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो आइडीएएस सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 1) 2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com.पर उपलब्ध है। “आईडीईएएस” पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट URL: https://www.evoting.nsdl.com/ पर जाएं। इसे टाइप करके वेब ब्राउज़र या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख

के माध्यम से लॉगिन करते हैं	पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध भूले हुए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.comपर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

चरण 2: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(v). डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत होल्डिंग के अलावा अन्य भौतिक शेयरधारकों और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com.पर लॉग ऑन करना चाहिए।

2) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) ब अपना यूजर आईडी दर्ज करें।

क) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी

ख) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी

ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

4) अगला प्रदर्शित छवि सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com.पर लॉग इन किया था और किसी कंपनी के पहले के ई-वोटिंग पर वोट किया थाए तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है।

6) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए उपायों का पालन करें:

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का ल्फा-न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है। उनसे नुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए क्रमांक का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें। यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं तो कृपया डिविडेंड बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो नंबर दर्ज करें।

vi. इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

vii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। हालांकि डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब पासवर्ड निर्माण हेतु मेनू पर पहुंच जाएंगे। जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों के लिए वोटिंग के लिए भी किया जाना है। जिस पर वे वोट देने के लिए पात्र हैं

बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुनती है। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न

करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

viii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

ix. उस प्रासंगिक कंपनी के नाम के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं।

x. वोटिंग पेज पर आपको "रिज़ॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी के सामने वोटिंग के लिए "हां / नहीं" का विकल्प होगा। विकल्प के रूप में हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

xi.यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

xii. संकल्प का चयन करने के बाद आपने मतदान करने का निर्णय लिया है "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

xiii. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की "पुष्टि" कर देते हैं तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xiv. आप वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

xv. यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो यूजर आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा संकेत के अनुसार विवरण दर्ज करें।

xvi. गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा-केवल रिमोट वोटिंग के लिए।

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियोंए एचयूएफए एनआरआई आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और खुद को "कॉर्पोरेट्स" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।

- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की हुई कॉपी जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर हों helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।

• लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बादए व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक नुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।

• लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डाल सकेंगे।

• बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की एक स्कैन की हुई प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है यदि कोई है तो इसे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता इसे सत्यापित कर सके।

• वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को मतदान के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्क्रूटिनाइज़र और कंपनी को ईमेल पते पर भेजने की आवश्यकता होती है जैसे cs@scootersindia.com, यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से वोट किया है और इसे सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है तो स्क्रूटिनाइज़र को सत्यापित करने के लिए ई-वोटिंग सिस्टम है।

बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक और ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।

2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. आगे शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की

पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं वे अपना नाम डीमेट खाता संख्या / फोलियो नंबर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम **7** दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध भेजकर एक स्पीकर के रूप में cs@scootersindia.com. पर पंजीकृत हो सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन प्रश्न हैं वे बैठक से **5** दिन पहले अपना नाम डीमेट खाता संख्या / फोलियो नंबर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए cs@scootersindia.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

8. वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है उन्हें बैठक के दौरान पने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

9. केवल वे शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

10. यदि ईजीएम/एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट डाला जाता है और यदि वही शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं हैं।

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए- कृपया फोलियो नंबर शेयरधारक का नाम शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे) पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) आधार कार्ड (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी/आरटी ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

3. व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें। जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी वरिष्ठ प्रबंधक सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ए विंग 25वीं मंजिल मैराथन फ्यूचरएक्स मफतलाल मिल कंपाउंड्स एनएम जोशी मार्ग लोअर परेल (पूर्व) मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है। या helpdesk.evoting@cdslindia.comपर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

टिप्पणी

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्‌गम)

पंजीकृत कार्यालय :

3/481, विकल्प खण्ड

गोमती नगर

लखनऊ–226010

www.scootersindia.com